लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 19 फरवरी, 1974/30 माघ, 1895 (शक)

No. 2, *Tuesday*, *February* 19, 1974/*Magha* 30, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मंत्रीयों का परिचय	Introduction of Ministers	1

प्रश्नों कें मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

***ता० प्र० संख्या**
*S. Q. Nos.

1. अशोधित तेल के आयात के लिये रूस के साथ करार	Agreement with USSR for Import of Crude Oil . .	1–2
2. तटदूर तेल खोज परियोंजनाओं के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Off shore Oil Exploration Projects	2–4
3. सरकार द्वारा एस्सो कम्पनी के ईक्विटी शेयरों का अर्जन	Acquisition of Equity Shares of Esso by Government . .	4–5
6. तेल की स्थिति पर पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओपक) के महासचिव के साथ बातचीत	Discussions with Secretary General of OPEC on Oil Situation	5–7
7. मद्रास तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिये ईरान के साथ करार	Agreement with Iran for Expansion of Madras Refinery	7–8
10. उत्तर प्रदेश में चुनाओं से फोरन पहले प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास कराने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करने के बारे में शिकायते	Complaints Alleging Organisation of Functions for Prime Minister to Lay Foundation Stones on the Eve of U. P. Elections	8–13

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

4. बेंजीम और टोल्यून उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादन शुल्क रियायतों का दुरुपयोग	Abuse of Excise Concessions by Benezene and Tolune Users .	13
8. दिल्ली में मिट्टी के तेल का राशन	Rationing of Kerosene Oil in Delhi	13–14
9. न्यायाधिशों की सेवा की शर्तों ओर उपलब्धियों में सुधार करने के संबंध में विधि आयोग के प्रतिवेदन पर किया गया निर्णय	Decision taken on Law Commisston's Report on the Improvement in the Service Conditions and Emoluments of Judges	14

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—37 L.S.S./73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
11.	कोयले से तेल निकालने का द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Extraction of Oil from Coal . .	14
12.	तेल पर आधारित उद्योगों के लिए पेट्रोल के आवंटन में कमी करना	Reducing Petrol Allocations for Oil based Industries . .	15
13.	डीजल लोकोमोटिव, वर्क्स, वाराणसी के लिए बिजली पैदा करने वाला जनरेटर	Electric Generator for Diesel Locomotive Works, Varanasi .	15
14.	तेल-संकट	Oil crisis	15-16
15.	भारतीय तेल निगम द्वारा बर्मा शैल को अपने नियंत्रण में लिया जाना	Take Over of Burma Shell by IOC	16
16.	खंभातके बेसिन में तेल और गैस क्षेत्र	Oil and Gas Zones in Cambay Basin	16
18.	नर्मदा जल विवाद के बारे में प्रधानमंत्री का निर्णय	Prime Minister's Award on Narmada Water Dispute . .	17
19.	तेल उत्पादक देशो द्वारा लाभ के बारे में रखी गई शर्तें	Conditions laid down by Oil Producing countries on Profits	17
20.	रेलवे के अपने बिजलीघर	Railways Own Power Stations .	17
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
	में रेलवे की आय में कमी	Decline in Railway's earnings during December, 1973	18
2.	बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद उद्योग समूह के औद्योगिक कारखानों का बंद होना	Closure of Industrial Units of Faridabad Industrial Complex due to Power shortage . .	18
3.	राज्यों में चुनावों के लिये 23 सूत्री आचार संहिता	23 point code of conduct for elections in States . .	18-19
4.	देश के विभिन्न भागों में "बन्दों" के कारण रेलवे यातायात में गतिरोध	Disruption of Railway Traffic due to observance of Bandhs in various parts of the country .	19
5.	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Ernakulam Trivandrum Railway line . .	19-20
6.	केरल में ग्राम पंचायतों के माध्यम से बिजली के वितरण के बारे में प्रस्ताव	Proposal re: distribution of electricity in Kerala through village Panchayats . . .	20
7.	आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन तथा रेल मंत्रालय के बीच सूझ बूझ	Understanding between All India Loco Running Staff Association and Railway Ministry	20
8.	बिना टिकट यात्रा के कारण औसत हानि	Average losses due to ticketless travelling	20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9.	लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Loco Running Staff .	21
10.	आश्वासनों के क्रियान्वित न करने के कारण आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन की धमकी	Threat of agitation by All India Loco Running Staff Association for non-implementation of assurances . . .	21
11.	मिट्टी के तेल तथा उर्वरकों के आयात के लिये सोवियत संघ से समझौता	Agreement with USSR for Import of kerosene oil and fertilisers	22
12.	बर्माशैल और एस्सो द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in crude oil prices by Burmah Shell and Esso	22
13.	कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियों को रद्द किया जाना	Cancellation of trains due to shortage of coal . . .	22–23
14.	भट्टी के तेल और स्नेहकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of furnace oil and lubricants . . .	23
15.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन मामले	Cases under consideration of MRTP Commission . .	23–25
16.	सिन्धु जल संधि के अधीन रावी नदी के पानी का उपयोग	Utilisation of Ravi Waters under Indus water Treaty . .	26
17.	भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर "बंकर तेल" के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of bunker oil at Indian and International Ports	26–27
18.	वर्ष 1974 में अशोधित तेल का आयात	Import of crude oil in 1974 .	27–28
19.	केरल में बाढ़ों को रोकने के बारे में केरल की योजना	Kerala's scheme regarding checking of floods in Kerala .	28
20.	भारत को रूस से पेट्रोल की सप्लाई	Supply of petrol by USSR to India	28
21.	गन्दी बस्ती में रहने वालों को बिजली की सप्लाई के लिये दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश में संशोधन	Amendment to Delhi Electric Control Order for supply of Power to Slum Dwellers .	29
22.	अलाभप्रद रेलवे लाइनों को हुई हानि	Losses suffered by Uneconomic Railway Lines . . .	29–30
23.	पंजाब के लिए विचाराधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी	Clearance of Pending Major Irrigation Projects for Punjab .	30
24.	भारत की भुगतान शेष तथा भुगतान की स्थिति पर तेल संकट का प्र ाव	Impact of Oil Crisis on India's Balance and Payments Position	30–31
25.	एस्सो की भांति अन्य विदेशी तेल कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of other Foreign Oil Companies on the pattern of ESSO	31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
26.	भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) में रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	House Building Loans to Railway Employees in Bhusaval Division (Central Railway) . .	31–32
27.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग कार्य	Drilling Operations by O & NGC	32
28.	जम्मू और कश्मीर को उत्तरी विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ना	Linking of Jammu and Kashmir with Northern Power Grid .	32
29.	कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण में किये गये परिवर्तन	Changes made in Construction of tube Railway in Calcutta .	33
30.	पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित बिजलीघरों की स्थापना	Setting up Coal Based power Plants in West Bengal . .	33
31.	भारत में तेल की खोज के लिए रूस से समझौता	Agreement with USSR for Oil Exploration in India . .	33–34
32.	मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की सप्लाई हेतु ईरान के साथ बातचीत	Negotiations with Iran for Crude for Madras Refinery . .	34
34.	बिजली का राशन किया जाना	Introduction of Power Rationing	34
35.	रूस और अन्य देशों से अशोधित तेल और डीजल तेल का आयात	Import of Crude and Diesel Oil from Russia and other Countries	35
36.	तेल संकट के बारे में इराक और कुवैत के साथ बातचीत	Negotiations with Iraq and Kuwait on Oil Crisis . .	35
37.	पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत रोकने के उपाय	Measures to Curb Consumption of Petroleum Products . .	35–36
38.	पेट्रोल का राशन किया जाना	Introduction of Petrol Rationing	36
39.	बंगलौर को कावेरी नदी के पानी की सप्लाई	Supply of Cauvery River Water to Bangalore . . .	36
40.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण	Seismic Surveys by O & N G C	37
41.	पेट्रोल में मिट्टी के तेल का अपमिश्रण रोकने का उपाय	Measures to check presence of Kerosene in Petrol . .	37
42.	आदिवासियों द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच जनता एक्सप्रैस गाड़ी को लूटने का प्रयास	Attempt made by Tribals to loot Janta Express between Meghnagar and Udaigarh . .	37–38
43.	आयात किये गये और बेचे गये पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत	Price of Petrol Imported and Sold	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
44.	फरवरी, 1974 में कुम्भ के मेले के अवसर पर बृन्दावन के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों	Additional trains to Vrindaban on the eve of Kumbh Mela in February, 1974 . . .	39
45.	अपर ताप्ती परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल करने के बारे में मध्य प्रदेश का प्रस्ताव	Madhya Pradesh's proposal regarding inclusion of Upper Tapti Project in Fifth Plan .	39
46.	बोनस के मामले पर रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी	Warning of Strike by Railway employees on Bonus Issue .	39–40
47.	भारत में तेल उत्पादन के लिए रूस द्वारा मशीनरी की सप्लाई	Supply of Machinery by Russia for Oil Production in India .	40
48.	मई, अगस्त और नवम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to strike by Loco Staff in May, August and November, 1973 . . .	40
49.	रेल विभाग द्वारा समय पर कोयले की ढुलाई न कर पाने के कारण दिल्ली में कोयले की कमी	Coal shortage in Delhi due to Railway's inability to transport coal in time . . .	41
50.	रतलाम के डीजल शेड का विस्तार	Expansion of diesel Shed, Ratlam	41
51.	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में द्रुतगामी यात्रा व माल परिवहन	Fast Transportation of Goods and Passengers in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi .	41–42
52.	समान सिविल कोड	Uniform Civil Code	42
53.	पांचवीं योजना के पहले वर्ष में प्रारंभ की जाने वाली बड़ी सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य	Target of major irrigation schemes to be taken in First Year of Fifth Plan . . .	42
54.	पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिये बिजली उत्पादन योजनाओं का लक्ष्य	Target of Power generation schemes for First Year of Fifth Plan	42
55.	जनवरी, 1974 में राज्यों के समक्ष बिजली सप्लाई की कमी की स्थिति होना	Shortage of power supply faced by States in January, 1974 .	43–44
56.	तेल सप्लाई की स्थिति में सुधार और विभिन्न परियोजनाओं पर तेल-संकट का प्रभाव	Improvement in oil supplies and Impact of oil crisis in different projects	44
57.	तेल-संकट के कारण रेल परियोजनाओं को खतरा	Threat to Rail Plants due to Oil Crisis	45
58.	भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिये ईरान से सहायता	Assistance from Iran to meet oil shortage in India . . .	45
59.	उर्वरक संयंत्रों के लिये जापान से ऋण	Japanese Credit for Fertiliser Plants	45–46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
60.	हावड़ा-आमता, हावड़ा-चम्पाडंगा और हावड़ा शिरवाला लाईट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने के लिये भूमि का अधिग्रहण	Land acquisition for conversion of Howrah Amta, Howrah Cnampdaanga and Howrah Sheakhala Light Railways .	46
61.	बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करना	Establishment of a Bench of Supreme Court at Bangalore .	46
62.	जिप्सम वैगनों के अभाव के कारण सिन्दरी फैक्टरी के बंद हो जाने का खतरा	Threatened closure of Sindri Factory for want of Gypsum Wagons	46
63.	बिजली उत्पादन के लिये भारत को रूस से सहायता	USSR Aid for Power Production in India	47
64.	उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of power to Industries .	47–48
65.	उर्वरक का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Fertilizers	48
66.	प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के बारे में कदाचार की कथित शिकायतें	Alleged Malpractices indulged into by the Practising Chartered Accountants . .	49
67.	अजमेर तथा महसाना के बीच चलने वाली "229" अप और "230" डाउन रेलगाड़ी का बंद किया जाना	Withdrawal of 229 UP and 230 Dn. Trains Running between Ajmer and Mahesana . .	49
68.	आगरा फोर्ट और अहमदाबाद के बीच चलने वाली 5 अप और 6 डाउन गाड़ियों का बंद किया जाना	Withdrawal of 5 UP and 6 Dn. Trains Running between Agra Fort and Ahmedabad . .	49
69.	उर्वरकों का उत्पादन	Progress on setting up of Meethapur Fertiliser Project . .	50
70.	समुद्र से तेल और गैस की खोज	Exploration of oil and Gas from Sea	51
71.	कारों और स्कूटरों का गैस से चलाया जाना	Running of Cars and Scooters by Gas	51
72.	अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल के मूल्य	Prices of Petrol in India as Compared to those in other countries	51
73.	रेलवे को कोयला या इंधन सप्लाई करने में असफलता	Failure to supply Fuel or Coal to Railways . .	52
74.	पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्रों में अधिक रेलवे सुविधायें तथा सेवाये	More Railway Amenities and Services in backward and neglected Areas	52–53
75.	विगत तीन महीनों के दौरान रेलवे में हुई हड़ताल	Strikes on Railways during last three months . .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
76.	मूल्य वृद्धि के पश्चात् पेट्रोल की खपत में कमी	Reduction in Consumption of Petrol after price Rise . .	53
77.	प्रथम श्रेणी के रेलवे पास जारी करना	Issue of First Class Railway Passes	54
78.	जनवरी, 1974 में कोडरमा रेलवे स्टशन पर गोली चलने से हताहत हुए व्यक्ति	Persons killed and wonuded in Firing at Koderma Railway Station in January, 1974 .	54
79.	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं	Projects sanctioned by Rural Electrification Corporation in Orissa.	55
80.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति के अवसर	Recruitment and Promotion Opportunities in Railways for Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	55–56
81.	उद्योगों को आवंटित किए जाने वाले भट्टी तेल में कटौती	Cut in Furnace Oil Allocations to Industry	56
82.	प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात से प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों का सृजन	Creation of Class I, II and III Posts since the Imposition of Ban	56–58
83.	उर्वरक उद्योग में विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भरता	Dependance on Imported Technical know how in Fertilizer Industry . . .	58
84.	रेलवे परामर्शदात्री सेवा	Railway Consultancy Service .	58
85.	कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात, उत्पादन और मूल्य	Import, Production and Prices of Crude and Petroleum Products.	59
86.	उर्वरकों का कोयले पर आधारित उत्पादन करने के लिये योजना	Plan for Switching Over to Coal based production of Fertilisers	59
87.	अखिल भारतीय रेलवे मैन फैडरेशन द्वारा की गई मांग	Demand by All India Railwaymen's Federation . . .	59–60
88.	पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप टैक्सी ड्राईवरों को हुई कठिनाईयां	Problems faced by Taxi Drivers due to rise in Petrol Price .	60
89.	मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप पेट्रोल व्यापारियों को हुई कठिनाईयां	Problems faced by Petrol Dealers due to price rise . . .	60–61
90.	तट-दूर खुदाई के लिए मशीनों पर व्यय किया गया धन	Amount spent on Machinery for off shore Drilling. . .	62
91.	पेट्रोल. डीजल तेल और हाईस्पीड डीजल तेल की कमी	Shortage of petrol, Diesel Oil and HSD . . .	62
92.	उद्योगों के लिये मालडिब्बों की कमी	Shortage of wagons for Industries	63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
93.	भारतीय रेलों को 1 अप्रैल, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक धन व सम्पत्ति की हानि	Loss of Earnings and Property suffered by Indian Railways from 1-4-1973 to 31-1-1974 .	63–64
94.	त्रिपुरा में तम्बरोर जल विद्युत परियोजना के लिए जलाशय के निर्माण हेतु लोगों की बेदखली	Eviction of People for construction of Reservoirs of Water for Tambaror Hydel Electric Project in Tripura . .	64
95.	भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में रेलवे लाइनों का निर्माण	Construction of Railway Lines in South Asian Countries by India	64
96.	तीसरे दर्जे के यात्रियों तथा छात्रों को विशेष सुविधाएं	Special facilities to Third Class Passengers and Students .	65
97.	पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने के लिये मोटर-चालकों को शिक्षित करने का अभियान	Campaign to Educate Motorists to detect Adulteration of Petrol	65
98.	"कन्टीनेन्टल सेल्फ" क्षेत्रों में तेल का भारी भंडार	Huge Oil Reserves in Continental self	65
99.	फूलपुर में तेल चालित उर्वरक संयंत्र	Oil based fertilizer plant at Phulpur . . .	66
100.	जनवरी, 1974 में दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में आग	Fire in Power Plant of Durgapur Project Ltd., in January, 1974	66
101.	तेल के मूल्य की वृद्धि से भारत पर प्रभाव	Effect of Oil Price increase on India	66–67
103.	आपटा से मंगलौर तक पश्चिम तट रेलवे का निर्माण	Construction of West Coast Railway from Apta to Mangalore	67
104.	सिगनल तथा लोको कर्मचारियों द्वारा आस्ते काम करो नीति का अपनाया जाना	Go slow tactics adopted by Signallers and Locomen . .	67–68
105.	कृष्णा बेसिन के संबंध में नदी जल विवाद आयोग की सिफारिश	Recommendation of River Water Disputes Commission regarding Krishna Basin .	68–69
106.	वर्ष 1973 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strikes by various categories of Railway workers during the year, 1973 . .	69
107.	गुजरात में चल रहे उर्वरक कारखाने	Fertilizer factories working in Gujarat	70
108.	हावड़ा-अमता तथा हावड़ा-शेखाला लाइट रेलवे का ब्राडगेज में परिवर्तन	Conversion of Howrah Amta and Howrah Shekhala Light Railway into Broad Gauge .	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
109.	पश्चिम बंगाल की स्लीपर फाउन्ड्रीज का मध्य दिसम्बर, 1973 में बंद हो जाना	Closure of sleeper foundries in West Bengal in mid December, 1973	71
110.	इंडियन रेलवेज लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन का "वर्क टू रूल" (नियम अनुसार कार्य) का आवाहन	Work to Rule call by Indian Railways Loco Mechanical Staff Association . . .	71
111.	तेल उत्पादक देशों का सम्मेलन बुलाने के लिये रूस का प्रस्ताव	Russian proposal to hold a Conference of oil producing countries	71
112.	विभिन्न राज्यों में कोयला चालित बिजली घर स्थापित करना	Setting up of coal based power houses in various states . .	72
113.	उत्तरी बंगाल के डलखोला नामक स्थान पर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना	Setting up of thermal power station Dalkhola in North Bengal	72
114.	दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे, में लोको रनिंग स्टाफ द्वारा "वेतन हड़ताल"	Pay strike by loco running staff in Delhi division (Northern Railway) .	72
115.	तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude to Refineries .	73
116.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित तथा सीधे आयातित अशोधित तेल के मूल्य	Prices of crude imported by foreign oil companies and that of imported direct . .	73
117.	भारत स्थित विदेशी तेल शोधक कारखानों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में विलंब	Delay in deciding future of foreign refineries in India .	73–74
118.	बी० एन० एलियास एंड कम्पनी द्वारा शेयरों का श्री आर० पी० गोयन्का को हस्तांतरित करना	Transfer of shares of B. N. Elias & Co. to Mr. R. P. Goenka .	74
120.	वर्ष 1974 में अशोधित तेल के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange required to import Crude Oil in 1974 .	74
121.	रावी-व्यास नदियों के पानी के बटवारे के संबंध में पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से मिलना	Meeting with Chief Ministers Punjab and Haryana on Sharing Ravi Beas Waters . . .	74
122.	"काम नहीं, दाम नहीं", सिद्धांत को लागू करने का निर्णय	Decision to enforce principle of 'No Work No Pay' . .	75
123.	भट्टी तेल (फरनेस आयल) के मूल्यों में वृद्धि तथा इसका प्रभाव	Increase in Prices of Furnace Oil and its Impact . . .	75
124.	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने के संबंध में विशिष्ट प्राथमिकता	Special Preference in Employment to Children of Railway Employees . .	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
125.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातु तापीय बिजली घर के चौथे विद्युत एकक का बंद किया जाना	Closure of Fourth power Generation Unit of Patratu Thermal power Station of Bihar State Electricity Board . .	76
126.	निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Poor . .	76
127.	भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना	Inclusion of Bhavnagar-Tarapur Railway Line in Fifth Five Year Plan	76–77
128.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संगठनात्मक ढांचा	Organisation Set up of ONGC .	77–78
129.	दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच अजमेर होकर चलने वाली नई जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी	New Jayanti Janta Express Train running between Delhi and Ahmedabad via Ajmer .	78
130.	उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्टस लिमिटेड द्वारा एक गैर-सरकारी व्यापारी को शेयरों का कथित हस्तांतरण	Alleged Transfer of Shares of Orissa Concrete Products Ltd., to a Private Businessman .	78
131.	उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कम से कम पांच वर्ष की सेवा अवधि	Minimum Five Years' Tenure for Judges of High Courts and Supreme Court . . .	79
132.	गोआ में सनकोले स्थित जुआरी कृषि-रासायनिक उर्वरक फैक्टरी का बंद हो जाना	Closing of Zuart Agro Chemical Fertilizer Factory at Sancoale in Goa	79
133.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अरब सागर में तेल की खुदायी	Oil drilling by O & N G C in Arabian Sea	79–80
134.	त्रिपुरा में तेल छिद्रण	Drilling of Oil in Tripura . . .	80
135.	कोटा के माल-डिब्बा मरम्मत वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति के ग्रेडों में आरक्षित अनुपात प्रतिशतता को बनाये रखा जाना	Ratio percentage reserved in Promotional Grades for SC/ST maintained in wagon repair workshop, Kota . . .	80
136.	कोयले की कमी के कारण जनवरी, 1974 के दूसरे सप्ताह के दौरान गाड़ियों का रद्द किया जाना	Suspension of Trains due to coal shortage during the Second Week of January, 1974 . .	81
137.	रेलवे अस्पताल, कोटा (पश्चिम रेलवे) के लिये पिछले तीन वर्षों में लोकल परचेज द्वारा की गयी राशन, सब्जी तथा दवाइयों की कीमत	Value of Ration, Vegetable and Medicines Purchased Locally for Railway Hospital Kota (Western Railway)	81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
138.	पश्चिम रेलवे में बिना फाटक और चौकीदार के रेलवे क्रासिंग .	Unamnned Railway Crossings on Western Railway . .	81-82
139.	इटारसी-भुसावल यात्री गाड़ी की दुर्घटना में हताहत व्यक्ति	Casualties in the Accidents to Itarsi Bhusawal Passenger Train	82
140.	भट्टों की गली रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) के निकट ट्रक तथा गाड़ी के बीच हुई टक्कर	Collision between Truck and Train near Bhaton Ki Gali Railway Station (W. Railway)	82-83
141.	धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के रेल कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान प्रादेशिक सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Territorial Army during Railwaymen's Agitation of Dhanbad Division (Eastern Railway) . .	83
142.	आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ, लखनऊ को मान्यता देना	Grant of Recognition to Unions of Employees of RDSO, Lucknow	83
143.	उत्तर प्रदेश के चुनावों में सरकारी तंत्र के उपयोग के लिए सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges levelled against the Ruling Party for using Government Machinery in U. P. Elections	83-84
144.	कोयला ढोने के लिये उत्तर प्रदेश को सप्लाई किये गये वैगन	Wagons supplied to Uttar Pradesh for Transportation of Coal	84
145.	दिल्ली प्रशासन द्वारा ट्रकों द्वारा कोयला मंगाने की व्यवस्था	Delhi Administration's Arrangement to Transport Coal by Trucks	84
146.	सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल पर खर्च में कमी	Reduction in Expenditure on Petrol in Public Sector . .	84
147.	बिहार के खगड़िया सह जिला को गंगा नदी के कटाव से बचानेकी योजना	Scheme for protection of Khagaria Sub District of Bihar from erosion by River Ganga .	85
148.	नारायणपुर स्टेशन पर 17 अप और 18 डाउन वैशाली एक्सप्रैस का ठहराया जाना	Stoppage of 17 UP and 18 Dn. Vaishali Express at Narayanpur	85-86
149.	रेलवे के घाटे को रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा पास जारी न करना	Stoppage of Free Journey Passes to Employees of Railway Ministry/Department to meet loss to Railways . . .	86
150.	विभिन्न कारणों से रेलवे को हुई हानि	Loss incurred by Railways	86
151.	मध्य-प्रदेश में रेलवे लाइनों की प्रति-व्यक्ति लम्बाई	Per Capita Length of Railway Lines in Madhya Pradesh .	87
152.	भटींडा रेलवे स्टेशन पर पंजाबी भाषा में नोटिसों का लगाया जाना	Display of Notices in Punjabi Language at Bhatinda Railway Station . . .	87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
153.	21 दिसम्बर, 1973 को बम्बई-पूना एक्सप्रैस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Bombay Poona Express on the 21st December, 1973	87
154.	सोवियत तेल मंत्री के साथ तेल संकट को समाप्त करने की सहायता के लिए बातचीत	Negotiations with Soviet Oil Minister for Assistance to Solve Oil Crises	87–88
155.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहर की समन्वय समिति द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum Submitted by Co-ordination Committee, North East Frontier Railway, Katihar	88
156.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा फारस की खाड़ी के देशों से कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil by Foreign Oil Companies from Persian Gulf Countries . . .	89
157.	थन्निर मुक्कोम पर "साल्ट वाटर बैरियर" का निर्माण	Construction of Salt Water Barrier, at Thannir Mukkom .	89
158.	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में परिवर्तन करने का सुझाव	Proposal to make changs in the MRTP Act . . .	89
159.	दमदम जंकशन से बोनगांव तक के रेल पथ को दोहरा करना	Doubling of Railway Track from Dum Dum Junction to Bongaon	90
160.	हलदिया में उर्वरक तथा तेल शोधक कारखानों के निर्माण में विलंब	Delay in construction of Fertiliser and Refinery Units at Haldia	90
161.	कच्चे तेल और पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in prices of crude and Petroleum . .	90
162.	रेलवे में कमीशन-विक्रेताओं को पारिश्रमिकों	Remuneration to Commission vendors in Railways . .	91
163.	दिसम्बर, 1973 के दौरान सेवा निवृत्त लोको कर्मचारियों का तैनात किया जाना	Deployment of retired Loco running Staff during December, 1973	91
164.	कर्मचारी परिषदों के लिये रेल कर्मचारियो के प्रतिनिधियों का चुनाव	Election of Railwaymen's Representatives to Staff Councils	91–92
166.	गाजियाबाद में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Ghaziabad	92
167.	1969 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के चुनावों पर व्यय	Expenditure on elections to U.P. State Assembly in 1969 .	92
168.	कलकत्ता में भूमिगत रेल (ट्यूब रेल) के पूरा होने में विलंब	Delay in completion of Tube Railway in Calcutta . .	92
169.	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हुई हानि	Losses incurred by major Irrigation projects . .	93

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
170.	दिसम्बर, 1973 में डेक्कन एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Deccan Express in December, 1973	93
171.	कर्मी दल द्वारा 24 "बल्क" औषधियों की कीमतों के बारे में सुझाव	Suggestions from task force regarding prices of 24 bulk drugs	93-94
172.	रूसी तेल विशेषज्ञों के साथ वार्ता	Discussion with Russian Oil Experts	94
174.	तट-दूर तेल की खोज के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा सुझाये गए उपाय	Measures suggested by GSI for Off shore oil exploration .	94
175.	कोयला परिवहन योजना के बारे में रेल मंत्री के अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही	Action taken on Railway Minister's Study Team Report on Coal Transport Planning .	94
176.	"संजीवनी" नामक नए उर्वरक का विकास	Development of a new Fertiliser 'Sanjeevani'.	95
177.	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाने के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन	Feasibility studies by FCI for setting up Coal based fertiliser plants	95
178.	पंजाब में बिजली की कटौती को समाप्त करना	Restoration of Powers cut in Punjab	95-96
179.	इस्पात संयंत्रों और अन्य प्रतिष्ठानों को तेल की सप्लाई	Supply of oil to steel plants and other establishments . .	96
180.	नीला मिट्टी का तेल बेचने का निर्णय	Decision to market blue kerosene oil	96
181.	बिजली बोर्डों का घाटे में चलना	Poor Financial results by Electricity Board	97
182.	मत देने की आयु को कम करने के लिये संविधान में संशोधन करना	Amendment of Constitution in order to Lower the voting Age	97
183.	कोचीन से एलेपी होते हुए क्यामकुलम तेल्लीचेरी से कुर्ग होते हुए मैसूर और कोट्टायम से साबारी माली होते हुए मदुरै तक नयी लाइनें	New Railway Lines from Cochin to Kayamukulam via Alleppy, Tellicherry to Mysore via Coorg and Kottayam to Madurai via Sabarimali . .	97-98
184.	केरल के लिये पन-बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति	Sanction of Hydro Electric and Irrigation Projects in Kerala .	98-99
185.	पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में नई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओंको स्थापित करना	Setting up of Irrigation and Power Projects in Madhya Pradeshin 5th Plan . .	99-100
186.	अशोधित तेल के एक बेरल का मूल्य	Price of a Barrel of Crude Oil	100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
187.	एक निर्धारित सीमा से अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने और उन्हें सार्वजनिक पदों पर नियुक्त करने पर रोक लगाने के लिए कानून	Law to bar persons having wealth above certain limit from contesting Elections and holding public offices . . .	101
188.	कोयले के अभाव के कारण बिजली घरों का बंद हो जाना	Closure of Power Stations due to shortage of Coal . .	101
189.	बिजली की कमी के कारण हरियाणा में उद्योगों का बंद होना	Closure of Industries in Haryana due to Power Shortage . .	102
190.	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के आधुनिकरण के लिये योजना	Scheme for Modernisation of Sindri Unit of FCI . .	102
191.	विदेशी फर्मों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Firms .	102
192.	भाखड़ा प्रबंध बोर्ड द्वारा बिजली के उत्पादन में कमी	Reduction in Power Generation by Bhakra Management Board	103
193.	रूस की सहायता से तेल के उत्पादन में वृद्धि	Increased Oil Production with Russin Assistance . . .	103
194.	पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों में विद्युतीकरण की प्रगति की जांच करने हेतु समिति गठित करना	Setting up of a Committee to examine the Progress of Electrification in N.E. States and North Western States . .	103–104
195.	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Hasan Mangalore Railway Line . .	104
196.	हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर स्थान पर रेलवे आउट एजेंसी खोलने का अनुरोध	Request for opening a Railway Out-Agency at Hamirpur in Himachal Pradesh . .	104
197.	कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रैस के ठहरने के समय के बढ़ाने के संबंध में दिया गया अभ्यावेदन	Representation made for giving longer stoppage to Himachal Express at Kiratpur Railway Station	105
198.	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिये केरल द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance sought by Kerala for Electrification in Rural Areas	105
199.	त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय के अलग बैंच की स्थापना के लिए मांग	Demand for a Separate Bench of Kerala High Court at Trivandrum	105–106
200.	एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Passenger Trains running between Ernakulam at Trivandrum . . .	106
	8 मई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9612 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting Answer to U.S. Q. No. 9612, dated 8-5-1973	106–107
	सभापति तालिका के बारे में घोषणा	Announcement re. Panel of Chairmen	107

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
इस्पात कारखानों पर कोयले की कमी के कथित प्रतिकूल प्रभाव के समाचार	Reported coal shortage hitting Steel Plants . . .	107-110
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re Motions of Adjournment .	111
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	111-112
दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की हडताल के बारे में वक्तव्य—	Statement re Junior Doctors' Strike in Delhi—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	113-114
नियम 377 के अंतर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
उड़ीसा में अलग-अलग चुनाव तिथियां निर्धारित करने के संबंध में चुनाव आयोग का कथित निर्णय	Election Commissions reported decision staggering Polling dates in Orissa . .	114-115
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक—	National Co-operative Development Corporation (Second Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	115-116, 119-122
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya .	116-117
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	117
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	117-118
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	118
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar .	118
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh .	118
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil . .	118-119
खंड 2 से 16 और 1	Clauses 2 to 16 and 1 . .	122-127
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal .	127
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	127
राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	Motion to consider, as reported by Joint Committee—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	127-128
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	128-130
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukherjee .	130 131
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	131-132
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	132
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	133-133
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
36 वां प्रतिवेदन	Thirty sixth Report . .	133

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 19 फरवरी, 1974/30 माघ, 1895 (शक)
Tuesday, February 19, 1974/Magha 30, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मंत्रियों का परिचय
INTRODUCTION OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदया नये मंत्रियों का परिचय करायेगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं अपने नये सहयोगियों इस्पात और खान मंत्री श्री के० डी० मालवीय, संचार मंत्री श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० पी० मौर्य का आप से और आप के माध्यम से इस सभा से परिचय कराती हूँ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अशोधित तेल के आयात के लिये रूस के साथ करार

*1. **श्री राम कंवर :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और भारत के बीच हाल ही में हुए 15 वर्षीय आर्थिक सहायता करार के अन्तगत रूस भारत को अशोधित तेल देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा कितना अशोधित तेल दिये जाने की सम्भावना है और यह तेल किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ram Kanwar : We have cordial relations with U.S.S.R. They have sufficient quantity of oil. In view of this I would like to know whether negotiations to get oil from them have taken place and whether they have refused to supply oil especially when our country is facing crisis ?

2—37 LSS/73

Shri D. K. Barooah : Several issues e.g. kerosene, exploration, drilling were discussed. But that country is far off and it has not been possible to bring crude oil from there so far.

Shri Ram Kanwar : I would like to know whether they are giving any financial assistance in drilling work in Bombay ?

Shri D. K. Barooah : The hon'ble member while talking about Bombay perhaps thinking of sea? It is not so.

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या भारत सरकार ने अशोधित तेल की सप्लाई के लिये रूस सरकार से अनुरोध किया है और यदि नहीं, तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया।

श्री देवकान्त बरुआ : पहले मैंने भी यह बात समझी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि क्या रूस सरकार ने समुचय अशोधित तेल सप्लाई कर दिया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत की है। हमने यह देखा है कि दूरी बहुत अधिक है और वहां से तेल लाना सम्भव नहीं होगा।

श्री एस० आर० दामाणी : अशोधित तेल की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है और देश में कितना अशोधित तेल निकाला जाता है, और हम खपत में कितनी कमी करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रूस के बारे में है। यह सामान्य प्रश्न नहीं है। अतः यह असम्बद्ध है।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ल : क्या रूस सरकार ने उस अशोधित तेल का मूल्य अधिक बताया है जो उन्होंने भारत को भेजने का वचन दिया है, यदि हां, तो उन्होंने कितना मूल्य बताया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : वे वही मूल्य लेते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का होता है। जिस मूल्य पर करार किये जाते हैं वह निश्चय ही अधिक होता है। परन्तु मैं इसे बहुत अधिक नहीं कह सकता। फिर सभी सौदे गुप्त रखे जाते हैं।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : मेरा प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के बारे में नहीं था। मैं रूस द्वारा बताया गया मूल्य जानना चाहता हूं। यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं तब वह ऐसा कह सकते हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बदलता रहता है। परन्तु हम दोनों देशों के द्विपक्षीय करार का सम्बन्ध है, यह गुप्त है और करार की शर्तों में से एक शर्त यह भी है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग की पृष्ठ भूमि में रूस से अनुरोध किया है कि वह खाड़ी के अपने मित्र देशों के साथ अपनी सद्भावना का उपयोग करें और उन्हें इस बात के लिये राजी करें कि वे हमारे देश को उचित मूल्य पर अशोधित तेल सप्लाई करें ?

श्री देवकान्त बरुआ : रूस ने अपने मित्र देशों के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है।

तटदूर तेल खोज परियोजनाओं के लिये विदेशी सहयोग

***2. डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर तेल खोज परियोजनाओं के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं के बारे में वार्ता चल रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, हां ।

(ख) बातचीत जारी है ।

(ग) इस समय चुनीदा विदेशी दलों से अपतटीय क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों के लिए बातचीत चल रही है ।

Shri Birender Singh Rao : May I know the projects about which negotiations are taking place? Will the hon'ble Minister state whether there will be any improvement in the situation arising out of shortage of diesel and petrol by the steps being taken by him or whether it will further deteriorate? I would also like to know whether any projects have been finalised as a result of these negotiations or any conclusions have been drawn? May I also know the outcome of the visit of Petroleum Minister of U.S.S.R. to Galeki ?

Shri D. K. Barooah : This question is regarding off shore drilling. This area is near the sea which is called 'Continental Shell'. It has been divided into 10 parts. In one of these parts which is near Bombay exploration is going on and negotiations are taking place for the rest of 9 parts. It would not be proper to reveal the progress of negotiations at this stage. I had visited Galeki along with Soviet experts and they were of the view that it is quite prospective area.

Shri Birender Singh Rao : There does not seem to be any thing confidential in telling the names of the countries with whom the negotiations are takings place. I had also asked whether the situation will improve or deteriorate with this step ?

Shri D. K. Barooah : I do not think it proper to tell the names of the countries with whom the negotiations are taking place or the nature thereof. In so far as off-shore drilling is concerned, it will take time. This work will be given to a company which will undertake exploration. It will take 4-6 years. We do not hope much with regard to off-shore drilling during the Fifth Five year Plan. If oil is struck in the off-shore drilling then the situation will definitely improve. We shall have to wait for some time.

डा० हेन्री आस्टिन : क्या सरकार को कोचीन में एक नौसेना अधिकारी द्वारा हाल ही में किये गये एक प्रस सम्मेलन के बारे में जानकारी है जिसमें उसने तेल की खोज के बारे में पूर्वापेक्षाओं के सम्बन्ध में अपने अध्ययन का ब्यौरा बताया था ? उस प्रैस सम्मेलन में कोचीन बन्दरगाह के उप-संरक्षक श्री एम० वी० के० मेनन ने बताया था कि जिस क्षेत्र में झींगे मिलते है वहां ही तेल होने का संकेत होता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में हाल में तटदूर मिले तेल सहित अनेक उदाहरण दिये है और इस अध्ययन के आधार पर तेल की सम्भावना का भी उल्लेख किया है। यदि यह बात ठीक है तो क्या मंत्री महोदय केरल तट पर तेल की सम्भावना का पता लगाने के काम को उच्च प्राथमिकता देंगे जहां पर इण्डों-नार्वेयन दल ने पहले ही मंगलौर से लेकर त्रिवेंद्रम के निकट विन्हीन्जम तक झींगे उपलब्ध होने वाले व्यापक क्षेत्र का पता लगा लिया है और उस अध्ययन के आधार पर झींगे पकड़ने का काम ज़ोरों पर है । इसके आधार पर हम तेल की खोज का काम भी तेज़ कर सकते हैं ।

श्री देवकान्त बरुआ : भूकम्पीय और समुद्र-तल सर्वेक्षण जिसके आधार पर तटदूर छिद्रण कार्य किया जा सकता है, बहुत ही कठिन और पेचीदा मामले है जिनके लिये गहन अध्ययन की आवश्यकता है, कोचीन बन्दरगाह पर नौसेना अधिकारी के वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ परन्तु जब तक विशेषज्ञ गहन वैज्ञानिक और आधुनिक अध्ययन करके इस दावे का समर्थन न करें तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

डा० हेन्री आस्टिन : उसने वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम का ही उल्लेख किया है ।

श्री वयालार रवि : इस विषय पर विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ विचार विमर्श क्यों न कर लिया जाये ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैं किसी नौसेना अधिकारी का दावा तब तक नहीं स्वीकार कर सकता जब तक कि वह इस विषय का विशेषज्ञ न हो। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है केरल तट सहित समस्त भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्र में सम्भावनाएं है।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि रूसी विशेषज्ञों के विचार में गैलेकी और आसाम के अन्य क्षेत्र में तेल मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अपर आसाम प्रदेश में तेल क्षमताओं का पता लगाने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौनसी परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तटदूर छिद्रण के बारे में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या तटदूर छिद्रण के बारे में विदेशी पार्टियों के साथ सरकार की बातचीत के दौरान कोई पार्टी ऐसी शर्त भी रख सकती है कि तटदूर छिद्रण के परिणामस्वरूप जो तेल मिलेगा उसका कुछ भाग उनकी सम्पत्ति होगी और वे अपनी इच्छानुसार उसका निर्यात कर सकेगी ? यदि कोई ऐसी शर्त रखी जाती है तो क्या सरकार अपनी नीति के तौर पर उसको स्वीकार करेगी या रद्द कर देगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : माननीय सदस्य की भावना की मैं सराहना करता हूँ परन्तु मुझे आशा है कि हम ऐसी स्थिति का मुकाबला कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह ठीक है परन्तु क्या वह इस प्रकार के प्रस्ताव से सहमत होंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : इन सब मामलों पर बातचीत चल रही है।

सरकार द्वारा एस्सो कम्पनी के ईक्विटी शेयरों का अर्जन

*3. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री भालजी भाई परमार :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत में कार्य कर रही एस्सो कम्पनी के 74 प्रतिशत ईक्विटी शेयरों का अर्जन करेगी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर हो गये है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) : एस्सो के साथ उसके 74 प्रतिशत ईक्विटी शेयरों को अर्जित करने सम्बन्धी बातचीत अग्रिम अवस्था में है। और इस सम्बन्ध में एक विधेयक शीघ्र ही लोक सभा में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

Shri Shrikishan Modi : The Government have already fifty per cent shares of ESSO company and they will have to pay Rs. 200 crores for purchasing 74 per cent shares keeping in view the present economic crisis I would like to know whether Government cannot do with 51 per cent shares?

Mr. Speaker : You can express your views during the discussion on the Bill.

Shri Shrikishan Modi : May I know whether same thing will be done in the case of Burmah Shell ...

Shri D. K. Barooah : This aspect will also be touched during the discussion on the Bill.

Shri Shrikishan Modi : May I know whether same policy will be adopted in the case of other companies as it is being done in the case of ESSO ? Whether he proposes to purchase 74 per cent shares of that company also.

Shri D. K. Barooah : Most probably same policy will be adopted in case of other companies also but if conditions and environments change then there may be some improvement.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐस्सो कम्पनी की समस्त पूंजी का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण है विशेषकर जब हमने यह करार किया है जो आस्थगित रूप में सात वर्ष तक रहेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह बात केवल राष्ट्रीयकरण की नहीं है ; इसको एक दूसरे की सहमति से अर्जित किया जा सकता है और हमने यह सोचा था कि और सात वर्षों के लिये अशोधित तेल सप्लाई करने के बारे में करार किया जा सकता है । वस्तुत: यही कारण है कि हम उनके साथ कुछ सम्बन्ध बनाये रखना चाहते है ।

Shri Ishaque Sambhali : The Government is aware of the fact that oil companies have earned hundred and thousand times profit in India and they have also repatriated huge sums. Then what is the difficulty in nationalising Esso alongwith other oil companies instead of purchasing shares of ESSO ?

Shri D. K. Barooah : The policy of this Government is that compensation is given for acquisition. If we nationalise these oil companies then whatever oil is being imported by them, even that will be stopped.

Shri Ishaque Sambhali : Iran and Saudi Arabia are prepared to supply oil directly. Then what is the difficulty?

Shri D. K. Barooah : Who has said so and when and to whom ?

Shri Ishaque Sambhali : It has been published in the newspapers.

श्री एच० एन० मुकर्जी: श्रीमान् जी, क्या मै मंत्री महोदय के उत्तर से यह अनुमान लगा लूं कि वर्तमान स्थिति में भी सरकार तेल का उत्पादन करने वाले देशों से, जिनके साथ हमारे निकट सम्पर्क बने हुये है, सीधी वार्ता करने के बजाये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम एस्सो जैसी कम्पनी के माध्यम से तेल प्राप्त करना अधिक पसन्द करती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : एस्सो, कालटैक्स और बर्माशैल उन तेल उत्पादक से तेल ले आती है और वह मूल्य, जिस पर हम इन कम्पनियों से तेल प्राप्त करते है, उस मूल्य से कम है जो हम तेल उत्पादक देशों को दे रहे है ।

तेल की स्थिति पर पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (औपेक) के महासचिव के साथ बातचीत

*6. **श्री के० लकप्पा :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के महा सचिव ने भारतीय नेताओं के साथ कोई बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से तेल संकट के विषय में भी उनके साथ बात चीत हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) पेट्रोलियम निर्माणकर्ता देश संगठन के सेक्रेटरी जनरल से हुई चर्चा वाले विषयों में अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, विकासशील देशों पर उसका प्रभाव और उस स्थिति का मुकाबला करने के सम्भव उपाय भी थे।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (औपैक) ने उस स्थिति को, जो संसार में बन चुकी है, देखते हुए, तेल मूल्यों का विश्वव्यापी मूल्यांकन किया है। भारत जैसे विकासशील देशों पर निर्यात करने वाले देशों के संगठन (औपैक) के निर्णय का कहां तक कुप्रभाव पड़ेगा।

श्री देवकान्त बरुआ : यह बात सच है कि पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने मूल्य बढ़ा दिया है और इस लिये हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडता है। हम उनके साथ यह पता लगाने के लिये बातचीत कर रहे हैं कि क्या वे हमारे लिए कुछ सुलाभों की व्यवस्था कर सकते है ताकि हम उस तेल के लिये भुगतान कर सके जो हमें मिलता है। जहां तक उपलब्धता का संबंध है, वह संगठन कहता है कि वह हमें तेल देगा किन्तु हमें लगता है कि हमारे संसाधन इतने नहीं है कि हम उस मूल्य का भुगतान कर सकें जिस पर हमें तेल खरीदना है।

श्री के० लकप्पा : क्या द्विपक्षीय समझौते कर के भारत सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिये कोई प्रयास किया गया है जिससे पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल के, जिनकी तेल उत्पादक देशों को आवश्यकता होती है, बदले में तेल लिया जा सके।

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां, श्रीमान्। जो हम न केवल पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन (औपैक) के साथ, अपितु तेल उत्पादन देशों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। हम पहले हो कुछ योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। हमने पहले ही ईराक के साथ एक प्रबन्ध किया हैं। हमारे विदेश मंत्री ईरान जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार के द्विपक्षीय प्रबन्ध करने के लिये बातचीत की जा सके जिससे हम उससे कम विदेशी मुद्रा देकर तेल खरीद सकें जो हमें सामान्य रूप से देनी पड़ेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा विकासशील देशों के लिये पैदा हुई कठिन स्थिति को देखते हुए पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन (औपेक) के साथ हुयी चर्चा का कोई परिणाम निकला है? क्या विकासशील देशों का कोई सम्मेलन बुलाया जायेगा। ताकि तेल उत्पादक देशों के साथ सामुहिक रूप से चर्चा की जा सके और कुछ लाभ प्राप्त किये जा सकें?

श्री देवकान्त बरुआ : मैं विदेशी मामलों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहता, किन्तु, मैं यह कह सकता हूँ कि हम नहीं चाहते कि तेल उत्पादक देशों के साथ तनाव का वातावरण पैदा हो जाये। मेरे विचार में वह उस की सराहना नहीं करेंगे। यह पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के महासचिव का परामर्श है कि वे देश सामूहिक रूप से कुछ ऐसे निर्णय करने का प्रयास करेंगे जिससे विकासशील देशों की सहायता की जा सके। इसके साथ ही हमें यह भी परामर्श दिया गया है कि हमें विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिये और ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये जहां तेल उत्पादक देशों तथा विकासशील देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम लगातार अनेक वर्षो से इसराइल के विरुद्ध अरब देशों की सहायता तथा उनका समर्थन करते रहे हैं। क्या उन्होंने कोई रियायत दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हो नहीं उठता है।

श्री देवकान्त बरुआ : जी, हां श्रीमान् जो, उन्होंने अनेक पश्चिमी देशों को तेल सप्लाई करना बन्द कर दिया है, किन्तु हमें तेल सप्लाई कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी।

श्री एम० राम गोपाल रेडडी : क्यों, श्रीमान् जी?

अध्यक्ष महोदय : यह उस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। आपको इस प्रकार सीधा प्रश्न पूछना चाहिये : अरब देशों को हमारे निरन्तर समर्थन को देखते हुए क्या हमें कुछ रियायत मिली हैं। अब माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे सकते है जो मैंने माननीय सदस्य की ओर से पूछा है।

श्री देवकान्त बरुआ : बेशक अरब देश भिन्न भिन्न तरह के हैं। उनमें कुछ देश हमारे देश को मित्रदेश मानते हैं और उन्होंने हमें की जा रही तेल की सप्लाई में किसी प्रकार की कमी नहीं की है। जहां तक मूल्य का संबंध है, कुछ देशों ने हमें कुछ रियायत दी है और यह बात हो सकती है कि बातचीत तथा द्विपक्षीय समझौतों द्वारा हम उन से बेहतर शर्तों पर जिन पर पश्चिम देशों को प्राप्त हो रहा है। तेल प्राप्त करने में समर्थ हो जायें।

श्री एस० बी० गिरी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ देशों ने मूल्यों के संबंध हमें रियायतें प्रदान की हैं। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की तुलना में हमें रियायतें दी हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : यह समझौता हुआ था कि वे देश अपने नाम बताये जाने को पसंद नहीं करगे, क्योंकि अन्य अनेक देशों से इसी प्रकार की रियायतों के लिये दबाव पड़ने लगेंगे। अतः, उन देशों के नामों का उल्लेख करना हमारे हित और उनके अपने हित में नहीं होगा।

मद्रास तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिये ईरान के साथ करार

*7. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिये भारत और ईरान के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यद्यपि मंत्री महोदय ने "नहीं श्रीमान्" और "प्रश्न पैदा नहीं होता" कहा है तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ईरान के आर्थिक मंत्री, श्री एच० अंसारी के साथ हमारे देश को आशोधित तेल की सप्लाई तथा मद्रास तेल शोधक कारखाने के विस्तार के संबंध में कोई चर्चा हुयी थी।

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां, मद्रास तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि ईरानियत आइल कम्पनी मद्रास तेल शोधक कारखाने के कुछ प्रतिशत भाग को मालिक है। तेल की सप्लाई के लिये उस कम्पनी के साथ किया गया

हमारा समझौता आगामी वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं। हम ने सोचा कि उन्हें मद्रास तेल शोधक कारखाने को तेल की सप्लाई जारी रखनी चाहिए।

हमने उनके साथ विस्तार के प्रश्न पर विचार विमर्श किया। विस्तार के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उपकरण में कुछ परिवर्तन करके क्षमता बढ़ाई जाये। वैसा करके हम क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ा कर 33 लाख टन कर सकते हैं। उस पर विचार किया जा रहा है। दूसरा तरीका यह है कि मद्रास तेल शोधक कारखाने का पर्याप्त विस्तार किया जाये। इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया, क्योंकि यदि तेल उपलब्ध हो भी जाये तो भी हम किसी भी तरह इसे प्रचलित मूल्य पर नहीं खरीद सकेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सरकार मद्रास तेल शोधक कारखाने के आसपास पैट्रोलियम रासायनिक समूह तथा उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है। वह इसके साथ संबंधित नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए मैंने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। फिर भी मैं यह बात देखूंगा कि यह अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार मुख्य प्रश्न के साथ संबंधित है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ईरान के आर्थिक मंत्री के साथ हुई चर्चा को देखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ईरान की सहायता से मद्रास तेल शोधक कारखाने के आसपास पैट्रोलियम रासायनिक समूह तथा उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री देवकान्त बरुआ : मद्रास तेल शोधक कारखाने के पड़ोस में पहले ही एक उर्वरक संयंत्र है और मद्रास तेल शोधक कारखाने के किसी भी प्रकार के विस्तार का प्रभाव चाहे यह सीमान्तक हो अथवा मौलिक, मद्रास उर्वरक कारखाने के आकार पर आवश्य पड़ेगा। जहां तक पैट्रोलियम रासायनिक समूह का संबंध है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों से तुरन्त पहले प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने के बारे में शिकायतें

*10. **प्रो० मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग से इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों से तुरन्त पहले प्रधान मंत्री द्वारा ऐसी परियोजनाओं का जिनको चौथी या पांचवीं योजना में मंजूरी नहीं दी गई है, शिलान्यास कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना एक भ्रष्ट प्रक्रिया है जिसका निर्वाचन परिणामों पर कुप्रभाव भी पड सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग को माननीय सदस्य की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन अभियान के दौरान प्रधान मंत्री परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही हैं जो एक भ्रष्ट आचरण है। निर्वाचन आयोग ने यह पत्र सरकार के पास भेज दिया है। सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान् जी, इससे पूर्व कि मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने अनुपूरक प्रश्न पूछूं, मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि उत्तर देते हुये संबंधित मंत्री ने मेरे इस पत्र का गलत रूप से उद्धरण दिया है जो मैंने निर्वाचन आयोग को भेजा था और जिसे सरकार के पास भेज दिया गया है। अपने पत्र में मैंने यह आरोप नहीं लगाया है कि प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास करना एक कदाचार है। मैंने तो यह कहा था कि उन परियोजनाओं का शिलान्यास करना एक कदाचार है जिन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है और जिन्हें चौथी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंत्री द्वारा इसे तोड़ मरोड़ कर कहा है। **(व्यवधान)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : तोड़ मरोड़ बिलकुल ही नहीं की गई है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अभी अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं आपके द्वारा कही गयी बात के संबंध में कह रहा हूं। जो कुछ माननीय सदस्य ने निर्वाचन आयोग को लिखा है, उसे तोड़ मरोड़ कर बिलकुल ही नहीं कहा गया है। मुझे उसे पढ़ कर सुनाने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। कोई बात छुपाने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजी गयी शिकायत का प्रथम भाग उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास करने के बारे में था और इस शिकायत का दूसरा भाग यह था कि इन परियोजनाओं को योजना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिये यह कदाचार है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। यदि इन्हें चौथी योजना या पांचवीं योजना में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह कदाचार है। अन्यथा यह कदाचार नहीं है। उनके इस प्रश्न में जोर इस बात पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में शिलान्यास कराये जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपना प्रथम अनुपूरक प्रश्न पूछता हूँ। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत चुनावों से पूर्व की गयी विकासात्मक कार्यवाहियों को कदाचार नहीं समझा जा सकता किन्तु निश्चय ही यह एक बुरी बात है और एक बुरी बात और कदाचार में अन्तर बहुत ही कम है।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने जिस निर्णय का उद्धरण दिया है मैं उसे तथा एक अन्य उद्धरण के बारे में भी जानता हूँ। प्रश्न यह है कि वहां भी जहां तथ्य इस मामले के तथ्यों जैसे नहीं थे, मंत्री महोदय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम करने के लिये विवेकाधीन विधि में से कुछ धन व्यय किया था, उसके आधार पर भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के अन्तर्गत यह कदाचार नहीं है। प्रथम बात तो यह है कि उस प्रकार का कुछ भी यहां नहीं हुआ है सरकार द्वारा अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जांच कराये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यह निर्णय करने का अधिकार कि कोई कदाचार किया गया है अथवा नहीं संविधान की धारा 329 के अधीन संसद द्वारा पारित कानून, अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा नियत प्राधिकरण में है। निर्वाचन आयोग अथवा सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच कराये जाने का बिलकुल प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने अपने निर्वाचन अभियान से उत्तर प्रदेश में जिस स्वर्णयुग का श्रीगणेश किया है, उसने दिसम्बर से 2 फरवरी तक 35 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उदाहरण के तौर पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या (क) सोन पम्प नहर परियोजना (ख) फैजाबाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नया कृषि विश्व विद्यालय (ग) फूलपुर उर्वरक परियोजना और (घ) झांसी में बी० एच० ई० एल० के मामले में आवश्यक स्वीकृति ले ली गयीं थीं, और यदि नहीं, तो क्या यह होने वाले चुनावों में सत्तारुढ़ दल के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये सत्तारुढ़ दल द्वारा अपनाया गया कदाचार अथवा बुरी प्रथा नहीं है?

श्री एच० आर० गोखले : यह कल्पना करते हुए, परन्तु स्वीकार किये बिना कि शिलान्यास करना एक कदाचार है, माननीय सदस्य की यह धारणा, कि 17 जनवरी के पश्चात् कुछ किया गया बिलकुल गलत है। उत्तर प्रदेश में चुनावों संबंधी अधिसूचना 17 जनवरी को जारी की गयी थी और उस तिथि के पश्चात कोई शिलान्यास नहीं किया गया।

Shri Narsingh Narain Pandey : In view of the fact that U.P. has remained backwared since independence till now and the foundation stones of the projects set up during the last 2-3 years which have always been laid before their notifications were issued. Will the Hon'ble minister take note as if that the things being said here are politically motivated and are being said deliberately to keep U.P. backward? I want to know what is unjustified in it? *(Interruption)*. I want to know that since independence how many projects have been set up in U.P. and also in other States *(Interruption)*.

Mr. Speaker : If you can win your election here, I would keep selling quiet; you may try. But beware of the fact least you may lose.

श्री एस० ए० शमीम : प्रश्न के दो भाग हैं। भाग (1) यह है कि क्या यह एक भ्रष्ट प्रक्रिया है अथवा नहीं। उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है। दूसरा भाग यह है ......

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री एस० ए० शमीम : आखिरकर आपने इस ओर से इतना अधिक शोर शराबा सुन लिया है, कृपया कुछ ठोस बात भी तो सुनियें। इसका दूसरा भाग यह है कि क्या इन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है और इन योजनाओं का शिलान्यास किया गया अथवा नहीं। इस प्रश्न में यह कहा गया है कि शायद उनको मंजूरी नहीं दी गयी। मंत्री महोदय ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

दूसरा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 17 जनवरी के पश्चात् न तो कोई शिलान्यास किया गया और न ही कोई उद्घाटन किया गया। यहां मेरे पास 6 फरवरी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' का अंक है।' 'फाउडेशन्स आफ एलेक्ट्रोरल सक्सैस' शोर्षक के अन्तर्गत 16, 20, 22 जनवरी और 2 फरवरी तक रखे गये विभिन्न शिलान्यासों और मंजूरी दी गयी योजनाओं का विवरण दिया गया है। ये वे तिथियां हैं जब योजनाओं का उद्घाटन किया गया और शिलान्यास रखे गये थे। क्या माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इन तथ्यों को वास्तविकता क्या है?

श्री एच० आर० गोखले : मैं उस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता जिसे इस समाचार पत्र ने लिखा है, किन्तु मैं तो वही कुछ बता सकता है जो मैं जानता हूँ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या इन योजनाओं को मंजूरी दी गयी अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गयी थी। वह केवल एक सामान्य उत्तर ही दे सकते हैं न कि प्रत्येक योजनाओं का विवरण।

Shri Hukam Chand Kachwai ; Mr. Speaker, Sir, I want to ask the Hon'ble Minister through you, whether many of the 35 foundation stones laid down in U.P. by the Prime Minister were even laid 4-5 years ago and now the foundation stones have been laid again and whether she had laid foundation stones in other states also during the last 3-4 months which are behind the schedule for the last so many years ? Secondly, I want to know the number of foundation stones laid in U.P. and the amount to be spent there on and the date, by which the work on them would start ?

Mr. Speaker ; If you have asked like this, whether any foundation stones have been laid which have not been sanctioned, you will have to give notice separately because this does not arise out of the original question. There is no question of sanction.

श्री एस० ए० शमीम : यह इस प्रश्न का भाग है क्या ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है जिनकी चौथी अथवा पांचवीं योजना में मंजूरी नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं।

There is no question of sanction in this.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my question was a clear one.

Mr. Speaker : But how it arises.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether out of about 35 foundation stones, which have been laid, have been laid again and whether foundation stones have been laid in any other state during the last 3-4 months. ?

Mr. Speaker : I would allow this question. Please give the notice for this separately.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please state the number of foundation stones laid during the last three months.

Mr. Speaker : You are putitng a general question . Please put question in relation to the main question. If you want to ask about this, then please give a separate question.

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, Sir, you have called my name and I am standing, but these people are interrupting. Please ask them to sit first. (*Interruption*).

Mr. Speaker : You cannot make the question relevant by making noice.

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, I want to know from the Hon'ble minister throught you whether it is not proper to do any work of public welfare during the elections. I want to know that whether it is not a corrupt practice to say about any developmental schemes of a state that it is not proper? Whether it is not a corrupt practice to put obstacles in the way of developmental schemes of any state? Whether it is not a corrupt practice on the part of the opposition?

Shri Hukam Chand Kachwai : Please get my question answered that how many foundation stones have been laid in U.P. during the last 3 months (*Interruptions*).

Mr. Speaker : The minister has not got any encyclopaedia, on the basis of which he may give you information regarding everything. Your question does not arise from the main question The Hon'ble minister has brought the information regarding that question for which notice has been given. If you want the answer of your question, then please give the notice for that separately.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know that whether the same number of foundation stones have been laid are in backward states of Bihar, Orissa which have been laid in U.P.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया है कि यह कोई भ्रष्ट प्रक्रिया नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, please get my this question answered that the time by which these schemes would be implemented, and the amount to be incurred thereon. (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : क्या निर्वाचन आयोग से इस आशय की शिकायतें की गयी हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों से तुरन्त पहले प्रधान मंत्री द्वारा ऐसी परियोजनाओं का जिनको चौथी या पांचवीं योजना में मंजूरी नहीं दी गयी है, शिलान्यास कराने के लिये कार्यक्रमों

का आयोजन किया गया है जिसका निर्वाचन परिणामों पर कुप्रभाव पड़ सकता है। क्या यह भ्रष्ट प्रक्रिया नहीं है ? आप इस प्रश्न को इस प्रश्न के साथ कैसे संबद्ध कर सकते हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने शिलान्यास किये गये? यदि आप ने इसके लिये उचित सूचना दी होती तो मैं इसकी अनुमति दे सकता था।

If you ask from him that how many foundation stones have been laid during the last three months, how the minister can know about it until you give notice for it. Why are you wasting the time of the whole House. You don't even obey the orders of the Chair. This question relates to the complaint made to the Election Commission.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please get my question answered that how much amount is likely to be incurred on these projects?

Mr. Speaker : If you want to know this, you would have put the question in this regard. How this question arise from it. If you have to make noice here and outside what is the use of democracy. Do you think that by making noise everything would be done?

Shri Phool Chand Verma : The Hon'ble minister has said that no foundation has been laid after 17th January, whereas Mr. Shamim has said that the foundation stones have been laid on 4, 5, 6, 7 and 12 February and he has quoted the newspaper report in this regard. (*Interruptions*).

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, Sir, they are going to be defeated in U.P., so they are making noise here. I could even hear the answer of my questoin due to their noise. If they want to do anything, they should go there and do that thing. They should not interrupt the proceeding of this House (*Interruptions*).

Mr. Speaker : If they do like this in the House itself, what would be their attitude outside. If the ministry is formed by Jan Sangh and you become a minister, whether you would speak and answer like this please sit.

Shri Phool Chand Verma : Please don't say like this. I have been a minister in Madhya Pradesh, but I have not done any thing wrong.

Mr. Speaker : Whether you used to speak like this ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my question was a direct one please get my question answered. (*Interruptions*).

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं इन सदस्यों को प्रार्थना कर रही थी कि वे कम से कम शिष्ट भाषा का उपयोग तो करें और समूची सभा को शोर शराबे का स्थान न बनायें। प्रत्येक सदस्य इस प्रकार शोर नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस बात को नहीं सुन सकते, जो वे कहना चाहते हैं। कम से कम हमें यह तो पता लगे कि वे कहना क्या चाहते हैं और मंत्री महोदय को उत्तर तो इने दिया जाये, यदि उन्होंने कोई उत्तर नहीं देना हो। किन्तु इस सभा में शिष्टता को बनाये रखा जाये। महिला होते हुए मैं सदस्यों से प्रार्थना करती हूँ कि वे शिष्ट भाषा का प्रयोग करें।

श्री के० एम० चावडा : वह महिला प्रधान मंत्री को प्रार्थना कर सकती है कि वह इस संबंध में अपने दल के सदस्यों का मार्गदर्शन करें।

श्रीमती रोजा देशपांडे : नहीं, मैं ऐसा नहीं करुंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती रोजा देशपांडे का आभारी हूँ कि वह आ गयी हैं और उनका भाषण शान्त तथा नरम प्रभाव से शुरु हो गया है। किन्तु मेरे विचार में वह गलत स्थान पर बैठी हुयी हैं, मेरा अर्थ गलत पड़ौसी है।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं अपने आपही यहां नहीं बैठी हूँ, किन्तु मुझे यहां बैठने के लिए कहा गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेंजीन और टोल्यून उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादन शुल्क रियायतों का दुरुपयोग

*4. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी एल-6 के अन्तर्गत आने वाले बेंजीन और टोल्यून उपभोक्ता, अधिसूचित मूल्य पर 6 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क दे रहे हैं;

(ख) क्या श्रेणी एल 6 के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह दर बहुत अधिक है;

(ग) क्या श्रेणी एल 6 के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ता एल 6 के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं को बेंजीन और टोल्यून चोर बाजार में बहुत अधिक मूल्यों पर बेंच कर उत्पादन शुल्क रियासत का दुरुपयोग कर रहे है, और

(घ) यदि हां, तो इन कदाचारों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन-मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां। एल 6 श्रेणी के अधीन प्रयोक्ता प्रति किलोलीटर पर या तो 34/- रुपये की दर मीटर से या 150/- रुपये की दर से मूल उत्पादन शुल्क दे रहे है, इस पर निर्भर करते हुए कि कीट नाशी घोल स्प्रे और संसपेंशन को तैयार करने में अभी अन्य विशिष्ट औद्योगिक उपयोगों के लिये विलाभक द्रव्य के रुप में बेंजीन और टोल्यून का उपयोग किया जाता है ।

(ख) अन्य सब पर लागू होने वाली शुल्क दर (जिसमें एल 6 से भिन्न श्रेणी के उपभोक्ता शामिल है) इस समय 2,000 रुपये प्रति किलो लीटर है।

(ग) यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के क्षेत्र में आता है । कुछ समय पहले उस विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से दुरूपयोग या गिनती से बाहर के कुछ मामलों का पता चला था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Rationing of Kerosene Oil in Delhi

*8. **Shri Chandra Bhal Mani Tiwari** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring Kerosene oil under rationing in Delhi

(b) if so,the main features thereof; and

(c) whether after rationing of Kerosene oil, provision for appropriate punishmen will also be made in order to check irregularities?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borroah) : (a) It reported by the Delhi Administration that there is no proposal at present to bring Kerosene oil under rationing. A scheme of registration of food cards with K. Oil dealers has bee introduced to regulate the distribution of Kerosene oil.

(b) Food cards upto 4 sugar units are entitled to obtain 4 litres of Kerosene oil in a fortnight. One litre extra per fortnight has been allowed for each extra sugar unit subject to maximum of 10 litres of Kerosene oil. Food card holders will obtain his supplies of Kerosene oil only from the dealer with whom the food card is registered.

(c) Provision for taking action against the dealers already exists under the Delhi Kerosene Oil (Export & Price) Control Order, 1962.

न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों में सुधार करने के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट पर किया गया निर्णय

***9. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री के० कोदुंडारामी रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों में सुधार करने के सम्बन्ध में विधि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 13 मार्च 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों तथा उपलब्धियों में समुचित सुधार लाने के लिए विधि आयोग के प्रस्तावों पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) चूंकि सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य सरकारें ही प्राथमिक रूप से सम्बन्धित है, अतः इस मामले में राज्य सरकारों को लिखा गया है । उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कोयले से तेल निकालने का द्रुत कार्यक्रम

***11. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले से तेल तथा रसायन निकालने के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू करने के लिये, 39 लाख रुपये मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति और योजना आयोग द्वारा अब तक किए गए अन्वेषी अध्ययनों के आधार पर एक दल की स्थापना करने का निश्चय किया है जो कोयले से तेल का निर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना के वास्ते संभाव्यता अध्ययन करेगा। इस उद्देशीय के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यान्वयन सम्बन्धी अगले निर्णय लिए जाएंगें ।

तेल पर आधारित उद्योगों के लिए पेट्रोल के आवंटन में कमी करना

*12. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की कमी को ध्यान में रखते हुए, तेल पर आधारित उद्योगों के ईंधन आवंटनों में भारी कटौती करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल पर आधारित उद्योगों के लिए पेट्रोल का राशन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या वैकल्पिक उपाय करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जब कि मोटर गैसोलीन (पैट्रोल) अधिकांशत: केवल मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, ईंधन तेल, तेल पर आधारित उद्योगों द्वारा इस्तमाल किया जाता है कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि और विश्व बाजार में भट्टी के तेल की नाजुक उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए देश की भट्टी के तेल संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण रुप से पूरा करना संभव नही हो सका है । अत: सरकार ने तेल कम्पनियों को जनवरी तथा फरवरी, 1974 के दौरान पिछली खपत पर आधारित औद्योगिक यूनिटों की सामान्य खपत के 90% को पूरा करने का परामर्श दिया है ।

(ख) और (ग) : भट्टी के तेल का राशन किये जाने का इस समय कोई विचार नही है । तथापि विभिन्न उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई का नियतन करने के लिए सचिव तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति नियुक्त की गई है ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के लिए बिजली पैदा करने वाला जनरेटर

*13. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में विद्युत संकट के कारण इंजनों के निर्माण में बाधा पड रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बिजली पैदा करने वाला अपना पृथक जनरेटर लगाने की योजना बना रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) डीजल रेल इंजन कारखाना अपनी आंशिक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से लगभग 1.5 मैगावाट का एक डीजल जनित्र सेट संस्थापित करने की योजना बना रहा है। जब कि उसकी अधिक तम मांग 3.8 मैगावेट की है ।

तेल संकट

*14. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रायल इंस्टीटयूट आफ इंटरनैशनल अफेअर्स के निदेशक ने भारत को तेल संकट के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत ने तेल का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा तेल के मूल्य में की गई वृद्धि के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विरोध प्रकट किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार इस संकट से पूरी सजग है और हर स्तर पर वह सक्रिय प्रयास कर रही है कि यह सुनिश्चित हो सके कि मांग पूरा करने के लिए अशोधित तेल की सप्लाई यथा संभव जारी रहे और अर्थनीति के सक्रिय क्षेत्रों की सप्लाई विशेषकर देश की अर्थनीति पर कोई अनुचित दबाव नहीं है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा बर्माशेल को अपने नियंत्रण में लिया जाना

*15. **श्री सी० जनार्दनन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम कोचीन स्थित बर्मा शेल के प्रतिष्ठान को और उन क्षेत्रों के विपणन सम्बन्धी कार्यों को जिनमें कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने से तेल सप्लाई किया जाता है, अपने नियंत्रण में ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस से प्रभावित कर्मचारियों को सेवा में रखने के बारे में सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) कोचीन सप्लाई क्षेत्र में बर्मा शेल के व्यापार तथा अन्य सम्बन्द्ध मामलों, जैसे, भारतीय तेल निगम की आवश्यकता के अनुरूप बर्मा शैल की संस्थापना तथा जन शक्ति का अर्जन, को हाथ में लेने के प्रश्न पर भारतीय तेल निगम विचार कर रहा है ।

(ख) तथा (ग) इस मामले पर भारतीय तेल निगम तथा बर्मा शैल में बातचीत चल रही है, अतः इस समय विस्तृत सूचना देना सम्भव न होगा।

खम्भात के बेसिन में तेल और गैस क्षेत्र

*16. **श्री भान सिंह भोरा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात के बेसिन में चूना पत्थर की अनेक ऐसी परतों का पता लगा है जिन से तेल अथवा गैस मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) अरब सागर के तारापुर स्ट्रक्चर में अभी हाल ही में व्यधन किए गए कूप में उच्च फासिल मय चूना पत्थर की अनेक ऐसी परतों का पता चला था। खम्भात की तल छटीय बेसिन के अपतटीय विस्तार में यह कूप स्थित है । व्यधन के दौरान कुछ परतो से गैस की विद्यमानता का संकेत मिला है। उनमें से दो परतों का परीक्षण किया था और उस से गैस की विद्यमानता की पुष्टि हुई पर इसे वाणिज्यिक स्तर का नहीं पाया गया।

Prime Minister's award on Narmada Water Dispute

***18. Shri Phool Chand Verma :**

Shri P. G. Mavalankar :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister was to announce her award on Narmada Water Dispute on 1st January, 1974; and

(b) the reasons for the delay in announcing the award and the time by which the said award is expected to be announced?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) The problem is a very complex one and is under careful study in all its relevant aspects. It is difficult to indicate precisely by when the award will be announced.

Conditions laid down by Oil Producing Countries on Profits

***19. Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether with a view to stabilizing prices, the crude oil producing countries have laid down a condition that the oil consuming countries should not allow a profit of more than 100 per cent to the oil companies in their countries ;

(b) if so, whether Government are aware of the profits being earned by the oil companies in India ; and

(c) if so, the percentage of such profits and Government's reaction thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) ; (a) to (c) According to the information of the Government the buy-back prices at which the oil companies would be obtaining crude oil from the producing countries are still under negotiation. It is, therefore, not possible to determine the quantum of profits that would accrue to the oil companies.

Railways' own Power Stations

***20. Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri E. V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in the context of power crisis in various States and the shortage of diesel oil and also keeping in view the importance of electrification of trains, the Railways have decided to set up their own power stations; and

(b) if so, the outline of the scheme in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposals under consideration consist of setting up three captive power stations— one each in West Bengal, U.P., and Bihar, inter-connected with the grid system of the Electricity Boards for economic operation, to provide assured power supply for electric traction and other important railway installations. It is also proposed to expand the capacity of the Railways' existing Power Station at Kalyan (Chola). Feasibility studies are presently in hand.

दिसम्बर, 1973 में रेलवे की आय में कमी

1. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 की तुलना में दिसम्बर, 1973 में रेलवे की आय में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और भविष्य में इस बार में सरकार का विचार कौन से उपचारात्मक उपाय करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) (i) कमी मुख्यत: लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, कोयले की कमी, बम्बई बंद के कारण यातायात में अस्त व्यस्तता के कारण हुई है।

(ii) सरकार इस मामले की ओर निरन्तर ध्यान देती रही है और ऐसे उपचारात्मक उपाय जो आवश्यक समझे जाते है, पहले से ही समय समय पर किये जा रहे हैं।

बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद उद्योग समूह के औद्योगिक कारखानों का बन्द होना

2. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद उद्योग समूह के अधिकांश औद्योगिक कारखाने बंद होने की स्थिति में है ।

(ख) क्या फरीदाबाद उद्योग संघ ने केंद्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने और नार्थ इंडियन पावर ग्रिड बनाने की बात को व्यावहारिक रूप देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कुछ ऐसे आवश्यक उद्योगों को छोडकर जिन्हें इस विद्युत कटौती से छुट दी गई थी फरीदाबाद औद्योगिक केन्द्र में अन्य उद्योगों में विद्युत की खपत पर 60% तक की कटोतिया लागू की जाती है । बहरहाल इसके कारण किसी भी उद्योग के बंद होन की कोई आशंका नहीं है। फरीदाबाद उद्योग संघ ने उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड की स्थापना के लिए आग्रह किया है ताकि विद्युत की कमी को विभिन्न राज्यों के बीच बांटा जा सके । बहरहाल क्षेत्रीय ग्रिड की अभिकल्पना कमी को बांटने के उद्देश्य से नहीं की जाती। अपितु इसका उद्देश्य क्षेत्र को उत्पादन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन करना होता है । उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर घाटी को छोडकर सभी राज्य आपस में जुडे हुए है त । विद्युत उत्पादन का यथा संभव इष्टतम उपयोग किया जा रहा है। ग्रिड के परिणाम स्वरूप सहवर्ती प्रणालियों से हरियाणा को सहायता की जा रही है ।

23. Point code of conduct for elections in States

3. **Shri Chandulal Chandrakar ;** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a 23-point code of conduct has been framed for the ensuing elections in States ;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether opposition parties have also agreed to this code of conduct; and

(d) if not, the suggestions made by them expressing their opposition?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) Yes, Sir. A copyof the "Model Code of Conduct for the Guidance of Political parties and Candidates" framed by the Election Commission is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. *LT*—6151/74].

(c) The Model code is based on Codes of Conduct issued in the past by the Commission with amplification based on actual experience.

(d) No suggestions from any political party expressing opposition to the Code have been received by the Election Commission.

Disruption of Railway traffic due to observance of 'BANDHS' in various parts of the country

4. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway traffic was disrupted as a result of the call given for obesrvance of 'BANDH' in support of demand for more ration in various parts of the country; and

(b) if so, the loss incurred by the Railway due to these 'BANDHS' ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes.

(b) It is not easy to assess accurately the loss to Railway Revenue as a result of the fall in traffic due to these 'BANDHS'. However, according to the information available there was a fall of Rs. 70 lakhs approximately in the earnings on the Railways which were seriously affected.

एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतिकरण

5. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्री के नेतृत्व में केरल के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल जनवरी 1974 में केंद्रीय रेल मंत्री से मिला था और एरणाकुलम त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन क विद्युतिकरण के बारे में उनसे बात चीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और क्या केरल सरकार ने देश में विद्युतिकरण सबसे कम दर पर उस प्रयोजनार्थ पर्याप्त बिजली सप्लाई करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) केरल के मुख्य मंत्री ने बैठक मे बताया था कि राज्य के परिवहन तथा बिजली मंत्री ने केरल राज्म मे रेलवे लाइनों के विद्यूतिकरण के बारमें रेल मंत्री को कई पत्र लिखे थे साथ ही वह चाहत थ कि वतमान तेल संकट को ध्यान में रखते हुय उस प्रस्ताव पर विचार किया जाय। उन्होंने बिजली कर्षणके लिय उचित दरों पर पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने का भी आश्वासन दिया था।

(ग) यातायात का कम घनत्व होने और इस काम के लिये अपेक्षित भारी पुंजी निवेश के आर्थिक ट्रंक मार्गो की अपेक्षा एरणाकूलम—तिरुवर्णनंतपुरम खण्ड के विद्युतिकरण को तरजीह देना कारण दृष्टी से व्यावहारिक नही समजा जाता ।

केरल में ग्राम पंचायतों के माध्यम से बिजली के वितरण के बारे में प्रस्ताव

6. **श्री वयालर रवि :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गांवों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से बिजली के वितरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन तथा रेल मंत्रालय के बीच सूजबूझ

7. **श्री राम कंवर :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने जिसने कर्मचारियों की मांगें मनवाने के लिए 'धीरे काम करो' आन्दोलन चलाया था, अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन और रेल मंत्रालय के बीच इस सूझबूझ का आधार क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना टिकट यात्रा के कारण औसत हानि

8. **श्री राम कंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा से रेलवे को होने वाली औसत हानि का हाल ही में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उस बारे में कोई नये निवारक उपाय करने का निश्चय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर बिना टिकट/अनियमित यात्रा की मात्रा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ग) बिना टिकट यात्रा की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है । इस बुराई की रोक-थाम के लिए नियमित जांचों के अलावा समय समय पर विशेष एवं अचानक अभियान भी चलाये जाते है ।

लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9. **श्री राम कंवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको रनिंग कर्मचारियों ने हाल में समूचे देश में हड़ताल कर दी थी;

(ख) क्या उसके फलस्वरूप समूचा रेलवे प्रशासन ठप्प हो गया था;

(ग) रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग ने केवल दिसम्बर, 1973 के महीने में पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों पर गैर कानूनी हड़ताल की थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) लोको रनिंग कर्मचारियों को पहले दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित न करने का आरोप।

(घ) सरकार का विचार है कि लोको रनिंग कर्मचारियों की यह गैर कानूनी हड़ताल अनुचित थी क्योंकि रेल उप मंत्री की अध्यक्षता में गठित लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति उनकी शिकायतों की जांच कर रही है।

आश्वासनों के क्रियान्वित न करने के कारण आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन की धमकी

10. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा 22 जनवरी, 1974 को जारी किय गये उस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें उन्होंने मंत्री द्वारा 28 दिसम्बर, 1973 को दिये गये आश्वासनों को क्रियन्वित न करने पर एक अन्य कथित आन्दोलन की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो यह आरोप किस प्रकार के है ; और

(ग) लोको रनिंग स्टाफ द्वारा आगे आन्दोलन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कथित बयान में यह आरोप लगाया था कि लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की 28 दिसम्बर, 1973 को हुई बैठक में रेल मंत्री द्वारा दिय गये कुछ आश्वासनों के क्रियान्वयन में रेल मंत्रालय विलम्बकारी चाल चल रहा है। इस बयान का 23 जनवरी, 1974 को प्रेस को जारी की गयी एक विज्ञप्ति द्वारा तत्काल खंडन कर दिया गया था।

मिट्टी के तेल तथा उर्वरकों के आयात के लिये सोवियत संघ से समझौता

11. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से अधिक मिट्टी के तेल' सूरजमुखी तेल तथा उर्वरकों के आयात के लिये 21 जनवरी, 1974 को उनके साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उसमें उर्वरकों और मिट्टी के तेल के आयात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की मात्रा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापार योजना व्यवस्था के विषयों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा।

बर्मा शैल और एस्सो द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

12. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री मधु दंडवते :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शेल और एस्सो ने अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने के अन्तिम निर्णय लिये जाने तक 1 जनवरी, 1974 से अशोधित तेल के मूल्यों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का सार क्या है और इसके समर्थन में क्या कारण दिये गये है, और

(ग) उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । बर्मा शैल एवं एस्सो ने सरकार से 1 जनवरी, 1974 से अशोधित तेल के मूल्य में और संशोधन करने को कहा है ।

(ख) और (ग) उनकी मुख्य मांग अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने से सम्बन्धित है कि वे खाडी क्षेत्र में अशोधित मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश में आयात करते है। मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

13. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण गत वर्ष अनेक रेलगाडियों को रद्द करना पडा था;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण क्षेत्र वार कुल कितनी रेल सेवायें रद्द की गई।

(ग) कोयले की कमी के कारण रेलवे को प्रति माह कितनी हानि उठानी पडी; और

(घ) रेल सेवाओं के लिए समय पर उपयुक्त कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) स्टीम कोल की सप्लाई में सुधार करने के लिए कोयला उत्पादक प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

मिट्टी के तेल और स्नेहकों के मूल्यों में वृद्धि

14. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल और स्नेहकों के मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी, इसके क्या कारण है और उद्योग तथा विद्युत संयंत्र पर उसका क्या प्रभाव पडा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) (i) 21-1-74 से भट्टी के तेल के प्रति किलो लीटर पर 232.00 रुपये की वृद्धि हुई है ।

(ii) 23-1-74 से द्वितीय ग्रेड के स्नेहक तेल/ग्रीस के मूल्य में प्रति एम० टी० 500 रुपये की वृद्धि की गई (उत्पादन शुल्क को छोडकर) ।

(iii) 23-1-74 से 21 लूब बेस स्टाक के एक्स रिफाइनरीज प्राइसेज (परिष्करण शला से बाहर मूल्य) में प्रति एम० टी० 404.40 रुपये तथा टी० ओ० वी० एस० में प्रति एम० टी० 337 रुपये की वृद्धि की गई।

(iv) ये वृद्धियां 1-1-74 से अशोधित तेल की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आवश्यक हुई।

(v) भट्टी का तेल एवं स्नेहकों का प्रयोग विद्युत जनित्र तथा अनेक निर्मित उत्पादों के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाते है । अतः उद्योग तथा विद्युत संयंत्र पर बढे हुए मूल्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन मामले

15. मधु लिमये : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के इस समय कौन कौन से मामले विचाराधीन है;

(ख) क्या किन्हीं मामलों को सरकारी निर्णय द्वारा आयोग के समक्ष लाने से रोका गया है और आयोग के पास भेजे बिना ही परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किन्हीं कम्पनियों ने आयोग के समक्ष विचाराधीन कुछ मामलों को वापस ले लिया है अथवा वापस लेने की अनुमति मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों की मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ग) आयोग की एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत संदर्भित और उसके पास रिपोर्ट के लिये पडे मामलों को दर्शाता हुआ विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। आयोग के पास, इस समय विचाराधीन निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं का उल्लेख करता हुआ दूसरा विवरण पत्र भी सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्याय 3 के अन्तर्गत समस्त आवेदनपत्रों को, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का योजना के अन्तर्गत, आयोग को संदर्भित करना अधिदेशित नहीं है। अधिनियम में प्रारूपित है कि केन्द्रीय सरकार धारा 21.23 के अन्तर्गत केवल उन आवेदन पत्रों को आयोग को, संदर्भित कर सकती है, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय हो कि आदेश आगे बगैर जांच के पारित नहीं किया जा सकता है।

(घ) तथा (ङ) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत उन कम्पनियों के नाम जिनके आवेदन पत्र आवेदनकर्ता कम्पनियों द्वारा वापस ले लिये गये थे, दर्शाता हुआ विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण I

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अयोग के समक्ष अनिर्णित मामले

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	धारा जिसके अन्तर्गत संदर्भित
1.	इण्डिया पिस्टन्स लिमिटेड	21(3)(ख)
2.	अतुल प्रोडक्टस् लिमिटेड	यथोपरि
3.	यथोपरि	यथोपरि
4.	अनिल स्टार्च प्रोडेक्टस लिमिटेड	22(3)(ख)
5.	एस्कोर्टस् लिमिटेड	यथोपरि

विवरण II

उन विषयों की सूची प्रदर्शित करते हुये विवरण-पत्र जो एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 कि धारा 10(क) (3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार निबंधनकारी व्यापार अनुबंध द्वारा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग की उक्त अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत जांच करने के लिये प्रस्तुत किये गये थे ।

क्रम सं०	परिवादित कम्पनी/कम्पनियों/फर्मों के नाम	आवेदन पत्र की तारीख
1.	इन्चैक टायर्स लिमिटेड व 7 अन्य कम्पनियां	23-12-71
2.	दि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लि० . .	21-4-1972
3.	हिन्दुस्तान विलकिंगटन ग्लास वर्क्स लि० तथा तीन अन्य कम्पनियां	16-5-1972
4.	नेशनल टोबेको कम्पनी आफ इन्डिया लि० .	22-5-1972
5.	अलाईड डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड कम्पनी तथा बंगाल पोटरीज लि० .	30-8-1973
6.	अमेरिकन यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक (इन्डिया) लि० . . .	20/21-9-1972
7.	दि एसोसिएशन आफ मैन मेड फिब्री इन्डस्ट्री तथा 8 अन्य .	22-9-1972
8.	पोलीडोर आफ इन्डिया लि० .	28-11-1972
9.	यूनियन कार्बाईड इन्डिया लि० . .	24-3-1973
10.	अशोक ले लैन्ड लि०	25-3-1973
11.	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव्ह कम्पनी लि० . . .	23-1-1974

विवरण III

उन विषयों के बारे में विवरण, जिनमें सम्बन्धित कम्पनियों ने, अपने प्रस्ताव एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित हो जाने के पश्चात वापिस ले लिये

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	धारा, जिसके अन्तर्गत निदेशित किये ।
1.	जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इन्डिया) प्राइवेट लि०	21(3)(ख)
2.	टेलीरेड (प्राइवेट) लि०	यथोपरि
3.	अतुल प्रोडक्टस लि० . . .	यथोपरि
4.	इन्डिया लिनोलियम लि०	यथोपरि
5.	सेन्चरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० .	यथोपरि
6.	ग्वालियर रैयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कंपनी लि० .	22(3)(ख)
7.	श्री अम्बिका मिल्स लि०	यथोपरि
8.	लूकास टी० वी० एस० लि०	23(6)

सिन्धु जल सन्धि के अधीन रावी नदी के पानी का उपयोग

16. **श्री मधु लिमये :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देश सिन्धु जल सन्धि के अधीन भारत को आबंटित रावी नदी के जल का उपयोग नहीं कर सका;

(ख) पानी के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान को यदि कोई धन-राशी दी गयी थी तो वह कितनी थी;

(ग) इस पानी का उपयोग न किये जाने के परिणाम स्वरूप इस देश को अब तक कितनी हानि हुई है; और

(घ) थीन बांध या किसी अन्य वैकल्पिक परियोजना की तरह रावी नदी पर बांध बनाने के लिये परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मानसूनों के दौरान बाढ जल के अलावा भारत में रावी के जल का समुपयोजन हो रहा है। धोंग में ब्यास बांध के पूर्ण होने पर और वर्तमान माधोपुर ब्यास लिंक की सहायता से मानसून में फालतू जल के अधिक भाग को भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह मानसूनों के दौरान, कुल 15 प्रतिशत जल ही बेकार जाएगा। रावी पर थीन बांध परियोजना से सारे बहाव का उपयोग हो सकेगा।

(ख) तीनों पूर्वी नदियों के जल पर अधिकार प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान को ऐसी कोई राशि नहीं दी गई थी। भारत यह अधिकार 1960 में हुई संधि के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। बहरहाल, भारत ने विश्व बैंक के द्वारा पाकिस्तान में प्रतिस्थापन कार्यों को लागत के प्रति 98.36 करोड रुपये की राशि दी थी।

(ग) इसके कारण कोई हानि नहीं हुई है, यद्यपि शेष जल के समुपयोजन से देश को निःसंदेह लाभ पहुंचेगा।

(घ) सम्बद्ध राज्यों के बीच कुछ अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर मतैक्य न होने के कारण थीन बांध परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर "बंकर तेल" के मूल्यों में वृद्धि

17. **श्री मधु लिमये :**

श्री गजाधर मांझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर बंकर तेल के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार वाले प्रमुख पत्तनों पर यह वृद्धि किस सीमा तक हुई;

(ग) क्या 'बंकर तेल' के मूल्यों में हुई सी वृद्धि के आधार पर भारतीय और विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार की लेवी या अधिभार लगाया गया है; और

(घ) आयात और निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पडेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 13-12-1973 से 'बंकर ईंधन' के रूप में जहाजों की सप्लाई किये जाने वाले भट्टी के तेल, लाइट डीजल आयल तथा हाई स्पीड डीजल आयल के मूल्यों में तमाम भारतीय पत्तनों पर 12-12-73 को प्रचलित मूल्यों के स्तर से तीन गुणा वृद्धि की गई थी और 16-12-1973 से 15 दिसम्बर, 1973 की प्रचलित मूल्यों को दुगुणा किया गया था। निकटवर्ती पत्तनों में उत्पाद के मूल्य में वृद्धि तथा इसकी अनुपलब्धि से तथा अतिरिक्त भट्टी के तेल के मूल्य में भारी वृद्धि से 'बंकर' मूल्यों में भारी वृद्धियों करने की जरूरत पड गई थी। मूल्य में वृद्धि करने का आशय भारतीय पतनों पर 'बंकर इंधन' की खपत को कम करना था। इन वृद्धियों को निम्नलिखित के बारे में लागू नहीं किया गया था :—

(i) भारतीय नौसेना तथा पोर्ट ट्रस्टस के जहाजों।

(ii) मछली पकडने वाले जलयानों।

(iii) वे सभी जहाज, जिन्हें महानिदेशक (नौवहन) द्वारा तटीय माल तथा/अथवा यात्री ले जाने और भारतीय पत्तनों के बीच तटीय समुद्र यात्रा करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उन जहाजों को छोडकर जो एकाकी अथवा निरन्तर समुद्र यात्रा चार्टर आधार पर होते है ।

31-1-1974 से ये मूल्य बम्बई पत्तन पर निम्न प्रकार से घटाये तथा निर्धारित किय गये है :—

	यू०एस०/प्रतिमीटरी
भट्टी का तेल	130.00
लाइट डीजल आयल	170.00
हाई स्पीड डीजल आयल	210.00

(ग) भारतीय तथा विदेशी नौवहन लाइन्ज/कान्फ्रेंसिस समय समय पर अधिभारों की घोषणा करती है, इनमें से कुछ को 1-12-1973 से 16-1-1974 की अवधि के दौरान बढाया गया है । भारतीय पत्तनों पर 'बंकर तेल' के मूल्यों में बृद्धि तथा उपरोक्त संशोधनों के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है ।

(घ) विदेशी झण्डे वाले जहाज विभिन्न देशों से / को भारतीय पत्तनों को / से बहुत सारे उत्पाद ले जाते है । क्योंकि इसमें विभिन्न उद्योग / व्यापार शामिल है, इन वृद्धियों का आयात, निर्यात व्यापार पर पडनेवाले प्रभाव का कोई निश्चित संकेत नहीं दिया जा सकता ।

वर्ष 1974 में अशोधित तेल का आयात

18. **श्री मधु लिमये :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान अपने विभिन्न तेल शोधक कारखानों के लिए अशोधित तेल का आयात करने के संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है;

(ख) अशोधित तेल का आयात किन किन देशों से किया जायेगा और इस आयात में प्रत्येक देश का कितना हिस्सा होगा;

(ग) इस आयात के लिए विभिन्न देशों को लगभग कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी;

(घ) क्या यह सच है कि निजी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों द्वारा अपने अशोधित तेल के आयात में कमी करने की धमकी दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस धमकी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस समय सरकार ने लगभग 16 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल जिसमें 9.55 मिलियन मीटरी टन ईरान से, 2.80 मिलियन मीटरी टन ईराक से तथा 3.85 मिलियन मीटरी टन साउदी अरबिया से आयात करने की परिकल्पना की है।

(ग) वर्तमान अनिश्चित स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए अशोधित तेल के आयात के लिए मूल्यों के सम्बन्ध में कोई संक्षिप्त सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) 1 जनवरी, 1974 से अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक कमी हुई। अत: समस्या अशोधित तेल की अनुपलब्धता की नहीं अपितु अत्यधिक लागत की है। तेल कम्पनियों ने सूचित किया है कि यदि अशोधित तेल की सम्पूर्ण उपलब्धता को कम कर दिया गया तो उनके भारत में होने वाले आयात पर प्रभाव पड़ेगा। तथापि स्थिति अभी भी अस्थिर है, सरकार स्थिति पर निरंतर हाथ रखे हुए है।

केरल में बाढों को रोकने के बारे में केरल की योजना

19. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बाढों को रोकने के बारे में केंद्रीय सरकार को किसी योजना का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 22.4 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य में बाढ नियंत्रण के लिए एक प्रारूप योजना 1963 में बनाई थी। प्रारूप योजना की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की गई थी और राज्य सरकार से आग्रह किया गया था कि 1963 से लगातार आ रही बाढों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन किया जाए। संशोधित योजना अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक बाढ प्रवण क्षेत्रों में आवश्यक समझे गए सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन राज्य योजना के रूप में किया जा रहा है।

Supply of Petrol by U. S. S. R. to India

20. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether India is likely to receive more petrol from U. S. S. R.

(b) if so, the broad outline of the proposal; and

(c) the percentage of shortfall that will still be there as compared to the shortfall prior to this assistance from U. S. S. R. ?

The Minister of State in the Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) India is not importing any petrol (Motor Spirit) from USSR.

गन्दी बस्ती में रहने वालों को बिजली की सप्लाई के लिये दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश में संशोधन

21. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री गन्दी बस्ती में रहने वालों को बिजली की सप्लाई के लिये दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश में संशोधन के बारे में 18 दिसम्बर, 1973 अतारांकित प्रश्न संख्या 5209 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश के विद्यमान उपबन्धों को संशोधित कर झुग्गी झोंपडी और गन्दी बस्ती में रहने वालों को बिजली सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस संबंध में कार्यवाही करने के में विलम्ब क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों को हुई हानि

22. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **रेल** मंत्री 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1358 क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अलाभप्रद रेलवे लाइनों को सामान्य राजस्व में दिये गये लाभांश सहित कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) गत वर्ष इन लाइनों पर स्थिति सुधारने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1970–71 और 1971-72 के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों पर, सामान्य राजस्व की लाभांश के भुगतानों को छोडकर जो कुल हानि हुई वह इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड रुपये में
1970–71	8.71
1971–72	9.88

1972–73 में हुई हानि के आंकडे एकत्र किय जा रहे है और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

1-4-71 से अलाभप्रद शाखा लाइनों की पूजीगत लागत पर लाभांश के भुगतान से छुट दे दी गयी है । 1970–71 में लाभांश की जितनी रकम का भुगतान किया गया उसका आंकडा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) अलाभप्रद शाखा लाइनों के संचालन में होने वाली हानि को कम करने के लिए जो कदम उठाये गये है, उसके सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अलाभप्रद शाखा लाइनों की आमदनी में सुधार करने और हानि को कम करने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये है, उनमें से कुछ नीचे बताये गये है :—

(1) कुछ छोटी लाइनों को बडी लाइन में बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(2) गाडियों की गति बढाने और उनमें अधिक डिब्बे लगाने के उद्देश्य से कुछ छोटी लाइनों के रेल पथ को मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है ।

(3) एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर चल स्टाक को बदला जा रहा है ।

(4) कुछ खण्डों पर एक इंजन संचालन की प्रणाली लागू की गयी है ।

(5) कुछ छोटी लाइनों के ब्लाक स्टेशनों का दर्जा घटा दिया गया है और कुछ को माल यातायात के लिए बन्द कर दिया गया है ।

(6) कुछ छोटी लाइनों पर गाडियों की संख्या कम कर दी गयी है ।

(7) अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने के लिए रियायती दरें बनायी गयी है ।

(8) अलाभप्रद शाखा लाइनों के क्षेत्र में पडने वाले उद्योगों से निकट सम्पर्क रखा जाता है ताकि वे रेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें।

(9) विना टिकट यात्रा से निवटने के लिए गहन जांच की जाती है।

(10) कुछ स्टेशनों पर थोडे थोडे समय की बारी बारी से होने वाली ड्यूटी चालू की गयी है ।

(11) कुछ खण्डों पर सवारी गाडियों को मिली जुली गाडियों के रूप में फिर से चलाना शुरू किया गया है।

(12) कुछ खण्डों पर बीजलीकरण चालू करने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही हैं।

पंजाब के लिए विचाराधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

23. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की वे मुख्य सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है जो केन्द्र के पास मंजूरी के लिए भी तक पडी हुई है ;

(ख) विलम्ब के कारण क्या है; और उनको कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) "अपर बारी दुआब नहर क्षेत्र में असांवत्सर सिंचाई" नामक केवल एक बृहद सिंचाई स्कीम प्राप्त हुई थी जिसकी लागत 6 करोड रुपये है । राज्य सरकार इस परियोजना का निर्माण पहले से ही कर रही है तथा इस पर 1973-74 के अंत तक 3 करोड रुपये व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार से संशोधित प्राक्कलन प्राप्त न होने के कारण परियोजना को औपचारिक स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है ।

भारत की भुगतान शेष तथा भुगतान की स्थिति पर तेल संकट का प्रभाव

24. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तेल संकट से हमारी भुगतान शेष तथा भुगतान की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडन की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो देश में तेल की खोज के कार्यक्रम को तेज करने तथा देश में शक्ति के अन्य उपलब्ध साधनों का अधिक प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा रूसी विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल द्वारा किये गये तकनीकी आर्थिक संभाव्य अध्ययन के आधार पर यह निर्णय किया गया है :—

(i) इन क्षेत्रों में हैड्रोकार्बन संभाव्यता का पता लगाने के लिये सूचना प्राप्त करने के लिये नय क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य तेज करना; और

(ii) जहां आवश्यक हो जटिल उपकरणों एवं तकनीकी के प्रयोग से कार्य दक्षता को अधिकतम करना तथा लागत को न्यूनतम करना, जिससे 1978-79 के दौरान 70 मिलियन मीटरी टन तेल के अतिरिक्त प्राप्य भंडार स्थापित करने के लिये 1.47 मिलियन मीटरों का व्यधन हो जाये और 8.42 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन दर प्राप्त हो जाए।

प्रतिस्थापी ईंधनों से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिये तथा विभिन्न औद्योगिक यूनिटों और रेलवे को शामिल करते हुए परिवहन उपक्रमों में अधिकतम परिचालन कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले उपायों का शीघ्र पता लगाने के लिये योजना आयोग ने कई कार्यकारी दल नियुक्त किये है।

एस्सो की भांति अन्य विदेशी तेल कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेना

25. **श्री मधु दंडवते :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एस्सो की सभी कम्पनियों के स्वामित्व के 74 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही को भारत में अन्य विदेशी तेल कम्पनियों पर भी लागू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी तेल कम्पनियां कौन-कौन सी है और ऐसी कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जैसे ही एस्सों के साथ अन्तिम करार किया जायेगा, भारत में अन्य विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात बर्माशेल तथा कालटेक्स के साथ इसी प्रकार के विचार विमर्श करने का विचार है। विचार विमर्श को अन्तिम रूप दिये जाने के बारे में समय बताना सम्भव नहीं है।

भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) में रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

26. **श्री मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के कितने रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए भूमि खरीदने हेतु ऋण मंजूर किये गये हैं;

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को मंजूर शुदा ऋण कितने समय में मिले; और

(ग) क्या कुछ मामलों में कोई विलम्ब हुआ था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) किसी को नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग कार्य

27. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है अथवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) विभिन्न स्थानों पर की गई ड्रिलिंग के क्या परिणाम निकले है ?

पेट्रोलियम और रसायन संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, बिहार, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडोचरी के राज्यों के विभिन्न स्थानों और खम्भात को खाडो में अलियाबेट के पश्चिमी क्षेत्र तथा तारापुर एंव अरब सागर में बम्बई हाई क्षेत्रों में व्यधन कार्य किये है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निकट भविष्य में गुजरात, असम, जम्मू तथा काश्मीर, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु और अरब सागर के अन्य स्थानों तथा असम के कछार क्षेत्र में भी व्यधन कार्य शुरू किये जाने की आशा करता है ।

(ख) व्यधन कार्यों से अभी तक केवल गुजरात तथा असम में वाणिज्यिक तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रों का पता लगा है ।

जम्मू और कश्मीर को उत्तरी विद्युत ग्रिड क साथ जोड़ना

28. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार का विचार राज्य को उत्तरी विद्युत ग्रिड साथ जोडने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में उधमपुर ओर पंजाब में सरना के मध्य एक 220 के० वी० लाइन का निर्माण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय लिंक के रूप में हो रहा है। सम्पूर्ण लिंक का निर्माण जम्मू व कश्मीर के प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और इसके अक्तूबर, 1974 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण में किये गये परिवर्तन

29. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरीय परिवहन परियोजना प्रबन्ध (मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट् प्रोजेक्टस् मैनेजमेंट) द्वारा कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया में किये गये परिवर्तनों के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल मंत्रालय मेठानों क्षेत्र में लाइन के एक छोटे भाग पर निर्माण के ढंग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है । लेकिन यह कोई बडा परिवर्तन नहीं है ।

(ख) मिट्टी के बगली ढलानों पर 'कट एन्ड कवर' काम की बजाय प्रस्तावित ढंग है लम्बवत बंगली कंक्रीट की दीवालों पर 'कट एण्ड कवर' काम ।

पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित बिजलीघरों की स्थापना

30. **श्री वाई० ईश्वर रड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत के निरन्तर संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर आधारित बिजली घर स्थापित करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवी योजना के दौरान फरक्का बराज के पास कोयले पर आधारित 110 मैगावाट उत्पादन क्षमता का लाभ देने वाले एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए एक स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ।

भारत में तेल की खोज के लिए रूस से समझौता

31. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री एम० कत्तामुत्तु :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल तथा गैस भण्डारों की संभावनाओं का पता लगाने तथा मौसम अनुमानकी के बारे में भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और रूस के वी/ओ टेक्नोएक्सपर्ट्स के बीच संविदा पर हस्ताक्षर किए गए है जिसके अधीन परवर्ती भारत के विभिन्न तेल छटीय बेसिनों में तेल और गैस के भावी भण्डारों का अनुमान लगाने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और बेसिनों में अन्वेषण कार्य के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

4—37 LSS/73

(ख) तकनीकी सहायता सोवियत विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था के रूप में होगी जो भावी भण्डारों का अनुमान लगाएगें और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के सहयोग से अन्वेषण कार्य के लिए योजना बनाएगें। प्रयोगशाला कार्य और वैज्ञानिक अन्वेषणों के ऐसे कार्य जिनको भारत में नहीं किया जा सकता उद्देश्य के लिए निर्णय लिए जाने वाली पृथक संविदा के अधीन रुस में सम्पन्न किया जावेगा।

भारत म सोवियत विशेषज्ञों के आगमन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अन्दर इस कार्य को पूरा करना है ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की सप्लाई हेतु ईरान के साथ बातचीत

32. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिए ईरान से अतिरिक्त अशोधित तेल सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या इरान के सहयोग से एक नया पेट्रोरसायन उद्योग समूह स्थापित किया जा रहा है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय इरानियन प्राधिकारियों के पास विचाराधीन है ।

बिजली का राशन किया जाना

34. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्षों मे बिजली की कमी बनी रहेगी;

(ख) क्या सरकार बिजली का राशन करने की कोई प्रभावशाली व्यवस्था कर रही है; और

(ग) क्या बिजली का राशन कर देने से राष्ट्रीय अथ व्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवी पंच-वर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षा के दौरान बहुत से राज्यों में विद्युत् की कमी अनुभव होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) विभिन्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध विद्युत् के आबंटन करने के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी है । बहरहाल केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्राथमिकताओं को यूक्तिमूलक प्रणाली का सुझाव देते हुए मार्गदर्शन भेजे हैं ताकि राष्ट्र को कम से कम आर्थिक हानि हो ।

रुस और अन्य देशों से अशोधित तेल और डीजल तेल का आयात

35. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रुस से अशोधित तेल और डीजल तेल सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रुस ने, कोई वचन दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत ने अन्य किन देशों से इस आशय का अनुरोध किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) रुस ने व्यापार योजना के अन्तर्गत 1974 में दस लाख मी० टन मिट्टी तेल तथा एक लाख मी० टन हाई स्पीड डीजल देने की पेशकश की है । तदनुसार भारतीय तेल निगम ने रुस के साथ उपर्युक्त मात्राओं के लिए एक समझोता किया है । परतु इस समय उस देश से कच्चे तेल के आयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) सरकार कच्चे तेल की सप्लाई के लिए कई तेल उत्पादक देशों से सम्पर्क बनाए हुए है ।

तल संकट के बारे में इराक और कुवैत के साथ बातचीत

36. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री वी० मायावन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट के बारे में इराक और कुवैत के साथ हाल ही म कोई बात चीत की गई थी;

(ख) क्या कोई समझोता किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) तेल उत्पादक देशों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श आरम्भ किये गये है, विचार विमर्श अभी भी जारी है तथा कोई अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है ।

ेट्रोलियम के उत्पादों की खपत रोकने के उपाय

37. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भट्टी तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए राज्य सरकारों को तात्कालिक उपाय करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) देश में भट्टी आयल को संकटपूर्ण उपलब्धि और अन्य पट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सलाह दी है और तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे पिछली कुल खरीद के आधार पर औद्योगिक यूनिटों को सामान्य आवश्यकताओं की 90 % तक भट्टी के तेल को सप्लाई करें। सचिव और तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता के अधीन एक समिति का भी गठन किया गया है जो भट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को उद्योगों द्वारा कम करने के लिए अति आवश्यक उपायों के बारे में कार्रवाई करेगा।

पेट्रोल का राशन किया जाना

38. **श्री सी० जनार्दन :**

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल का राशन करने का बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में पक्का निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) राशन के प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अधिकांश राज्यों ने अल्प सूचना पर पेट्रोल का राशन करने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली है।

बंगलौर को कावेरी नदी के पानी की सप्लाई

39. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी का पानी बंगलोर शहर को सप्लाई करने संबंधी व्यवस्था को अन्तिम रुप में दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि कावेरी जल सप्लाई स्कीम का चरण एक उमड दबाव उपकरण इत्यादि जैसे कुछ अनुषंगिक सुरक्षात्मक कार्यों को छोडकर जोकि पूर्ण होने के निकट हो है, लगभग पूर्ण हो गया है। इसमें कावेरी स्त्रोत से बंगलोर नगर को 30 मिलियन गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त जल सप्लाई करना परिकल्पित है और इसकी लागत लगभग 35.72 करोड रुपये है। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि पाइप लाईन 1-2-74 से चालू कर दी गई है और पम्प द्वारा 10 मिलियन गैलन प्रतिदिन को दस से जल सप्लाई किया जा रहा है जिसको धीरे धीरे 30 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ा दिया जाएगा और इस स्कीम को औपचारिक रूप से शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण

40. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक आयोग द्वारा जहां भूकंप संबंधी सर्वेक्षण किये जा रहे है उन क्षेत्रों (स्ट्रक्चर) का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन सभी क्षेत्रों में छिद्रण कार्य आरंभ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात, अपर असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, त्रिपुरा-कछार क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, उडीसा, आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है ।

(ख) गुजरात, अपर असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, तामिलनाडु तथा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से व्यधन कार्य किया जा रहा है । विगत ने पश्चिमी बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यधन कार्य किया जा रहा है, त्रिपुरा क्षेत्र मे व्यधन कार्य किया जा रहा है ।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में किये गये भुकम्पीय सर्वेक्षणों से 135 से अधिक संरचनाओं का पता लगा है । उन की तेल/गैस संभाव्यता का परीक्षण करने के लिये 113 संरचनाओं पर व्यधन कार्य या तो पूरा हो गया है या उस में प्रगति हो रही है । 110 संरचनाओं का परीक्षण किया गया है और इन में से 25 तल युक्त और 6 गस युक्त पाई गई है ।

पेट्रोल में मिट्टी के तेल का अपमिश्रण रोकने का उपाय

41. **श्री जी० वाई कृष्णन :**

श्री वसंत साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई इस्तहार निकाला है जिसमे पेट्रोल मे मिट्टी के तेल के अपमिश्रण का पता लगाने का सरल तरीका बताया गया हो; और

(ख) विभिन्न खुदरास प्रतिष्ठानों पर पेट्रोल के नमूनों का परीक्षण करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार ने सभी तेल कम्पनियों से अपने फुटकर विक्री केन्द्रों पर मोटर चालक जनता की जानकारी के लिए ऐसे साधारण परीक्षण वाले पोस्टर लगाने को कहा है गया है, जिनसे अपमिश्रण का पता लग सकता हो ।

(ख) अपमिश्रण का सन्देह होने पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते है, और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

Attempts made by Tribals to loot Janta Express between Meghnagar and Udaigarh

42. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the tribals made an attempt to loot the Janta Express train between Meghnagar and Udaigarh Railway Stations in Madhya Pradesh in December, 1973; and

(b) if so, the broad features of the incident?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Yes. On 19-12-73, some local Bhils boarded 23 Dn Janta Express from Dahad Megh Nagar stations on the Ratlam Division of the Western Railway. At about 19.14 hrs. while the train was on the run between Megh Nagar and Udaigarh stations, they pulled the alarm chain and stopped the train at Km. 576/2-13, where their associates were waiting.

The Bhils, who were armed with sharp weapons, broke open the front luggage van of the train and started unloading packages kept therein. On being objected to by some Passengers travelling in the adjoining compartment, the Bhis attacked them with sharp weapons and stoned, as a result of which some window glasses were broken and 8 Passengers were injured. 5 of the injured passengers were allowed to proceed after first aid and one who had received serious injuries was admitted in Civil Hospital, Ratlam.

The Bhils removed 41 packages valued at about Rs. 10,048 from the front luggage van of the train and also some personal belongings of the passengers.

The Railway Protection Force and Government Railway Police took immediate action and recovered stolen consignments worth about Rs. 9,748 and personal belongings of the Passengers worth Rs 6,000.

The Government Railway Police, Ratlam, have registered a case under section 397 IPC and 128 Indian Railways Act. The case in is under investigation. The Section in which the incident occurred is being intensively patrolled by the Police who are being supplemented by armed R.P.F. Passenger trains are also being escorted over the affected section.

Price of Petrol, Imported and sold

43. **Shri Phool Chand Verma :** Will the **Minister of Petroleum and chemicals** be pleased to state :

(a) the price at which oil per litre was imported in the country during 1971, 1972 1973 and upto 31st January, 1974 respectively; and

(b) the price per litre at which petrol was sold during these years?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Petrol is not being imported for the past few years.

(b) The selling prices of Motor Spirit (Petrol) are different at different stations depending upon the distance from the pricing points at Port Towns/Refineries and Sales Tax/Other local levies. The Basic Ceiling Selling prices of Motor Spirit at Bombay during last 3 years are given below :

	ex Retail Pump outlet in Bombay. (Rs. /KL)	
1-6-1970	1,024.59	MS 7.9*
28-5-1971	1,052.40	
29-5-1971	1,248.99	
1-4-1972	1,258.19	MS 83
1-3-1973	1,336.83	
11-6-1973	1,365.67	
22-8-1973	1,463.67	
3-11-1973	2,510.6	

*MS 79 was withdrawn from the market with effect from 1-4-1972 and MS 83 was introduced in its place.

The above prices are exclusive of sales tax/other local levies and surcharges etc.

Additional Trains to Vrindaban on the eve of Kumbh Mela in February, 1974

44. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether lakhs of people are likely to visit Vrindaban on the eve of Kumbh Mela during February, 1974;

(b) if so, whether some additional trains are proposed to be run to Vrindaban for the convenience of pilgrims coming for the Kumbh Mela from the various parts of the country:

(c) if so, the number thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d) The anticipated additional traffic for Vrindavan during the Kumbh Mela proposed to be cleared by augmenting the loads of existing passenger trains in the area and running of adequate number of special trains as and when traffic materialises.

Madhya Pradesh's Proposal regarding inclusion of Upper Tapti Project in Fifth Plan

45. **Shri Phool Chand Verma :** Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sent a draft scheme for the Upper Tapti Project to the Central Government for inclusion in the Fifth Five Year Plan;

(b) whether both Madhya Pradesh and Maharashtra will be benefited by this project and this scheme has been named as "Upper Tapti Project" with the consent and cooperation of both these States; and

(c) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) the Government of Maharashtra have recently sent the report and estimates for the Upper Tapi Project Stage II, estimated to cost Rs. 87.93 crores. The project is proposed as a joint venture of Madhya Pradesh and Maharashtra for irrigating 46,691 ha. in Madhya Pradesh and 59,849 ha. in Maharashtra.

The project envisages construction of :

(i) A main dam across river Tapi near Kharia Gutighat and a diversion dam at Nawatha about 70 Km downstream.

(ii) Kharia left bank canal taking off directly from the Kharia Gutighat Dam.

(iii) Nawatha Right bank canal taking off from the Nawatha diversion dam.

(iv) Hatnur right bank canal stage II which would be an extension to the Stage I canal.

Wearning of Strike by Railway Employees on Bonus Issue

46. **Shri Shrikrishna Agrawal :**
Shri Onkar Lal Berva :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway employees have given a warning of strike by them on the bonus issue; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes :

(b) The payment of bonus to industrial workers is regulated by the Payment of Bonus Act, 1965. The Act does not apply to Government departmental undertakings including the Railways.

The Railways discharge a public function and their expenditure is met from the consolidated Fund of India. Their financial resources for development are also borne by Government alone. Further, pay scales of railway staff have been decided for over two decades with reference to the recommendations of Pay Commission. Because of these considerations, departmentally run undertakings of Government including Railways have been kept outside the scope of Bonus Scheme. In any case, the matter is not one to be considered independently by the Ministry of Railways alone. The 3rd Pay Commission has also not made any recommendation regarding grant of bonus to Central Government industrial emplyees including Railway staff.

Supply of Machinery by Russia for Oil Production in India

47. **Shri Shrikrishna Agrawal :**
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Russia has agreed to increase the supply of equipment under a new agreement signed between the two countries in order to accelerate the production of crude oil in India ;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the value of equipment received uptil now under this new agreement?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaj Khan): (a) to (c) During discussions held with the Soviet delegation led by the Soviet Minister of Oil Industry in January, 1974, the Soviet side has agreed to expedite Soviet assistance, inter alia, for supply of required equipment for boosting the Indian effort in exploration, drilling and production of oil. An allocation of Rs. 3.12 crores under Soviet credit has so far been made to the ONGC, to cover imports from USSR for which the ONGC are placing orders with USSR authorities.

Loss to Railways due to strike by Loco Staff in May' August and November 1973

48. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Railways** be pleased state :

(a) the estimated loss in Railway revenue as a result of strike by the Loco running staff in May, August and November, 1973;

(b) whether Government have made some special efforts to make good this loss during t financial year 1971-73; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deuty Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The four main strikes/agitations by the loco rurnning staff in the months of April/May August and November in 1973, alone caused a loss in excess of Rs. 9.50 crores to the railway revenues.

(b) and (c) It is not possible to make up the loss.

Coal shortage in Delhi due to Railways inability to transport coal in time

49. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to the state :

(a) whether coal shortage in Delhi is attributable to the Railways not transporting coal in time;

(b) if not, how much coal was transported by the Railways during the last two months, and

(c) whether the coal was transported in accordance with its requirement and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Due to locomen's strike and several other staff agitations on Eastern Railway in December 73, loading and movement of coal from Bengal/Bihar coalfileds was seriously affected, resulting in less loading and delayed movement of different types of coal to Delhi also. Allotment of coal for Delhi against programme is as follows:

	Programme	Allotment
	(Wagons)	
December' 73	2,405	890
January '74	2,405	2,389

Extension of Diesel Shed, Ratlam

50. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the work relating to the extension of Diesel Shed at ratlam has been started;

(b) what will be the number of diesel locos thereafter the afore said extension of the Diesel Shed; and

(c) the time by which this extension work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The shed is designed for homing 100 diesel locos as against the existing capacity 40 locos.

(c) The work is expected to be completed by the middle of 1975.

Fast Transportation of Goods and Passengers in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi

51. **Dr. Laximanaryan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the action taken so far and proposed to be taken during the next five years in the context of need for fast transportation of goods and passengers in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi; and

(b) the extent to which this work is likely to be completed by the end of December 1974;

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Planning for development of rail capacity to meet the anticipated growth of traffic both goods and passengers is a continuous process. The Fifth Five Year Plan propo-

sals of the Railways in this regard are under finalisation. Tentatively a provision of Rs. 200 crores has been made for the Metropolitan Transport Projects. Techno-economic feasibility studies for Mass Rapid Transit Schemes in Delhi, Bombay, Calcutta and Madras are in progress and are likely to be completed by December, 1974.

The design and construction of Rapid Transit system at Calcutta from Dum Dum to Tollyganj, however, is already in progress.

Uniform Civil Code

52. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the broad features of the efforts made so far for enacting an uniform civil code for all the citizens throughout the country and the results thereof; and

(b) special steps proposed to be taken in furture in this regard?

The Minister of state in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Steps have already been taken to codify, to a large extent the Personal Law relating to marriage, divorce, succession, inheritance, guardianship, etc., of the majority community including those who profess Buddhism, Sikhism and Jainism.

(b) Due to divergent views expressed by different sections and communities throughout India no further steps for the present are contemplated.

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में प्रारम्भ की जाने वाले. बड़े, सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य

53. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में प्रारभ की जाने वाली बडी सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की जाने वाली योजनाओं की मुख्य बाते क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1974-75 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है ।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिये बिजली उत्पादन योजनाओं का लक्ष्य

54. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान आरम्भ की जाने वाली बिजली उत्पादन योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हमारी पांचवी योजना के प्रथम वर्ष के लिए विद्युत् योजना को इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जनवरी, 1974 में राज्यों के समक्ष बिजली सप्लाई की कमी को स्थिति होना

55. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में सारे देश में बिजली सप्लाई में कमी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली की कुल कितनी कमी हो गई थी; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जनवरी, 1974 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यो में, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल तथा दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में विद्युत मांग की अपेक्षा सप्लाई में कमी रही । यद्यपि कुछ क्षेत्रों में उर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली की सप्लाई भिन्न भिन्न समय पर करनी पडी, देश के अन्य भागों में विद्युत सप्लाई को स्थिति अपेक्षतया अच्छी रही। जनवरी, 1974 के दौरान बिजली सप्लाई पर लागू प्रतिबंधों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है ।

(ग) विद्युत आपूर्ति में कमी के लिए निम्नलिखित मुख्य कारण कहे जा सकते है :—

(1) बढती हुई मांग;

(2) कतिपय विद्युत् परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब;

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कभी कभी अप्रत्यशित फोर्स्ड आउटेजेस;

(4) उत्तर प्रदेश में हिन्द, कर्नाटक में शारावती और उडीसा में मचकुंड जैसे जलाशयों में कम पानी उपलब्ध होना जिसके कारण जल विद्युत् के उत्पादन में कमी करनी पडी ।

विवरण

विद्युत् पर पाबंदियां

हरियाणा :
(1) उपभोक्ताओं को आवश्यक श्रेणियों को छोड कर साधारण उद्योगों पर 40 प्रतिशत की कटौती ।
(2) इस्पात भट्टियों पर 50 प्रतिशत को कटौती ।
(3) ग्रामीण फीडरों को विद्युत् की सप्लाई 12 घंटे समूहों में बांट दी गई थी ।

पंजाब :
(1) घरेलू तथा वाणिज्यिक श्रेणियों को छोड कर उपभोक्ताओं पर 10 प्रतिशत की कटौती ।
(2) कृषि उपभोक्ताओं को 10 घण्टे प्रति दिन अथवा एक दिन छोड कर 20 घण्टे प्रति दिन विद्युत् की सप्लाई ।

उत्तर प्रदेश : (1) गत एक वर्ष के दौरान वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर ऊर्जा में 40 प्रतिशत कटौती ।

(2) राज्य में इस्पात अथवा भट्टियों को तीन समूहों में बांटा गया था, प्रत्येक समूह को एक महीने में 10 दिन के लिए विद्युत देने की अनुमति दी गई थी ।

(3) संतत उद्योगों से एक मास में 10 दिन एकमुश्त कार्य को बन्द करना अथवा मांग में 50 तक कमी करना अपेक्षित था ।

आंध्र प्रदेश : एच० टी० भारों के उपभोक्ताओं को सभी श्रेणियों की अधिकतम मांग पर 10 प्रतिशत कटौती ।

तामिलनाडु : (1) सभी एल० टी० औद्योगिक सेवा पर, उनको छोड कर जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट है, 15 प्रतिशत कटौती ।

(2) एल० टी० शहरी विद्युत भार और कृषि पंप सेटों के मामले में भारों को समूहों में बांट दिया गया था ।

कर्नाटक : अनिवार्य प्रकार के उपभोक्ताओं को छोडकर एच० टी० उपभोक्ताओं पर 20 प्रतिशत कटौती ।

पश्चिम बंगाल : अधिक मांग पर 20 प्रतिशत कटौती तथा भिन्न भिन्न दिनों में छुट्टी करना ।

दामोदर
घाटी निगम : विद्युत उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए पाबंदियां ।

तेल सप्लाई की स्थिति में सुधार और विभिन्न परियोजनाओं पर तेल-संकट का प्रभाव

56. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1974 के बाद से भारत को तेल सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, और यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है;

(ख) क्या विभिन्न परियोजनाओं पर तेल-संकट का प्रभाव अब दिखाई देने लगा है;

(ग) यदि हां, तो तेल संकट का विभिन्न क्षेत्रों की किन-किन परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा भविष्य में किन-किन परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (घ) 1974 के आरम्भ से अशोधित तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है इसलिए तेल की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार नहीं होगी इससे अर्थ व्यवस्था के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग, परिवहन एवं विद्युत, पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा । देश की अर्थव्यवस्था पर अनुचित दबाव न पड़े इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर गहन प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

तेल-संकट के कारण रेल परियोजनाओं को खतरा

57. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल को किमतों में वृद्धि के कारण रेल परियोजनाओं के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जी हां। तेल के मूल्यों से सम्बन्धित समग्र प्रभाव और उसके निराकरण के बारे में योजना आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। चूंकि रेल-योजनाएं राष्ट्रीय योजना का अभिन्न अंग हैं अतः योजना आयोग द्वारा अध्ययन पूरे कर लिये जाने और रूप रेखा स्पष्ट होने के बाद आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिये ईरान से सहायता

58. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के आर्थिक मंत्री, डा० हुसेन अंसारी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान, भारत में तेल की कमी की को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उनका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में ईरान ने किस सीमा तक भारत की सहायता करनी आरम्भ कर दी है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : ईरान के अर्थ व्यवस्था मंत्री महा महिम श्री हुशांग अन्सारी की भारत यात्रा के दौरान ईरान के साथ अपने व्यापार विनियमों की विविधता की ओर इन विनियमों की श्रेणी और मात्रा दोनों में वृद्धि की संभाव्यता पर चर्चा की गई थी ? उन्होंने इसका संकेत किया कि अपनी क्षमता की दृष्टि से ईरान तेल की कमी में सुधार करने के लिए प्रस्तावों पर विचार कर सकेगा यद्यपि अपने तेल साधनों के संबंध में ईरान में अधिक वायदा किया था। तेहरान में इस महीने के अन्त तक इस विषय पर चर्चा चलती रहेगी।

(ग) ईरान से कच्चे तेल की सामान्य सप्लाई निरन्तर जारी है।

उर्वरक संयंत्रों के लिये जापान से ऋण

59. **श्री औरं० वी० स्वामीनाथन :**

श्री वी० माधवन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में उर्वरक कारखानों के लिए ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने इस पेशकश की शर्तों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पेशकश स्वीकार कर ली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले तीन उवरक संयंत्रों की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिए जापान ने 32.9 विलियन येन (चालू विनिमय दर के 98.7 करोड़ रुपय के बराबर) की ऋण सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। यह ऋण जिसका भुगतान 25 वर्षों में करना होगा, पर प्रतिवर्ष 4% ब्याज लगेगा। (जिस में 17 वर्ष की छूट अवधि सम्मिलित है)।

हावड़ा-आमता, हावड़ा-चंपाडंगा और हावड़ा-शिरवाला लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने के लिये भूमि का अधिग्रहण

60. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-आमता, हावड़ा-चम्पाडंगा और हावड़ा-शिरवाला लाईट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हवड़ा-आमला, हवड़ा-चम्पाडांगा और डानकुनी (हावड़ा)-शिरवाला रेलों के लिए भूमि का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार को करनी है और उसे ही भूमि का अधिग्रहण करके रेलवे को सौंपनी हैं।

बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की एक बेंच की स्थापना करना

61. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में कालीकट में हुए अपने सम्मेलन में देश के दक्षिणी क्षेत्र के वकीलों ने उच्चतम न्यायालय की एक ऐसी बेंच की खास तौर से बंगलौर में स्थापना करने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसको फाइल करने को शक्तियां हों; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिप्सम वैगनों के अभाव के कारण सिन्दरी फैक्टरी के बन्द हो जाने का खतरा

62. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में सिन्दरी फैक्टरी बन्द हो जाने की संभावना है यदि जोधपुर से सिन्दरी को जाने वाले जिप्सम के वैगन सिन्दरी फैक्टरी को नहीं दिये गये; और

(ख) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सिन्दरी को जिप्सम की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। और अब इस यूनिट के बन्द हो जाने का कोई खतरा नहीं है।

बिजली उत्पादन के लिए भारत को रूस से सहायता

63. **श्री बी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा बिजली उत्पादन के लिए दिये जाने वाले उपकरणों का कितना मूल्य है ;

(ग) क्या भारत ने जनवरी, 1974 में हुई बिजली की कमी दूर करने में सहायता करने के लिए रूस से मदद मांगी थी; और

(घ) रूस से सहायता कब तक उपलब्ध होने को सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेवर प्रसाद) : (क) से (घ) रूस ने भारत को इसके विद्युत् कार्यक्रम में सहायता करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में ताप और उसके साथ-साथ जल विद्युत् केन्द्रों के लिए उपस्कर को सप्लाई, संयंत्रों के निर्माण, चालू करने तथा प्रचालन के लिए सोवियत विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति और इसके लिए सोवियत संघ में भारतीय विशषज्ञों का प्रशिक्षण शामिल है। वास्तविक ब्यौरों को अभी तक तय नहीं किया गया है। अतः कुल मूल्य नहीं दिया जा सकता है ।

उद्योगों को बिजली की सप्लाई

64. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बिजली की कठिन स्थिति निरन्तर बनी हुई है;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप उद्योग को काफी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) क्या कम से कम उद्योग को बिजली की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश के विभिन्न भागों में विशेष रुप से उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा, दक्षिणी क्षेत्र में तमिल नाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में विद्युत्सप्लाई में कठिनाई की स्थिति जारी रही ।

(ख) इन राज्यों में विद्युत् की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिबंधक विद्युत् कटौतियां लगायी गई हैं ।

(ग) उद्योगों को अधिक विद्युत सप्लाई करने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए जा र हैं :—

(1) कोयले, इंधन, तेल फालतू पूर्जा आदि की सप्लाई तथा उनके परिवहन के लिए प्रबोधन तथा व्यवस्था द्वारा वर्तमान विद्युत् प्रतिष्ठानों के समुपयोजन को अधिकतम किया जा रहा है ।

(2) अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण तथा भार-प्रेषण केन्द्रों को स्थापित करने के कार्यक्रम में तेजी लायी जा रही है ।

(3) उत्पादन युनिटों के शीघ्र चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए उन परियोजनाओं में, जो पूर्ण होने वाली हैं, तेजी लायी जा रही है।

(4) पड़ोसी राज्यों के बीच विद्युत के विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विद्युत् उत्पादन क्षमता का इष्टतम सनुपयोजन और आरक्षित आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जा सके।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त जहां भी आवश्यक हुआ, बिजली बोर्डा को सहायता करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ सलाह करके इस मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में विद्युत् सप्लाई की स्थिति का पुनरवलोकन किया है।

राज्यों सरकारों को विद्युत् को उपलब्धता को सीमाओं के भीतर प्राथमिकता को एक युक्ति मूलक प्रणाली को शिफारिश की गई है। इसके अंतर्गत कुछ आधारभूत उद्योगों को विद्युत् सप्लाई के मामले में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

उर्वरक का उत्पादन तथा आयात

65. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1974 को देश में उर्वरक का कुल कितना उत्पादन हुआ।

(ख) अपने वाले वर्ष में उर्वरक की कितनी आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या देश में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरक का आयात किया जा रहा है और यदि हां तो इसको मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक उर्वरक कारखाने लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अप्रल 73 से जनवरी 1974 के दौरान पोषण तत्वों के रूप में नाइट्रोजन तथा फास्फेट के रूप में उर्वरकों का उत्पादन निम्न-लिखित था :—

नाइट्रोजन .	8,77,000 मीटरी टन
फास्फेट	2,71,000 मीटरी टन

(ख) खरीफ 1974 के लिये राज्यों/संघीय क्षेत्रों कमोडिटी बोर्डों की उर्वरक संबंधी आवश्यकतायें 10.13 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 3.33 लाख मीटरी टन फास्फेट और 1.97 लाख मीटरी टन पोटाश आंकी गई है। रबी 1974-75 के लिये उर्वरकों की आवश्यकताओं के 19.57 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 6.07 लाख मीटरी टन फास्फेट और 3.19 लाख मीटरी टन पोटाश होने की संभावना है। इस तरह वर्ष 1974-75 के लिये देश के लिये उर्वरकों की कुल आवश्यकताओं 29.70 लाख मीटरी टन नायट्रोजन, 9.40 लाख मीटरी टन फास्फेट और 5.16 लाख मीटरी टन पोटाश होंगी।

(ग) जी हां, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक अधिकतम जापान, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, रूस और फास्फेटिक उर्वरक यू० एस० ए० कानडा तथा पश्चिमी यूरोप और पोटाशयुक्त उर्वरक कानडा, पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप से आयात किये जाते हैं। पूर्वी यूरोप तथा रूस से आयात का प्रबन्ध एम एम टी सीके द्वारा और अन्य संसाधनों से सलाई विभाग द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, हां।

Alleged Malpractices Indulged into by the Practising Chartered Accountants

66. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint from Chartered Accountancy Trainees alleging malpractices indulged into by the practising Chartered Accountants; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister inthe Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Beda Brata Barua) : (a) Three complaints; regarding alleged malpractices by the Practising Charterd Accountants relating to the non-payment or inadequate payment of stipends to the students; prevention from getting suitable jobs; harrassment from the assistants of the auditors; general conditions of working, etc. were received during the year 1973.

(b) These matters of complaint, fall within the internal jurisdication on the Institute of Chartered Accountants of India and were, therefore, referred to them for their consideration in the matter.

Withdrawal of 229 UP and 230 DN Trairs running between Ajmer and Mahesana

67. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the 229 UP and 230 DN trains running between Ajmer and Mahesana were withdrawn and the period for which they remained cancelled; and

(b) whether these trains are proposed to be reintroduced and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) While No. 229 Up was partially cancelled for three days in April'73, 5 days in August'73, 7 days in September '73, 25 days in December'73 and 4 days in January'74, No. 230 Dn remained partially cancelled on 3 days in April' 73, 6 days in August' 73, 7 days in September '73, 26 days in December '73 and 4 days in January '74.

(b) The normal running of these trains has since been restored with effect from 5-1-74

Withdrawal of 5 Up and 6 Dn Trains Running Between Agra Fort and Ahmedabad

68. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the date on which the 5 Up and 6 Dn trains running between Agra Fort and Ahmedabad were cancelled;

(b) when they are proposed to be re-introduced; and

(c) the reasons for which they were cancelled?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Kureshi) : (a) to (c) 5 Up Agra Fort-Ahmedabad train remained cancelled during the periods from 18th April to 22nd April'73, 19th August to 31st August'73, 1st September to 20th September '73 and 6 Dn Ahmedabad-Agra Fort train remained cancelled during the periods of 19th April to 21st April'73, 19th August to 31st August'73 and 1st Sptember to 20th September'73. In April the cancellation was due to large scale staff absenteeism and in August and September due to breaches and the difficult coal position. 5 Up/6 Dn trains have again been partially cancelled between Jaipur and Ahmedabad with effect from 19-1-74 due to difficult coal position and will be restored as soon as the position in this regard improves.

3—37 L.S.S. (ND)/73

Progress on setting up of Meethapur Fertilizer Project

69. **Shri Madhavrao Scindia:**

Shri Hemendra Singh Banera:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the date on which an application for setting up a fertilizer project in Meethapur was received by Government as also the proposed production eapacity thereof;

(b) the objections raised by Government in regard to its proposed production capacity since then and the dates on which such objections were raised;

(c) the progress made so far in the matter of granting permission for setting up a fertilizer plant there and the action proposed to be taken in this regard in future; and

(d) what factors of Government policy are responsible for over siz years delay in granting permission for fertilizer production?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (b) M/s. Tata Chemicals Ltd. applied originally in Nov., 1967 for a letter of intent for establishing a fertilizer plant at Meethapur for an annual productions of about 460,000 tonnes of nitrogen, 370,000 tonnes of P^2O^5 and 279.000 tonnes of K^2O^4. This proposal was based on large scale imports of ammonia and phosphoric acid. In the context of the decision taken subsequently that imported ammonia should be used entirely in the public sector projects, the applicant firm was requested to revise their proposal suitably. In January 1970. M/s. Tatas submitted a revised proposal and Govt. granted a letter of intent on 25th July, 1970 for the production of the following items:

(In tonnes per annums)

(i) Triple superphosphate/diammonium sulphate . .	300,000
(ii) Ammonia	210,000
(iii) Urea	200,000
(iv) Ammonium Chloride	180,000

2. In Sept.' 70, various projects, including M/s. Tatas, based on imported phosphoric acid were advised, in the context of substantial reduction in the price of sulphur in the world market and the discovery and commercial exploitation of sizeable rock phosphate deposits in the country to develop facilities for captive production of the acid and to modify their proposal accordingly. In January, 1972, the company, while applying for a further extension of the letter of intent, requested for a modification so as to provide for the production of nitrogenous fertilizers only. In May, 1972 the letter of intent was modified with the following capacities.

(In tonnes per annum)

(i) Ammonia	210,000
(ii) Urea	200,000
(iii) Ammonium Chloride	180,000

3. The party submitted an application on 17-11-1972 for conversion of the letters intent into an industrial licence. As the company had not fulfilled the conditions of the letter of intent, it was considered premature to grant them an industrial licence. However, considering the progress made by them, the validity period of letter of intent granted to the party on 25-7-1970, was extended upto 31-12-1973. The party has since informed Government that they do not, for the present, wish to proceed further with this project. They have not also applied for extension of the validity of the letter of intent, which expired on 31st December 1973.

Exploration of Oil and Gas from Sea

70. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether many countries have succeeded in exploring Oil and Gas from the Sea;

(b) if so, the efforts made by India in this direction; and

(c) the countries which are helping or propose to help India in this respect indicating the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Big gas and oil finds have been discovered in off-shore areas e. g., in Australia, U.K., Norway, West Coast of Africa etc. Substantial finds of oil off-shore have also been made in the Persian Gulf, Africa, Indonesia and the Americas etc.

(b) The ONGC made its Jebut in the field of off-shore exploration in the Gulf of Cambay at Aliabet in 1970. While oil was struck there, it was not found to be commerciall exploitable. Now, however, in view of the exhorbitant increase in crude oil price in the world market, it is being reassessed whether it would be commercially worth while to re-explore the Aliabet area. Presently, off-shore drilling in the Bombay High Structure using 'Sagar Samrat' is in progress.

(c) An American firm namely Off-shore International S.A. are helping the ONGC the off-shore drilling in the Bombay High Structure. Additionally, negotiations are in progress with certain foreign parties for off-shore exploration on 'General Contractor Type' basis.

Running of Cars and Scooters by Gas

71. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether recently due to the situation created by the oil crisis some enthusiastic persons in various parts of the country demonstrated running of scooter, car and other vehicles on gas;

(b) whether Government have imposed a ban on running of scooter, car and other vehicles o ngas; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) LPG is meant primarily for domestic fuel and its prices are also fixed on that basis. Total production of LPG is only a fraction of the Motor Gasoline (MS) consumption in the country. It cannot therefore be a substitute for Motor Spirit. Besides both these products being the bye-products of crude refining, no overall advantage will accrue by replacement of one with the other. However, no ban as such has been imposed.

अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल के मूल्य

72. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के मूल्य विश्व में दूसरे नम्बर पर सब से अधिक भारत में है ;

(ख) यदि नहीं, तो विश्व के महत्वपूर्ण देशों में मूल्य वृद्धि के पश्चात् के आंकड़े क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) हाल ही में अशोधित तेल के मूल्य में तेजी से काफी वृद्धि हुई जिसमें से कुछ के मूल्य में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के पेट्रोल के मूल्यों में बार-बार परिवर्तन आये है। इस अनिश्चितता की स्थिति में विभिन्न देशों में पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से सम्बन्धित सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्तमान स्थिति में पेट्रोल के मूल्य में कमी करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे को कोयला या ईंधन सप्लाई करने में असफलता

73. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के अंतिम भाग के दौरान रेलवे के सामान्य संचालन के लिए पर्याप्त कोयला अथवा इंधन उपलब्ध नहीं था और अभी भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) सप्लाई की स्थिति में कब तक संतोषजनक सुधार होने की संभावना है ; और

(ग) कोयले की अनुपलब्धता के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल के महीनों में रेलों को कोयले की कम सप्लाई होती रही है जिससे कुछ अमहत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों का चलना अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया । स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) कोयला उत्पादन प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है और निकट भविष्य में स्थिति सुधर जाने की संभावना है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्रों में अधिक रलवे सुविधायें तथा सेवायें

74. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हीं क्षेत्रों को अधिक रेलवे सुविधायें तथा सेवाये दी जा रही है जिन्हें पहले ही काफी सुविधायें उपलब्ध है और पिछड़े क्षेत्रों की जिन्हें या तो बहुत ही कम सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध है अथवा बिल्कुल ही नहीं दी गयी है उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) उन क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों की निर्माण संबंधी योजनायें क्या है जहां इस प्रकार की सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) उन क्षेत्रों में अतिरिक्त सेवायें देने की क्या सम्भावनायें है जहां पहले ही से सेवा बहुत कम है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) से (ग)** रेलों के विकास की योजना राष्ट्रीय योजनाओं में निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बनायी जाती है । अर्थ-व्यबस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र को परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और पांचवीं योजना में रेलों में निवेश का एक बड़ा भाग कोयले, लोह अयस्क, तयार इस्पात, पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पादनों, सीमेंट, उर्वरक, आदि के परिवहन के लिए निर्धारित किया गया है । कच्चे माल और उद्योगों के स्थान, जिनका निर्णय रेलों द्वारा न करके अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है, के आधार पर ही इस यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलों की विकास योजनायें निर्धारित की जाती है ।

रेलों की विकास योजनाओं में अन्य जिस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, वह है लम्बी दूरी का यात्री यातायात, क्योंकि हमारे इस विशाल देश में, अधिकांश लोगों को लम्बी दूरी की यात्रा करने के लिए रेलें सबसे सस्ता और सबसे अधिक सुविधाजनक यात्रा का साधन हैं । अनुपनगरीय क्षेत्रों से शहरों को दैनिक यात्रियों का व्यापक परिवहन एक अन्य क्षेत्र है जिसमें रेल परिवहन सबसे अच्छा विकल्प है और इस क्षेत्र में सुविधाओं के विकास की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

उपर्युक्त क्षेत्र रेलों के विकास हेतु रखे गये सीमित धन का अधिकांश भाग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वित्तीय सीमाओं के बावजूद पिछड़े हुए क्षेत्रों को आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की गयी है । रेल मंत्री द्वारा 1973–74 के बजट भाषण में जो नयी नीति घोषित की गयी थी उस पर पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण और आसाव परिवर्तन परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के

लिए विचार किया गया है जिससे कि इन योजनाओं को प्रारम्भ करने में इन पर किये गये निवेश पर कम वित्तीय प्रतिफल का कोई प्रभाव न पड़े। इन रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण रेलों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग मांगा गया है। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे जमीन की लागत और निर्माण पर आने वाला मजदूरों का खर्च वहन करें। इस नयी नीति के अन्तर्गत, पिछड़े हुए क्षेत्रों में बहुत सी रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं और कुछ योजनाएं, जिनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो चुके हैं; पहले ही अनुमोदित हो चुकी हैं। शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने वाले आगामी बजट में इस किस्म की रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए कुछ और अधिक प्रस्ताव संसद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का विचार है।

Strikes on Railways During Last Three Months

75. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of strikes observed in Railways during the last three months, Zone-wise;

(b) the number of legal and illegal strikes among them, separately;

(c) the loss incurred by Government as a result of these strikes; and

(d) the action proposed to be taken by Government to enforce discipline and efficiency in the Railway administration in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha early.

(d) It has been decided to enforce the principle of "No work—no Pay" to discourage strikes and agitations. There shall be no laxity or relaxation in discipline and all acts of indiscipline shall be dealt with firmly. Loyalty will continue to be rewarded and full protection will be assured to all willing workers and their families to enable them to perform their duties during emergencies.

Reduction in Consumption of Petrol After Price Rise

76. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there has been any reduction in the consumption of petrol after rise in price of petroleum products during the last year;

(b) the month-wise consumption of petrol in Delhi during the last six months; and

(c) the number of petrol and diesel pumps in Delhi at present belonging to different oil companies?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Shortfall in the consumption of Motor Spirit has been to the extent of 19.2% in November 1973, 16.9% in December, 1973 and 23.8% in January, 1974 as compared to the corresponding months of the previous year.

(b) It will not be in the public interest to disclose figures of consumption of individual products.

(c) The number of retail outlets selling petrol and diesel or petrol only is in all 200 in Delhi area. The company-wise break-up is as follows:

IOC	57
Burmah Shell	62
Esso	35
Caltex	33
Indo-Burma Petroleum Co.	13
	200

Issue of First Class Railway Passes

77. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons who have been given first class Railway passes by the Indian Railways in addition to the Members of Parliament indicating the particulars of such persons; and

(b) the respective number of officers on the Railways who are entitled to travel by saloon, air-conditioned coaches and the first class?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A list of 79 individuals/organisations who have been issued complimentary passes is attached.

[*Placed in the Library. See No. L. T.* -6152/74]

(b) The approximate number of officers who are entitled to travel by the following is indicated against each:

(i) Inspection Carriage on duty	8,000
(ii) ACC (on duty)	850
(iii) I Class	30,000

Persons Killed and Wounded in Firing at Koderma Railway Station in January, 1974

73. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons killed and wounded in firing at Koderma Railway station in January, 1974 in connection with the 'Bihar Bandh';

(b) the reasons for the firing by the police and the steps taken by the Railways for the treatment of the wounded; and

(c) the gist of the incident?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No one was killed but 7 persons were wounded.

(b) A mob which had assembled on platform No. 1 of Koderma Railway tation at about 14.30 hrs. on 21-1-1974 started shouting slogans "Rail ko Looto", "Staff ko Maro" and became extremely violent. Finding an imminent danger of the mob entering the station office to loot the cash and kill or injure RPF and Police men and also to snatch away their arms firing had to be resorted to under the orders of a competent Magistrate.

The wounded persons were treated in the Local Civil Hospital.

(c) On 21-1-1974, at about 12.40 hrs., to observe 'Bihar Bandh', a large mob gathered near Koderma Level Crossing Gate close to East Cabin to stop train movement and they actually did stop the Up Military Special by placing rails, ballast etc. on both the lines. The Magistrate on duty at Koderma, with Bihar Military Police and RPF staff, tried his best to clear the track but to no effect. At about 14.30 hrs. on the same day about 400/500 persons assembled on platform No. 1 of the station and raised slogans such as "Rail ko Looto", "Staff ko Maro". The mob assaulted and Assistant Driver who was rescued by the RPF and the Police a fter amild lathi charge ordered by the Magistrate on duty. The mob then became still more furious and started pelting stones, from different directions, causing injuries to 12 persons including serious injury to a GRP constable. The Magistrate again ordered a Lathi Charge by the RPF and Police. This lathi charge did not produce the desired effect and the mob continued to attempt to enter the station office to loot the cash and kill or injure the RPF and Police men and also to snatch away their arms. The Magistrate then, finding no other alternative, ordered firing for the safety of lives and property resulting in injuries to 7 persons. The mob was cleared off at about 16.00 hrs. and train services were resumed at 16.40 hrs.

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

79. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान उड़ीसा राज्य के पिछड़े (आदिवासी) क्षेत्रों के सुधार के लिए मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान (जनवरी, 1974 तक) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की 13 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें 4.46 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है। इन स्कीमों में 914 गांवों के विद्युतीकरण 8080 पम्पसेटों के ऊर्जन और 1340 लघु और कृषि उद्योगों को बिजली की सप्लाई करने की परि-कल्पना की गई है। इनमें से 3 स्कीमें मुख्यतया जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिनमें 80.901 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है। इन स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि	विस्तार	
		गांवों की सं०	पम्पसेटों की संख्या
	(लाख रुपयों में)		
सुन्दरगढ़ जिले में एल्सारा थाना .	25.720	63	50
कोयजिहार जिले में चम्पा, पटना और सहरपदा खंड .	28.417	54	11
सुन्दरगढ़ जिले में नन्दगांव खंड . . .	26.764	76	25

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति के अवसर

80. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति संबंधी अवसरों के बारे में रेलवे बोर्ड ने निर्णय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध किये गये कोटे की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए सरकार ने भी कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 375 रुपये मासिक से अधिक वेतनमानों वाली रिक्तियों में भर्ती के वास्ते अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण कोटा निर्धारित है। अन्य रिक्तियों के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के वास्ते अलग अलग प्रतिशतता निर्धारित की गयी है जो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता पर आधारित

होती है जिसमें वह विशेष रेलवे चलती है। पदोन्नति के मामले में (i) श्रेणी I, II, III और IV में वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर ; (ii) श्रेणी II, III और IV में विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा; और (iii) श्रेणी III और IV में प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है बशर्ते इन पदक्रमों में सीधी भर्ती का तत्व 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ग) और (घ) रेल मंत्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है जो एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन है। इस अधिकारी की सहायता के लिए दो सलाहकार नियुक्त किये गये हैं जिनमें से एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जन जाति के हैं। इस महत्वपूर्ण काम के लिए क्षेत्रीय रेलों के कार्मिक विभाग में भी आवश्यक कर्मचारियों सहित एक एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

उद्योगों को आवंटित किए जाने वाले भट्टी तेल में कटौती

81. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को आबंटित किए जाने वाले भट्टी तेल में भारी कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) विश्व बाजार में उपलब्ध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों और महत्वपूर्ण भट्टी तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का ध्यान रखते हुए देश में भट्टी तेल की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार ने तेल कम्पनियों को सलाह दी है कि वे जनवरी और फरवरी 1974 के महीनों में गत कुल खरीद के आधार पर औद्योगिक यूनिटों की सामान्य कुल खरीदों की 90% आवश्यकता को पूरा करें।

प्रतिबन्ध लगाए जाने के पश्चात से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों का सृजन

82. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिबंध कब लगाया गया था ;

(ग) क्या प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नये पद बड़ी संख्या में बनाए गए; और

(घ) प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कुल कितने पद, वर्षवार, तथा रेलवेवार बनाए गए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) आयोजना बाह्य कार्यों के लिए गैर-कार्यप्रभारित प्रकृति के राजपत्रित पदों के सृजन पर 27-8-73 से पाबन्दी लगी हुई है। लेकिन पदों की कुछ अनिवार्य कोटियों के पद जैसे आयोजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और परिचालन/अनुरक्षण के लिए अपेक्षित पद परिचालनिक पद इस पाबंदी से मुक्त है। जहां तक अराजपत्रित पदों का सम्बन्ध है, पदों के सृजन पर, पहल-पहल 6-2-60 को पाबन्दी लगायी गयी थी और वही पाबंदी मुख्यालयों/मंडलों/जिला कार्यालयों में अब भी लगी हुई है। इस प्रकार की पाबन्दी नयी या अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या किसी विशिष्ट अतिरिक्त सेवा या कार्यकलाप के परिचालन और अनुरक्षण; स्वीकृत विकास सम्बन्धी योजनाओं और निर्माण कार्यों आदि के लिए अपेक्षित पदों जिनमें लिपिक वर्गीय और चौथी श्रेणी के पद भी शामिल हैं लागू नहीं है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेलों पर 27-8-73 के बाद सृजित श्रेणी I और श्रेणी II के गैर-कार्य प्रभारित पदों की वर्षावार संख्या अनुबन्ध 'क' में दी हुई है। जहां तक तीसरी श्रेणी के पदों का सम्बन्ध है, सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

कोटि	रेलवे	1973 (27-8-73 से 31-12-73 तक) पदों की संख्या
श्रेणी–I	मध्य	4
	पूर्व	6
	उत्तर	5
	पूर्वोत्तर	4
	पूर्वोत्तर सीमा	3
	दक्षिण	4
	दक्षिण-मध्य	5
	दक्षिण-पूर्व	6
	पश्चिम	4
		41
कनिष्ट वेतनमान I श्रेणी–II	मध्य	10
	पूर्व	19
	उत्तर	15
	पूर्वोत्तर	11
	पूर्वोत्तर सीमा	6
	दक्षिण	12
	दक्षिण-मध्य	9
	दक्षिण पूर्व	17
	पश्चिम	16
		115
		1974 (13-2-74 तक)

कोटि	रेलवे	पदों की संख्या
श्रेणी–I	पूर्व	1
	उत्तर	1
		2
कनिष्ट वेतनमान I श्रेणी–II	मध्य	1
	पूर्वोत्तर सीमा	5
		6

उर्वरक उद्योग में विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भरता

83. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग में अपना प्रक्रिया ज्ञान और तकनीकी जानकारी के संबंध में भारत अभी भी अधिकांशत: विदेशी सहायता पर निर्भर करता है; और

(ख) क्या सरकार थोड़ी सी भी आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया डिजायन और तकनीक संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त धन नियत करना उचित समझती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वर्षों से भारत ने उर्वरक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने के पर्याप्त उपाय साधन प्राप्त कर लिए हैं तथा इस समय बाह्य सहायता सीमित क्षेत्र जैसे जानकारी सम्बन्धी प्रक्रिया का अर्जन, आधुनिक उपकरणों की सप्लाई तथा देश में अनुपलब्ध सेवाओं तक सीमित है। बाहरी देशों पर निर्भरता की स्थिति को कम करने के लिए अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक आधार पर अनुसंधान को सघन बनाने, सुदृढ़ बनाने/विविधिकरण के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रेलवे परामर्श दात्री सेवा

84. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने अपनी स्वयं की परामर्शदात्री सेवा संगठित करने अथवा बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह प्रयास, केवल देश के भीतर ही रेलवे विकास कार्यों के निर्माण के बारे में अथवा देश के बाहर जब भी आवश्यकता पड़े, सहायता देने के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है यह परामर्श यूनिट विदेशी तथा भारतीय दोनों प्रकार के ग्राहकों को व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा।

(ग) इस कम्पनी को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात, उत्पादन और मूल्य

85. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे तेल के आयात, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि में तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) भारत में तेल संकट दूर करने के लिए अरब देशों, ईरान तथा सोवियत संघ से हुई बातचीत के क्या परिणाम रहे; और

(ग) तेल संकट का सामना करने के लिए देशी तेल संसाधनों की खोज के लिए नवीकृत योजना की रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1974 के आरम्भ से ही कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अतः यह हो सकता है कि तेल की उपलब्धि आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुई हो, 23-1-1974 से कुछ पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की गई ताकि उन्हें कच्चे तेल के वर्तमान ऊंचे मूल्यों के अनुरूप किया जा सके। अन्य उत्पादों का मामला विचाराधीन है ।

(ख) अभी विचार विमर्श जारी है ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा रूसी विशषज्ञों के संयुक्त दल द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पांचवों पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्यक्रम में 14.7 लाख मीटर व्यधन की परिकल्पना की गई है ताकि :

(i) 700 लाख मी० टन तेल के अतिरिक्त निक्षेपों की स्थापना, तथा

(ii) 1978–79 में 84.2 लाख मी० टन की दर से उत्पादन करना जिससे कि योजना अवधि में कुल उत्पादन 341.2 लाख मी० टन हो जाये।

उर्वरकों का कोयले पर आधारित उत्पादन करने के लिये योजना

86. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संकट को दूर करने के लिए दूर दर्शिता की दृष्टि से उर्वरक का कोयले पर आधारित उत्पादन आरम्भ करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) वर्तमान नेप्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को कोयले पर आधारित संयंत्रों के रूप में बदलने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। फीड स्टाक के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले तीन नए उर्वरक संयंत्र तालचेर (उडीसा), रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश) तथा कोरबा (मध्य प्रदेश) में स्थापित किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय रेलवे मैन फेडरेशन द्वारा की गई मांग

87. श्री समर गुह :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे मैन फैडरेशन द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के बारे में तथ्य क्या है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारी फरवरी, 1974 में आम हड़ताल करने की सोंच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अखिल भारतीय रेलवे मैन फेडरेशन तथा अन्य रेल कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए गए मामले के बारे में समझोता करने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हा ये मांगें रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तो से सम्बन्धित हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप टैक्सी ड्राइव्हरों को हुई कठिनाइयां

88. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के टैक्सी ड्राइवरों ने पेट्रोलियम तथा अन्य संश्रित उत्पादों के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु हड़ताल और बंद का आयोजन किया;

(ख) क्या उनके प्रतिनिधियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो टैक्सी ड्राइवर संघ द्वारा सरकार को किए गए अनुरोध के तथ्य क्या है; और

(घ) उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) देश के कुछ भागों से टैक्सी ड्राइवरों द्वारा की गई हड़तालों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) कलकत्ता स्थित अखिल भारतीय टैक्सी ड्राइवर यूनियन की परिषद ने प्रधान मंत्री को भेजे दिनांक 30-11-1973 के अपने ज्ञापन की एक प्रति इस मंत्रालय को भेजी है ।

(ग) ज्ञापन मुख्यत: पेट्रोल के मूल्य के संबंध में विभिन्न मामलों से संबंधित था तथा मूल्य में राहत दिए जाने का आग्रह किया गया था ।

(घ) पैट्रोल के दामों में वृद्धि आयातित कच्चे तेल के मूल्य में भारी वृद्धि तथा समग्र राष्ट्रीय हित में इसकी खपत पर रोक लगाने की दृष्टि से पैट्रोल पर कर लगाये जाने के कारण हुई है ।

मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप पेट्रोल व्यापारियों को हुई कठिनाइयां

89. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के मूल्यों में हुई अचानक असाधारण वृद्धि के परिणामस्वरूप बेरोजगार स्नातक इंजीनियर योजना के अन्तर्गत पैट्रोलियम व्यापारियों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्होंने मंत्री महोदय को इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन में बताई गई समस्याओं का सार तथा उनके हेतु सुझाये गये निदान क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन पेट्रोलियम व्यापारियों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत व्यापारियों ने इस बारे में अभ्यावेदन दिये है । बताई गई समस्या का सार इस प्रकार है :—

(i) वे राष्ट्रीकृत बैंकों को व्याज के रूप में बहुत बडी राशि दे रहे है;

(ii) पेट्रोल के मूल्य में भारी वृद्धि हो जाने के कारण स्टाक का कुल मूल्य बढ़ गया है और इस लिये उन्हें आग बीमा कम्पनी को बीमा किश्त उच्च दर पर देनी पड रहीं है;

(iii) उनकी कुल बिक्री में कम से कम 40% की कमी हो गई है जिससे उनका मुनाफा घट गया है;

(iv) इन पेट्रोल पम्पो पर 70 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे है और कि उन्हें 50% कर्मचारीयों की छंटनी करनी पडेगी ।

इस के लिये उन के द्वारा सुझाये गये समाधानों का सार इस प्रकार है :—

(i) पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर कमीशन बीजक मूल्य पर कम से कम 8% होना चाहिए ।

(ii) एस एस एल एफ भारतीय तेल निगम की दी जाने वाली लाइसेंस फी बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए ।

(iii) उन्हें इंडेन गैस की डीलर शीपदी जानी चाहिए।

(iv) उन्हें तमाम पैट्रोल पम्पो पर मरम्मत करने संबंधी सुविधा शुरू करने की तुरन्त इजाजत दी जाए ।

(v) लुब्रीकन्टस को सभी किस्मों की सप्लाई उनकी मार्फत की जानी चाहिए ताकी वे औद्योगिक क्षेत्र के लिये कारोबार कर सके ।

(vi) जहां पर कोई पम्प न हो, डीजल का वितरण करने वाले पम्प दिये जाने चाहिये ।

(vii) बैंक के ब्याज में कमी की जानी चाहिए।

(viii) बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

(ix) पैट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिये बैंक ड्राफ्ट पद्धति की बजाये चैक पद्धति की इजाजत दी जानी चाहिए।

(x) उन्हें तकनीकी कारोबार अथवा नोकरी करने की इजाजत दी जाए।

(xi) उन्हें भारी तथा हल्की मोटर गाडियों के लिये टायरों की डीलरशीप दी जाए।

(xii) उन्हें विक्री कर में 50% तक की राहत दी जाए।

(घ) और (ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

तट-दुर खूदाई के लिए मशीनों पर व्यय किया गया धन

90. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विगत दो वर्षो में देश में तट-दूर खुदाई कार्यो के लिये मशीनों तथा अन्य उपकरणों की खरीद पर वर्षवार कितना धन व्यय किया है;

(ख) क्या तट-दूर खुदाई मे कुछ सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपतटीय व्यधन के सम्बन्ध में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हतू क्रमश: 887.71 लाख तथा 424.37 लाख रुपये **खर्च** किये ।

(ख) अलोयावेट में एक छोटी खोज के अतिरिक्त पेट्रोलियम की कोई अपतटीय खोज नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोल, डीजल तेल और हाईस्पीड डीजल तेल की कमी

91. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल, डीजल तेल, हाई स्पीड डोजल तेल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने के बावजूद भी देश में पैट्रोल, डीजल आयल और हाई स्पीड डीजल आयल की कमी बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन उत्पादों को निर्धारित दरों पर पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से देश भर के किसानों को उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) नवम्बर, 1973 से, जब कि इसके मूल्यों मे वृद्धि की गई थी, पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) की खपत में कमी हो जाने से देश में इस समय पैट्रोल की कोई कमी नहीं है ।

तथापि, हाई स्पीड डीजल तेल की मांग में काफी वृद्धि हो गई है । अत: हाई स्पीड डीजल आयल की बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मिट्टी के तेल का उत्पादन फिर घटा दिया गया है । अधिक मांग तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण कुछ स्थानीय कमियां भी हुई हैं। देश में डीजल आयल की सप्लाई बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

तेल कम्पनियां के डिपुओं तथा पैट्रोल पम्पों के डीजल आयल के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाते है । राज्य सरकारों को कहा गया है कि इन मूल्यों को बनाया रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस उत्पाद की जमाखोरी तथा चोर बाजारी न होने पाये ।

उद्योगों के लिये मालडिब्बों की कमी

92. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1973 में मालडिब्बों की कमी का बहुत से उद्योगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) नियमित रूप से माल डिब्बे दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कभी कभी उद्योगों को मालडिब्बों की सप्लाई में विलम्ब हुआ है । यह ऐसे कारणों से हुआ है जिन पर बहुधा रेलों का नियंत्रण नहीं होता। सूखे के दौरान खाद्यानों का असामान्य संचलन उसके बाद गर्मी के महीनों में बिजली की सप्लाई में भारी कटौती के कारण रेल संचलन का प्रभावित होना, हडतालों का सिलसिला, कर्मचारियों और जनता द्वारा किये गये आन्दोलनों से रेल संचलन बराबर प्रभावित होता रहा और भारी संख्या मे रेलों के मालडिब्बों-भी रुके पडे रहे। इस कारण माल डिब्बों की सप्लाई में विलम्ब हुआ।

(ग) यदि सामान्य स्थिति रहे तो रेलों को उद्योगों की और से मालडिब्बों की सप्लाई के लिए की गयी मांगों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

भारतीय रेलों को 1 अप्रैल, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक धन व सम्पत्ति की हानि

93. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों को 1 अप्रैल, 1973 से 31 जनवरी, 1974 के दौरान हड़तालों के फलस्वरूप अनुमानत: कितनी कमाई और सम्पत्ति की हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलों में हडतालों पर भारत रक्षा नियमों के अधीन रोक लगाने का है; और

(ग) ऐसी हडतालों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) सभी श्रेणी के कर्मचारियों को उचित मांगों पर सामूहिक समझोता तंत्र की विभिन्न श्रेणियों—स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र— जो एक बहुत लम्बे समय से संवैधानिक एवं सोदेश्य रूप से काम कर रही है, के माध्यम से विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। फिर, गैरमान्यता प्राप्त यूनियनों सहित किसी भी स्रोत से प्राप्त अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है। और जैसा भी प्रत्येक मामले में उचित होता है कार्रवाई की जाती है । जब शिकायतों से सम्बन्धित विषयों को उठाने और उनको दूर करने की इतनी गुंजाईश है तो नियमानुसार कार्य, संरक्षा के अनुसार कार्य आदि जैसे गैर कानूनी हडतालों या आन्दोलनों के एकाएक प्रस्फोटन के लिए वास्तव में कोई स्थान नहीं होना चाहिये ।

2. भारत रक्षा नियम, 1971 का प्रयोग करते हुए 25-11-73 को जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत 26-11-73 से छ: महीने की अवधि के लिए रेल सेवा में हडताल का निषेध है, इन आदेशों का उल्लंघन इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार दण्डनीय है ।

3. जो रेलवे कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के उल्लंघन में गैर कानूनी हडतालों में भाग लेते है, वे उक्त अधिनियम में निर्धारित दण्ड के भागी है ।

4. हड़ताल एवं आंदोलनों के लिए भडकाने वाले तत्वों को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धान्त लागू करने का विनिश्चय किया गया है ।

अनुशासन में कोई ढील या छूट नहीं होगी और अनुशासनहीनता के सभी मामलों में सख्ती बरती जायेगी ।

त्रिपुरा में तम्बरोर जल विद्युत परियोजना के लिए जलाशय के निर्माण हेतु लोगों को बेदखली

94. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बरोर जल विद्युत परियोजना के लिए जलाशय का निर्माण करने हेतु त्रिपुरा के रायना सूरमा क्षेत्र से बडी संख्या में लोगों को जबर्दस्ती बेदखल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बेदखल किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(ग) क्या बेदखल व्यक्ति आदिवासी लोग है; और

(घ) क्या उन्हें वैकल्पिक भूमि और पुनर्वास सुविधाएं दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जबकि दमवारू (गुमटी) जल विद्युत् परियोजना के रेमा सर्मा क्षेत्र से किसीको भी बल-पूर्वक निष्कासित नहीं किया गया है, 243 परिवार (236 आदिम जनजाति और 7 गैर आदिम जनजाति) जिनको मुआवजा दिया जा चुका है और 997 आदिम जनजाति परिवार जिनका भूमि के ऊपर कोई अधिकार और स्वामित्व नही है उनको अन्तिम रूप से जाने के लिए राजी किया गया है ।

जिन परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है वे अपने पुनर्वास के लिए स्वयं प्रबंध कर रहे है; अन्य लोगों के लिए अमरपुर उप-मंडल में वैकल्पिक भूमि का प्रबंध कर दिया गया है ।

भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में रेलवे लाइनों का निर्माण

95. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छोटे देशों से विशेषत: दक्षिण एशिया के देशों से वहां पर रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये प्रस्ताव आये है; और

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे प्रस्ताव आये है और उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जोहरे में वर्तमान रेलवे लाईन से पसीर-गूडंग नये के पतन तक लगभग 10 से 15 मील लम्बे रेल सम्पर्क का आर्थिक एवं तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए हाल में मलेशिया सरकार ने भारत सरकार से द्वि-पक्षीय सहायता के लिए लिखा है। रेल मंत्रालय इस अध्ययन के लिए सहमत हो गया है तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक अनुमान तैयार कर लिया गया है । अध्ययन को चरणबद्ध करने के बारे में विनिश्चिय मलेशिया सरकार के परामर्श से यथा समय किया जायेगा ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों तथा छात्रों को विशेष सुविधाएं

96. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों के तीसरे दर्जे के यात्रियों तथा छात्रों को विशेष सुविधाएं मिलने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधाएं देने का विचार है, और

(ग) उन पर अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तीसरे दर्जे के यात्रियों और छात्रों को जो सुविधाएं इस समय दी जा रही है उनके अलावा कोई और विशिष्ट सुविधाएं दने का विचार नहीं है। हाल ही में शैक्षिक भ्रमणों के लिए आरक्षित सवारी डिब्बों के आबंटन में भी छात्रों को तरजीह दी गयी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने के लिए मोटर चालकों को शिक्षित करने का अभियान

97. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने के लिए मोटर चालकों को शिक्षित करने का प्रचार अभियान लागू करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने तेल कम्पनियों से फूटकर, विक्री केन्द्रों पर मोटर चालक जनता की जानकारी के लिए ऐसे साधारण परीक्षण वाले पोस्टर लगाने को कहा है जिनसे अपमिश्रण का पता लग सकता है।

"कन्टीनेन्टल सेल्फ" क्षेत्रों में तेल का भारी भंडार

98. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने बंगाल की खाड़ी में निमग्न तटीय क्षेत्रों में तेल के भारी भंडारों की सूचना दी है और यह कहा है कि विश्व के तेल भंडार का 80 प्रतिशत "कन्टीनेटल सेल्फ" क्षेत्रों स मिलता है,

(ख) क्या सरकार का विचार बंगाल की खाडी तथा बंगाल की खाडी के तटीय क्षेत्रों में, जिनमें पश्चिम बंगाल, उडीसा, अन्दमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र है, तेल की खोज आरंभ करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं

(ख) सरकार तेल के लिए बंगाल, उडीसा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समिपवर्ती महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्रों में खोज आरंभ करने का विचार कर रही है।

6—37 LSS(ND)/73

फुलपुर में तेल चालित उर्वरक संयंत्र

99. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट फूलपुर में उर्वरक संयंत्र ईंधन तेल से चलेगा;

(ख) क्या अब तक की नीति केवल कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों को ही लायसेंस देने की रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को इससे छूट देने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) फूलपुर में सहकारी क्षेत्र में आई० एफ० एफ० सी० ओ० द्वारा स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिए फीड स्टाक के रूप में ईंधन तेल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनवरी, 1974 में दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में आग

100. **श्री के० एम० मधुकर** :

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जनवरी, 1974 को दुर्गापूर प्रोजेक्ट लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में विनाशकारी आग लग गई थी;

(ख) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले की जांच कर रही है । इस संबंध में रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तेल के मूल्य की वृद्धि से भारत पर प्रभाव

101. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्य में वृद्धि से भारत पर सबसे अधिक प्रभाव पडा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारत उन देशों में सम्मिलित है जिन पर अत्यधिक प्रभाव पडा है ।

(ख) मुख्य रूप से सरकार निम्नलिखित दिशाओं में कदम उठा रही है :—

(i) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर अधिकाधिक निर्माण।

(ii) तेल पदार्थों की आवश्यक खपत में कमी।

(iii) निर्यात को अधिकतम करना ताकि अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए तेल आयात के व्यय की व्यवस्था की जा सके।

(iv) कच्चे तेल आदि के देसी उत्पादन को अधिकतम करने की दृष्टि से क्रियाविधियों को सघन करना।

आपटा से मंगलौर तक पश्चिम तट रेलवे का निर्माण

103. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपटा से मंगलोर तक पश्चिम तट रेलवे के निर्माण सम्बन्धी कोई निर्णय लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है?

(ग) निर्माण कार्य वास्तव में कब शुरू होगा; और

(घ) क्या इस लाइन के बारे में वर्ष 1974–75 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) आप्टा से मेंगलूर तक एक रेलवे लाइन के लिए एक मार्ग निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि यह लाईन अलाभप्रत होगी। तथापि 1973-74 का बजट पेश करते समय 20 फरवरी, 1973 को रेल मंत्री के अभिभाषण के पैरा 41 में बताये गये अनुसार देश के पिछडे हुए क्षेत्रों के विकास के लिए नवी रेलवे लाइनों के निर्माण की नयी नीति का अनुसरण करते हुए विकास सम्बन्धी आधार पर आप्टा मेंगलूर लाइन सहित नयी लाइनों के निर्माण के लिए पांचवी योजना में अतिरिक्त धन आबंटित करने के वास्ते योजना आयोग को प्रस्ताव पेश किया गया है। इस बीच हाल के सूखा के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सूखा राहत कार्यों के रूप में आप्टा दासगांव खण्ड (106 किलोमीटर) में मिट्टी डालने का काम शुरू किया था। दास गांव और मेंगलूर के बीच व्यापक सर्वेक्षण की व्यवस्था भी 1974-75 के बजट में की जा रही है।

निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में विनिश्चय केवल योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए अपेक्षित धन आबंटित कर दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

सिगनल तथा लोको कर्मचारियों द्वारा धीरे काम करो नीति का अपनाया जाना

104. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल तथा लोको जैसे कुछ रेल कर्मचारियों ने हाल ही में धीरे काम करो की नीति अपनाई है और एक दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करने से इन्कार कर दिया है,

(ख) इस नीति का माल तथा यात्री गाडियों के आने जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । कुछ रेलों पर, एक हद तक "धीरे काम करो" हथकंडों का अपनाया जाना कुछ सिगनेलरों और अनुरक्षण कर्मचारियों तक ही सीमित रहा ।

(ख) कुछ गाडियों को विलंब हुआ ।

(ग) भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के अनुसार किसी रेल कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले 'धीरे काम करो' हथकंडों पर 26-11-1973 से छः महीने की पाबन्दी लगा दी गयी है ।

कृष्णा बेसिन के संबंध में नदी जल विवाद आयोग की सिफारिश

105. श्री शंकरराव सावंत :

श्री वी० एन० रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा बेसिन के संबंध में नदी जल-विवाद आयोग की मुख्य शिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई बड़ी तथा मध्यस्तर की सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की हैं ;

(ग) क्या आयोग ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को निपटाने के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के मुख्य निर्णयों का विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधिकरण के निर्णयों की रोशनी में उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नई परियोजनायों का पुनरीक्षण करें और संशोधित परियोजना रिपोर्टों को अद्यतन लागत अनुमानों सहित भेजे तथा परियोजनाओं के लिए अन्तर सः (इन्टर-सि) प्राथमिकता भी बताएं ताकि उन पर आगे कार्यवाही की जा सके ।

(ग) और (घ) न्यायाधिकरण ने यह माना है कि एक अंतर्राज्यीय नदी में राज्यों का अधिकार साम्य विभाजन के नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक यूनिट को सांझी नदी के जल का न्यायसंगत भाग मिलना चाहिए । बहरहाल, न्यायाधिकरण ने कहा है कि साम्य विभाजन की धारणा का यथातथ्य प्रतिपादन नहीं होता है । प्रत्येक नदी प्रणाली की अपनी अलग-अलग विशषताएं होती हैं । जल का विभाजन नदी प्रणाली के विशेष भौतिक, जल वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक और विधिक पहलुओं और उसके द्वारा जल निकास और सेवित क्षेत्र पर विचार करके किया जाना चाहिए तथा विवाद का हल भी इन्हीं के अनुसार होना चाहिए ।

विवरण

(क) अन्तर्राजीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य निर्णय दिए ह :—

1) विजयवाड़ा तक कृष्णा का 75 प्रतिशत विश्वसनीय बहाव 2060 टी० एम० सी० नियत किया गया है और इसे तीन राज्यों में बांट दिया जाए । एक जल वर्ष में महाराष्ट्र 565 टी० एम० सी; और कर्नाटक 695 टी० एम० सी० से अधिक जल इस्तेमाल नहीं करेंगे ।

शेष जल को आंध्र प्रदेश इस्तेमाल कर सकता है परन्तु उसे 800 टी॰ एम॰ सी॰ से अधिक जल इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। राज्यों को वापसी बहाव को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ढंग से इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे दी गई है।

(2) महाराष्ट्र को आवंटित जल में से, राज्य को कृष्णा बेसिन के बाहर कोयना जल-विद्युत् परियोजना से प्रतिवर्ष 67.5 टी॰ एम॰ सी॰ से अधिक और लगातार पांच वर्ष की किसी भी अवधि में टाटा हाइडल वर्क्स से 212 टी॰ एम॰ सी॰ से अधिक अथवा किसी भी वर्ष में 54.5 टी॰ एम॰ सी॰ से अधिक जल का व्यपवर्तन नहीं करना चाहिए। न्यायाधिकरण ने कोयना परियोजना पर वर्तमान 97 टी॰ एम॰ सी॰ जल के पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तन में कमी को चरणबद्ध कर दिया है। पश्चिम की ओर किसी और व्यपवर्तन की अनुमति नहीं दी गई है।

(3) घटाप्रभा, तुंगभद्रा और वेदावती उप-बेसिनों में तथा भीम नदी को मुख्य सरिताओं से और कगना नदी के वाह क्षेत्र से जल के इस्तेमाल करने पर पाबन्दी लगा दी गई है।

(4) न्यायाधिकरण ने प्रति वर्ष कृष्णा के जल के वितरण के लिए भी एक स्कीम की रूपरेखा बना दी है जिसके अनुसार 2060 टी॰ एम॰ सी॰ तक के बहाव को 565 695 800 (महाराष्ट्र : कर्नाटक : आंध्र प्रदेश) के अनुपात में बांटा जाएगा और 2060 टी॰ एम॰ सी॰ से अधिक बहाव को तीनों राज्यों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। इससे कृष्णा के जल का, उन वर्षों में, जिनमें वर्षा अच्छी हुई है, जल को संचयों द्वारा बचा कर, अधिक इस्तेमाल संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों के मामले में उनके बीच समझौते द्वारा अथवा ऐसे मामले में संसद द्वारा बनाए गए विधान द्वारा अंतर्राज्यीय प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करके प्रचालन में लाई जाएं।

(5) पंचाट पर 31 मई, 2000 के पश्चात् किसी भी समय किसी भी ऐसे समुपयोजन को प्रभावित किए बिना, जिसे इस पंचाट के अंतर्गत किए गए आबंटन की सीमा में किसी भी राज्य ने प्रारंभ कर दिया हो, पुनरवलोकन किया जा सकता है। यदि इसी समय में, कृष्णा जल में कोई वृद्धि हो जाती है तो राज्य ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकरण के सामने अपने भागों में संशोधन के लिए अपने दावे हेतु जोर दे सकते हैं।

Strikes by Various Categories of Railway Workers during the Year 1973

106. **Shri Shankarrao Savant :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) how many and during which period were strikes organised by the various categories of Railway Workers during the calendar year 1973;

(b) what concessions were made in each case to induce them to call off the strikes and against how many persons disciplinary actions were taken during each of these strikes;

(c) were any of these strikes declared illegal, if so, which and what action was taken against persons taking part in illegal strikes; and

(d) were any such actions subsequently withdrawn and if so, in respect of how many persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :)a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

गुजरात में चल रहे उर्वरक कारखाने

107. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कितने तथा कौन कौन से उर्वरक कारखाने चल रहे है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कारखाने में प्रत्येक वर्ष कितना-कितना वार्षिक उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) :

क्रम सं०	फैक्टरी का नाम		निम्न वर्षों के दौरान '000 मीटरी टन में पोषक तत्व नाइट्रोजन और फासफेट के रूप में उत्पादन			
			1970-71	1971-72	1972-73	1973-74 (जनवरी) अप्रैल,
1	गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी लि०, बड़ौदा	नाइट्रोजन	149	185	203	142
		फासफेट	25.3	24.4	31.7	24.6
2	आदर्श कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि०, उमना	फासफेट	5.1	0.6	6.7	5.4
3	ऐलेम्बिक कैमिकल्स वर्कस, बड़ौदा	फासफेट	1.9	2.9	2.2	2.3
4	अनिलस्टार्स प्रोडक्टस, भावनगर	फासफेट	1.6	2.7	1.2	1.1

हावड़-आमता तथा हावड़ा-शेरवाला लाइट रेलवे का ब्राडगेज में परिवर्तन

108. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले मार्टिन रेलवे के अन्तर्गत आने वाले हावड़ा-आमता तथा हावड़ा-शेरवाला क्षेत्रों का ब्राडगेज में बदलने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1973-74 में अनुदान की पूरक मांगों के जरिए इस कार्य को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। इस लाइन की पुंजी लागत तथा उसके परिचालन में राज्य सरकार के हिस्से से सम्बन्धित ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की स्लीपर फाउन्ड्रीज का मध्य दिसम्बर, 1973 में बन्द हो जाना

109. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने स्लीपरों के लिये विशेष तथा पश्चिम बंगाल की स्लीपर फाउन्ड्रीज को कोई क्रयादेश नहीं दिये जिसके कारण बहुत सी फाउन्ड्रीज वर्ष 1973 में दिसम्बर के मध्य में पूरी तरह बन्द हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 12-11-1973 को रेलवे बोर्ड ने ढलवां लोहे की स्लीपर-प्लेटें सप्लाई करने के लिए 34 फर्मों को स्वीकृति-पत्र जारी किये थे, जिनमें से 22 फर्मों को जिनके कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं, कुल 72,700 मीटरिक टन की मात्रा के लिए प्रस्ताव भेजे गये थे। अभी तक पश्चिम बंगाल की केवल 8 फर्मों ने 26,600 मीटरिक टन ढलवां लोहे की स्लीपर-प्लेटें सप्लाई करने की स्वीकृति दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"Work to Rule" Call by Indian Railway Loco Mechanical Staff Association

110. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether at the call of Indian Railway Loco Mechanical Staff Association, the mechanical employees working in the loco sheds were on 'work to rule' agitation from the 25th November, 1973 to 24th January, 1974;

(b) if so, what were their demands;

(c) whether this agitation was called off at the Minister's intervention; and

(d) if so, what action has been taken by Government to meet their demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes. Work to rule agitation was launched by some Shed Maintenance Staff on the Eastern and North-Eastern Railways.

(b) Their main demands are:

1. Factory Act should be applied to Loco Sheds. On the contrary, the Factory Act has stipulated that it applies only where some item is under a process of manufacture on a continuing basis and it is definitely stipulated that this Act shall not apply to Loco Running Sheds

2. Promotion from unskilled to semi-skilled grade after 8 years service.

This is not possible considering their nature of duties which require more of unskilled work.

(c) No. Minister, however, made a general appeal.

(d) Does not arise.

Russian Proposal to hold A Conference of Oil Producing Countries

111. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Soviet Union has made a proposal for holding a conference of the oil producing countries to seek a solution of the world oil arisis; and

(b) if so, the broad outlines thereof and Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) The Government of India are not aware of any such proposal.

Setting up of Coal-Based Power Houses in various States

112. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up six coal-based big power houses in different States;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which the said scheme is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : A Committee for the selection of sites for large thermal power stations in coal bearing areas in different regions has been set up by the Government of India. The Committee has visited various sites and is expected to submit the report shortly.

Setting up of Thermal Power Station at Dalkhola in North Bengal

113. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri P. R. Das Munsi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether decision has since been taken regarding setting up of a thermal power station at Dalkhola in North Bengal during the Fifth five Year Plan; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Siddheshwar Prasad): (a) & (b) : The question of establishing a thermal power station at Dalkhola in North Bengal is under consideration of the State Government.

दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे में लोको रनिंग स्टाफ द्वारा 'वेतन हड़ताल'

114. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की दिल्ली डिवीजन में लोको रनिंग स्टाफ ने 11 जनवरी, 1974 से 'वेतन हड़ताल' की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह दिसम्बर, 1973 में हुई अवैध हड़ताल की अवधि के लिए वेतन में कटौती के विरोध में था।

(ग) 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत हड़ताल और आन्दोलनों को उकसाने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। यह कोई शिकायत नहीं है और इसलिए तुरन्त कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रेलों में शिकायतों को दूर करने के लिये विभिन्न स्तरों पर सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कल्याण निरीक्षक, मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन और उनकी शाखाएं, जिनके अन्तर्गत समूची प्रणाली आ जाती है, मंडल अधीक्षक से रेलवे बोर्ड तक तीन स्तरों पर एक स्थायी वार्ता तंत्र शामिल हैं।

तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई

115. **श्री भालजीभाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तेल शोधक कारखानों के लिए अशोधित तेल की सप्लाई की स्थिति अनिश्चित है ;

(ख) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल की सप्लाई के ठेके की अवधि गतवर्ष पूरी हो चूकी है और कोचीन तथा हाल्दिया को जहां जून, 1974 से उत्पादन आरम्भ होता है अशोधित तेल की सप्लाई के लिये किसी भी विदेशी फर्म से कोई निश्चित आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार उसकी आवश्यकता पूरा करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस समय हमारी परिष्करणशालाओं को कार्यक्रमानुसार कच्चा तेल सप्लाई किया जाता है। कच्चे तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति को देखते हुए वर्ष 1974 की शेष अवधि में सतत सप्लाई होने में अनिश्चितता बनी हुई है।

(ख) तथा (ग) : कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड तथा टोटल इन्टरनेशनल लिमिटेड (फ्रांस में राजकीय सहभागिता वाली कम्पनी) में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जो करार हुआ था वह 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हो गया। इस परिष्करणशाला को आई० ओ० सी० द्वारा खाड़ी क्षेत्र से कच्चा तेल सप्लाई किया गया है। आई० ओ० सी० ने सऊदी अरबिया के मेसर्स पेट्रोमिन तथा ईराक के आई० एन० ओ० सी० से करार लिए हैं। इसके अतिरिक्त इस परिष्करणशाला के लिए 6 लाख मी० टन रुस्तम क्रूड भी उपलब्ध है।

जहां तक हल्दिया परिष्करणशाला का प्रश्न है 1974 के लिए कच्चे तेल की सप्लाई की व्यवस्था भारत सरकार तथा टोटल इन्टरनेशनल लिमिटेड के बीच हुए कच्चे तेल के विक्रय सम्बन्धी करार के अन्तर्गत की जा रही है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित तथा सीधे आयातित अशोधित तेल के मूल्य

116. **श्री भालजी भाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो, बर्मा शेल, आई० बी० पी० जैसे विदेशी सप्लायरों द्वारा सप्लाई किया गया अशोधित तेल, सरकार द्वारा सीधे मध्य पूर्व देशों से प्रस्तावित आयात किये जाने वाले अशोधित तेल से सस्ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों के बीच क्या अंतर है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : विदेशी तेल कम्पनियां अपने सप्लायरों के मूल्य व्यवस्था के आधार पर भारत में अशोधित तेल का आयात करते हैं। अशोधित तेल की प्रत्यक्ष सप्लाई भारतीय तेल निगम द्वारा की जाती है जिसने इस कार्य के लिए कुछ तेल उत्पादक देशों के राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ करार किया है। निगम के वाणिज्यिक हित में यह बताना उचित नहीं होगा कि अशोधित तेल का आयात किस मूल्य पर होता है।

भारत स्थित विदेशी तेल शोधक कारखानों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब

117. **श्री भालजीभाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी तेल शोधक कारखानों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के फलस्वरूप इन तेलशोधक कारखानों ने अत्यधिक लाभ की राशियां कमायी है तथा विदेशों को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान दिये गये लाभ विदेशों को भेजी गयी राशियों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार परिशोधन कंपनियों के लाभांशों का नियंत्रण किया जाता है। विपणन कंपनियों के सम्बन्ध तेल निर्धारण मूल्य समिति द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ब्यौरेवार खर्च के बाद उनके लाभों को नियंत्रित किया जाता है।

वी० एन० एलिवास एण्ड कम्पनी द्वारा शेयरों का श्री आर० पी० गोयन्का को हस्तांतरित करना

118. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या वी० एन० एलिवास एण्ड कम्पनी के शेयर श्री आर० पी० गोयन्का को हस्तांतरित करने सम्बन्धी सौदा हुआ है ;

(ख) क्या डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने वी० एन० एलिवास एण्ड कम्पनी द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के किसी कम्पनी गृप का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) : सूचना संग्रह जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वर्ष 1974 में अशोधित तेल के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा

120. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अशोधित तेल का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ख) वर्ष 1972 तथा 1973 में व्यय की गई राशि की तुलना में इसकी स्थिती क्या है ;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) चालू वर्ष के दौरान में अशोधित तेल के मूल्यों में अनिश्चितता के कारण अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की राशि को बताना इस समय सम्भव नहीं है।

(ख) 1972 के दौरान खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि 144.25 करोड़ रुपये थी, 1973 वर्ष के लिए 240.71 करोड़ रुपये अस्थाई आकड़े हैं।

रावी-व्यास नदियों के पानी के बटवारे के संबंध में पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से मिलना

121. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी-व्यास नदियों के पानी के बटवारे के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे हाल ही में मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच दीर्घ काल से चल रहे इस विवाद का कोई हल निकाल लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में और विचार-विमर्श किया जाना है।

'काम नहीं, दाम नहीं' सिद्धान्त को लागू करने का निर्णय

122. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के झोनल जनरल प्रबन्धकों के सम्मेलन में रेल कर्मचारियों के लिये हाल ही में 'काम नहीं, दाम नहीं' निर्णय किया गया है ; और

(ख) उक्त निर्णय पर रेल कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल **मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई प्रतिक्रिया नोटिस में नहीं आयी है।

भट्टी तेल (फरनेस आइल) के मूल्यों में वृद्धि तथा इसका प्रभाव

123. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के बाजारों में भट्टी तेल (फरनेस आयल) के मूल्य में हाल ही में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण गत वर्ष की समान मात्रा में भट्टी (फरनेस आयात) के आयात के लिये कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने भट्टी तेल (फरनेस आयल) का कोई विकल्प तथा भारत में उसका प्रयोग करने की बात सोची है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी, हां। इस वर्ष मूल्य गत वर्ष से लगभग 300 % से अधिक हैं।

(ग) उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले के भट्टी के तेल के स्थान पर काफी मात्रा में कोयले का उप-किया जा सकता है। उन उद्योगों में, जो तेल पर आधारित है; तथा जो कोयला का उपयोग कर सकने योग्य हैं, का प्रौद्योगिकी दृष्टि से कोयले का उपयोग करने के बारे में सिफारिश करने के लिए सरकार ने तकनीकी विकास के सचिव एवं मुद्रा मिदेशक की अध्यक्षता में स्थाई कमेटी का गठन किया है।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्राथमिकता

124. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के जोनल महाप्रबन्धकों के सम्मेलन में हाल में एक निर्णय लिया गया कि उन कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे में रोजगार प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्राथमिकता दी जाये जिन्होंने आपात-कालीन स्थितियों में सर्वोत्तम सेवायें प्रदान की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय के बारे में रेल कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) महाप्रबन्धकों ने यह सिफारिश की है कि जिन कर्मचारियों कि सेवा अनुकरणीय रही है उनके पुत्रों एवं पुत्रियों को नौकरी में रखने के लिए विचार करते समय उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसे स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में अभी कुछ नही कहा जा सकता लेकिन आशा है कि वह अनुकूल होगी।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातु तापीय बिजली घर के चौथे विद्युत् एकक का बंद किया जाना

125. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातु तापीय बिजली घर का 50 किलोवाट वाला चौथा विद्युत् एकक बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कार्य पुनः शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातू ताप विद्युत् केन्द्र पर 50 मेगावाट क्षमता की चौथी यूनिट 11-1-1974 से 29-1-1974 तक रख-रखाव के लिए बन्द रही और 30-1-1974 से वह प्रचालन के लिए तैयार है ।

गरीबों को कानूनी सहायता

126. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश पी० एन० भगवती समिति तथा न्यायाधीश कृष्ण अय्यर समिति द्वारा गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी प्रस्तुत रिपोर्टों पर सरकार ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किन-किन मुख्य निष्कर्षों पर पहुंची ; और

(ग) क्या गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में सरकार एक विधेयक का प्रारूप तैयार कर रही है और यदि हां, तो इसे संसद में कब पेश किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अभी अध्ययन किया जा रहा है । जहां तक प्रश्न में न्यायाधीश पी० एन० भगवती समिति की रिपोर्ट के प्रति निर्देश किए जाने का संबन्ध है, यह बता ।देना उचित होगा कि यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी और वह इस मामले से अवगत है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना

127. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप से तथा दृढतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त निर्माण कार्य को किस तिथि को शुरू किया जायेगा, इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है तथा इसके निर्माण के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेंगी; और

(ग) इस परियोजना को पहले शुरू करने के क्या कारण हैं और अब इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस रेल सम्पर्क के निर्माण का काम हाथ में लेने के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करने के लिए योजना आयोग को लिखा गया है। इस काम को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में योजना आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस परियोजना को मंजूरी देने के प्रश्न पर योजना आयोग से उत्तर प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है। सही लागत और वित्तीय प्रतिफल का अनुमान लगाने के लिए 1974-75 में अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संगठानात्मक ढांचा

128. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संगठनात्मक ढांचा क्या है, और

(ख) उच्चस्तरीय नीति निर्माण संबंधी मामलों तथा उनके शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वयन के संबंध से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकार के बीच विद्मान सम्पर्क का स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में छः पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात सदस्य (समन्वेषण), सदस्य (अभियान्त्रिक) सदस्य (वित्त) सदस्य (उत्पादन) सदस्य (भण्डार) तथा सदस्य (आफ शोर) तथा एक अंशकालिक सदस्य है। इन सब की नियुक्ति तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, अधिनियम, 1959 (1959 का 43) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है। सदस्य (समन्वेषण) आयोग के अध्यक्ष के रुप में भी कार्य कर रहा है।

क्षेत्र कार्य की योजना तैयार करने, उसके पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के लिए तथा मुख्यालय में अन्य अनिवार्य कार्य करने के लिए य हैं—भू-भौतिकी निदेशालय, जिसका अध्यक्ष एक प्रमुख (चीफ) है तथा भू-विज्ञान, व्यधन, उत्पादन, यांत्रिक इन्जीनियरी, निरीक्षण तथा उपकरण, भण्डारण तथा खरीद, आयोजन तथा समन्वय, वित्त तथा लेखा तथा प्रशासन निदेशालय जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक निदेशक है तथा सिविल इन्जीनियरी और परिवहन तथा वहन विभाग जिनके अध्यक्ष क्रमशः मुख्य इन्जीनियर (सिविल) तथा संयुक्त निदेशक (परिवहन) है। हिन्द तेल डिजाइन संस्थान तथा पेट्रोलियम समन्वेषण संस्थान भी है जो क्रमशः निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक के अधीन हैं।

भू-भौतिकी तथा भूगर्भविज्ञान निदेशालय तथा पेट्रोलियम समन्वेषण संस्थान सदस्य (समन्वेषण) के अधीन है। व्यधन तथा उत्पादन निदेशालय तथा हिन्द तेल डिजाइन संस्थान सदस्य (उत्पादन) के अधीन है। यांत्रिक इन्जीनियरी निदेशक तथा सिविल इन्जीनियरी तथा परिवहन और वहन विभाग सदस्य (इन्जीनियरी) के अधीन है। वित्त तथा लेखा निदेशालय सदस्य (वित्त) के अधीन है। प्रशासन, निरीक्षण तथा उपकरण और आयोजन तथा समन्वय निदेशालय तथा सतर्कता अनुभाग, विधि अनुभाग और सचिवालय अध्यक्ष के अधीन है।

व्यधन तथा उत्पादन कार्य सम्पूर्ण देश में विभिन्न परियोजनाओं में किए जाते है। प्रत्येक परि-योजना एक परियोजना प्रबन्धक (अथवा एक संयुक्त प्रबन्धक अथवा एक वरिष्ठ उप-प्रबन्धक) के अधीन है। पश्चिमी क्षेत्र की परियोजनाएं एक महाप्रबन्धक के अधीन है। महाप्रबन्धक का कार्यालय बडोदा में स्थित है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र के लिए भी एक महाप्रबन्धक है जिसका कार्यालय नजीरा में स्थित है। अपर असम तथा गारो हिल्स के कार्य कलापों की देखभाल सीधे पूर्वी क्षेत्र के महाप्रबन्धक द्वारा की जाती है। पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों से बाहर की सभी अन्य परियोजनाओं का महाप्रबन्धक व्यधन का निदेशक है जिसका कार्यालय देहरादून में है। प्रशासनिक दृष्टि से तीनों महाप्रबन्धक आयोग के अध्यक्ष के अधीन है।

ऐसी स्थिति में जब कोई मामला किसी सदस्य को प्रदत्त शक्ति से बाहर हो अथवा जिसमें कोई नई स्कीम अथवा नई नीति का प्रश्न शामिल हो सम्बन्धित मामले का निर्णय आयोग द्वारा एक बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाता है।

(ख) उच्च नीति निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार जब भी आवश्यक समझती है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ बैठक करती है। एक बार नीति निर्धारित हो जाने पर इसके कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व आयोग पर होता है तथा इसकी प्रगति का परीक्षण सामान्य सरकारी चेनल के माध्यम से किया जाता है जिसमें मंत्रालय के सचिव द्वारा त्रैमासिक प्रगति के पुनरीक्षण के लिए की जाने वाली बैठकें भी सम्मिलित है जिनमें आयोग के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है।

दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच अजमेर होकर चलने वाली नई जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाडी

129. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के गणतंत्र दिवस से दिल्ली तथा अहमबाबाद के बीच अजमेर होकर एक नई जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है;

(ख) उक्त गाड़ी में यात्रियों को कौन-कौन सी विशेष सुविधाएं तथा अतिरिक्त सेवाएं प्राप्त होती है; और

(ग) क्या उक्त गाड़ी द्वारा चलने में लिये जाने वाले समय में, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली अन्य तेज रफ्तार गाड़ियों की तरह, कार्य करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) वर्तमान 231 अप (31 अप)/32 डाउन (232 डाउन) दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रैस को 26-1-1974 से जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी के रूप में बदल दिया गया है ;

(ख) यात्रियों की खान-पान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस गाड़ी में एक बड़ी कार की व्यवस्था की गयी है। यात्रियों के अनुरोध पर, उन्हें किराये पर बिस्तर दिये जाते हैं। यह गाड़ी गलियारेदार डिब्बों वाली है।

(ग) सम्पूर्ण चालन क्षेत्र में इन गाडियों का डीजलीकरण कर देने के फलस्वरूप 231 अप (31 अप)/32 डाउन (232 डाउन) जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाडियों के यात्रा-समय में भाप-इंजनों द्वारा उनके कर्षण की तुलना में कुल मिला कर क्रमश: 63 मिनट और 40 मिनट की कमी हुई है। 203 अप (3 अप)/4 डाउन (204 डाउन) गाडियों के यात्रा समय में भी, भाप कर्षण की तुलना में कुल मिला कर क्रमश: 55 मिनट और 45 मिनट की कमी हुई है।

उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्टस लिमिटेड द्वारा एक गैर-सरकारी व्यापारी को शेयरों का कथित हस्तांतर

130. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्टस लिमिटेड नामक कोई कम्पनी किसी तकनीकी उद्यमों द्वारा उड़ीसा सरकार की प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी के शेयर इस योजना के उद्देश्यों और कम्पनी के संस्था अंतर्नियमों का उल्लंघन करके परियोजना से सम्बन्धित किसी गैर-सरकारी व्यापारी को हस्तान्तरित किए गए थे ;

(ग) क्या उक्त उद्यमों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और,

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमानजी।

(ख) से (घ) पूछा गया प्रश्न पहिले ही से उडीसा राज्य सरकार से परामर्श करके जांचान्तर्गत है।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि

131. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के लिये ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया है, जिनकी कार्य अवधि न्यूनतम पांच वर्ष होगी; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय लिये जाने की कब तक सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार के बारे में अपनी 14 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए। इस सिफारिश को सरकार ने इस परिवर्तन के अधीन स्वीकार कर लिया था कि अपवादात्मक मामलों को छोड़कर सामान्यत: न्यूनतम अवधि 5 वर्ष होनी चाएिए। किन्तु उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की बाबत, न्यूनतम अवधि के बारे में ऐसा कोई विनिश्चय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधिशों के बारे में किसी न्यूनतम अवधि को नियत करने के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोआ में सनकोले स्थित जुआरी कृषि-रासायनिक उर्वरक फैक्टरी का बंद हो जाना

132. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ प्रशासन ने सनकोले स्थित जुआरी कृषि-रासायनिक उर्वरक फैक्टरी को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अरब सागर में तेल की खुदायी

133. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अरब सागर में अपने तेल की खुदायी के कार्य में क्या प्रगति की है ;

(ख) सरकार ने इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की है; और

(ग) अब तक इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तारापुर संरचना में लगभग 2,782 मीटरो की गहराई तक एक कुआं खोदा गया था। कुंए के 4500 मीटरों की गहराई तक खोदे जाने की योजना बनाई गई थी लेकिन कुँए में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण व्यधन लगभग 2782 मीटरों की गहराई पर रोक देना पड़ गया था। 3–2–74 को बम्बई हाई संरचना पर एक दूसरा कुआ खोदा गया है।

(ख) 31-1-1974 तक इस परियोजना के व्यधन कार्यों पर 392.72 लाख रुपये का कुल खर्च हुआ था।

(ग) इन कुओं से व्यधित गहराई तक के अवसादी खण्डों के बारे में अश्म-विज्ञान स्तरित शैल-विज्ञान संबंधी मूल्यवान सूचना प्राप्त हुई है। तारापुर कुएं में, निचले भाग में चूना पत्थर के कई संस्तर मिले है, जिन में से कुछ एक से प्राकृतिक गैस की विद्यमानता के संकेत मिले है। जहां तक इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य का संबंध है गैस के संकेत सामान्य हित के है, यद्यपि ये संकेत खोदे गये कुंए में वाणिज्यिक हित के नहीं है। बम्बई हाई संरचना के कुंए में 926 मीटरी की गहराई तक भी तेल अथवा गैस का कोई संकेत नहीं मिला है।

त्रिपुरा में तेल छिद्रण

134. **श्री दशरथ देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस समय त्रिपुरा में कितने स्थानों पर छिद्रण-कार्य शुरु कर रखा है;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा के किन-किन और स्थानों पर यह कार्य शुरु किये जायेगें; और

(ग) त्रिपुरा में तेल तथा गैस मिलने की क्या सम्भावनायें है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बाराभूरा संरचना में एक स्थान पर।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में गोजालिया, तिचना, वाचिया, तूलामूरा तथा रोखिया संरचनाओं में और कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपलब्ध भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर तेल तथा गैस की अनुकूल सम्भावनाएं हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में स्थिति अन्तिम रुप से तभी विदित होगी जब सम्बन्धित क्षेत्र में कई कुओं के व्यधन तथा परीक्षण का काम पूरा कर लिया जायेगा।

कोटा के माल-डिब्बा मरम्मत वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के ग्रेडों में आरक्षित अनुपात प्रतिशतता को बनाये रखा जाना

135. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के माल-डिब्बा मरम्मत वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति के ग्रेडों में आरक्षित निर्धारित अनुपात प्रतिशतता को सही रूप से बनाये रखा जा रहा है ;

(ख) यदि कोई कमी है, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) कोटा शाप में अनुसूचित जनजातियों के कितने "चार्जमेन" हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) एक भर्ती वर्ष में होने वाली एक रिक्ति को नियमानुसार अनारक्षित रिक्ति मानना पड़ा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे।

(ग) दो।

Suspension of Trains due to Coal shortage during the second week of January, 1974

136. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway trains suspended during the second week of January, 1974 on account of coal shortage;

(b) the period upto which they are likely to remain suspended; and

(c) the estimated amount of loss as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Value of Ration, Vegetable and Medicines purchased locally for Railway Hospital, Kota (Western Railway)

137. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amounts spent during the last three years on the purchase of oil, ration and vegetables as also on medicines purchased locally for the Western Railways Hospital at Kota; and

(b) what are the plans for the current year indicating the amount of purchases likely to be made upto March 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Statement is attached.

STATEMENT

(a) Names of the articles	1970-71	1971-72	1972-73	(b) Anticipated amount to be spent during 1973-74
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Oil/Ration*	7886·55	9877·35	14128·00	18300·00
Vegetables	4821·70	4377·51	4910·15	6000·00
Medicines (only those purchased locally.)	6023·24	2700·00	4227·63	10600·00

*Separate figures not readily available.

Unmanned Railway crossings on Western Railway

138. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of unmanned railway crossings on the Western Railway;

(b) the arrangements made by Government in this regard;

(c) whether the villagers have to wait for one to two hours at the manner Railway crossing No. 339 near Anta Railway Station between Kota and Bina (Western Railway); and

(d) if so, the reasons therefor ?

7—37 L.S.S.(ND(73

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There are 4893 'C' Class unmanned level crossings.

(b) the level crossings where both road and rail traffic is heavy and/or visibility is restricted are manned on the basis of traffic census or on receipt of request from State Government/Road Authority which is a continuous process. However, to reduce accidents at unmanned level crossings, the following preventive measures have been taken :—

(i) Stop Boards have been prominently displayed at the approaches to all unmanned level crossings within railway boundary to warn the road-users to cross the railway track cautiously;

(ii) Whistle Boards have been fixed enjoining upon the drivers of the approaching trains to whistle as the train approaches the unmanned level crossings as an additional warning to road users;

(iii) The State Governments have also been requested for provision of road signs on approaches to all unmanned level crossings;

(iv) The State Governments have also legislated under the Motor Vehicle Act requiring the drivers of passenger buses to stop their vehicles short of unmanned level crossings and then cross the railway line with the conductor of bus walking ahead.

(c) No.

(d) Does not arise.

Casualities in the Accident to Itarsi-Bhusawal Passenger Train

139. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons killed and injured, separately in the accident to Itarsi-Bhusawal passenger train on 12th December, 1973;

(b) whether Railways have given any compensation to the persons injured; and

(c) the causes of the accident and the action taken against the person found guilty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) In the collision between 358 Up Itarsi-Bhusawal passenger and goods train No. L-30 Up at Burhanpur station of the Central Railway on 12-12-1973, one person was killed and 21 sustained injuries of whom 6 were hurt grievously.

(b) No claim for compensation has been paid so far. *Ex gratia* payment of Rs. 500/- has, however, been made to the grievously injured persons.

(c) The Additional Commissioner of Railway Safety has held his statutory inquiry into this accident. According to his provisional finding, the accident was due to the failure of the railway staff. Suitable action will be taken on receipt of final report of the Additional Commissioner of Railway Safety.

Collision between Truck and Train near Bhaton-ki-Gali Railway Station (W. Railway)

140. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a truck collided with a train going from Sawai Madhopur to Luhas near a Railway crossing of Bhaton-ki-Gali Railway Station (Western Railway) on 20th December, 1973 as a result of which three persons sitting in the truck were killed on the spot,

(b) whether this accident occurred due to negligence of Railway staff; and

(c) if so, whether any compensation has been given to the famllies of the deceased?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) No.

(c) So far, no compensation has been paid to the dependants of the deceased. However, *ex gratia* payment of Rs. 500/- each to the next of kin of the three persons who died and Rs. 300/- each to three persons grievously injured has been made.

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के रेल कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान प्रादेशिक सेना का तैनात किया जाना

141. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर-दिसम्बर, 1973 में धनबाद डिवीजन के रेल कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान प्रादेशिक सेना के कितने यूनिट तैनात किये गय ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा गाड़ियां अथवा इंजन चलाये जाने के फलस्वरूप कोई दुर्घटनायें हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दो।

(ख) धनबाद मण्डल में एक भी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ, लखनऊ को मान्यता देना

142. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ लखनऊ ने मान्यता के लिये कोई मांग की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रेल मंत्रालय में जिस प्रकार का ढ़ांचा है उसे देखते हुए अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में दो कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान कर दी गयी है। इसलिए आर०डी०एस०ओ० कर्मचारी संघ की मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा जाता यद्यपि वे इसकी मांग कर रहे ह।

Charges levelled against the Ruling Party for using Government Machinery in U.P. Elections

143. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the political parties whose leaders have levelled charges regarding use of Government machinery by the ruling party in U.P. elections;

(b) the nature of these charges; and

(c) whether Government propose to hold an inquiry into these charges by any competent commission ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (c) Complaints have been received by the Election Commission from the Socialist Party, Swatantra and Bhartiya Kranti Dal, alleging misuse of official position by certain Ministers of Uttar Pradesh, laying foundation stones of projects on the eve of elections and adoption of coercive measures and threats against voters, etc. The Election Commission have forwarded the complaints to the State Government for appropriate action.

Wagons Supplied to Uttar Pradesh for Transportation of Coal

144. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway wagons made available for the transportation of coal to Uttar Pradesh during the last one year; and

(b) the number of wagons demanded for the transportation of coal in Uttar Pradesh during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 39128 wagons were allotted to Uttar Pradesh during 1973 for the movement of brick burning coal, soft coke, hard coke and steam coal for the small scale industries. This figure does not include coal moved to big industries and thermal power stations sponsored by central agencies.

(b) 14,300 wagons per month is the allocation for the movement of brick burning coal, soft coke, hard coke and coal for small scale industries for U.P. State.

Delhi Administration's Arrangements to Transport Coal by Trucks

145. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in view of the present inadequate and unsatisfactory arrangement for transportation of coal by the Railways, the Delhi Administration have made arrangements to transport coal by trucks; and

(b) if so, the reasons for which the Railways Ministry could not make adequate arrangements to transport coal to Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) The Railways are not aware of the arrangements made by Delhi Administration for movement of coal by trucks into Delhi. Inspite of the several railway staff agitations affecting loading and movement of coal from Bengal/Bihar coalfields from December 73, the Railways reached the full requirement of 1500 wagons of soft coke in January 74 and better movement of the same is being maintained in February.

Reduction in expenditure on Petrol in Public Sector

146. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Petrolieum and Chemicals** be pleased to State :

(a) whether amongst others, it was also the intention of Government at the time of increasing the price of petrol that the consumption of petrol would be reduced; and

(b) if so, the savings effected in the public sector upto the end of January, 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) Short fall in the consumption of Motor Spirit has been to the extent of 19·2% in November 1973, 16·9% in December 1973 and 23·8% in January, 1974 as compared to the corresponding months of the previous year.

Scheme for protection of Khagaria Sub-District of Bihar from erosion by river Ganga.

147. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have submitted a comprehensive scheme to the Central Government to protect Khagara sub-District of that State from erosion by river Ganga;

(b) if so, the decision taken by the Central Government in this regard and the total expenditure likely to be incurred on the said scheme;

(c) whether Bihpur block of north Bhagalpur and Kadagola and Manihari blocks of Katihar District are also badly affected by the erosion by Ganga; and

(d) if so, whether the Bihpur block and the said areas of Katihar District have also been included in the said scheme of protection from erosion, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d) Erosion by the Ganga at present affects areas immediately downstream of Rajendra Bridge on the right bank and areas upstream of Mansi and in the vicinity of Gogri Narainpur embankment on the left bank. The Government of Bihar have prepared the following schemes for protection against erosion :

(i) Protection of areas immediately downstream of Rajendra Bridge estimated to cost Rs. 2·2 crores.

(ii) Protection of areas upstream of Mansi, Phase I costing Rs. 3.51 crores and Phase II costing Rs. 1.00 crore.

Of the above only the scheme for phase I of the protection measures upstream of Mansi estimated to cost Rs. 3·51 crores has been received by the Ganga Flood Control Commission and is under examination.

The State Government have under investigations protective measures near Gorgi Narainpur embankment.

Stoppage of 17 Up and 18 Dn. Vaishali Express at Narayanpur

148. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is no express train between Narayanpur station and Siliguri and beyond on the North-Eastern Railway;

(b) whether in the absence of an express train from the above station, fish' curd and green vegetables which are produced in plenty in the area are not being sent to Siliguri and Gauhati;

(c) whether as a result of this a loss of about Rs. 1,000 per day is being ncurred at Narayanpur Railway station; and

(d) if so, whether Government will provide for stoppage of 17Up and 18 Dn Vaishali Express at Narayanpur ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) No Express train stops at Narayanpur for Siliguri and stations beyond.

(b) No. While there is no traffic offering in fish, curd and green vegetable at Narayanpur for Stations beyond Siliguri including Gauhati, the meagre traffic offering there in such commodities for Siliguri is normally cleared by 86 Dn-

Barauni– Siliguri Passenger. This train being temporarily cancelled at present between Katihar and Siliguri for shortage of coal the traffic is being cleared by connecting trains from Katihar.

(c) No.

(d) There is no traffic justification for the provision of stoppage of 17 Up 18 Dn. Vaishali Express trains at Narayanpur.

Stoppage of free Journey passes to employees of Railway Ministry/Department to meet loss to Railways

149. **Shri Dhan Shah Pradhan** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whetner with a view to eliminate or reduce the continuous loss to Railways, it is proposed to charge fare from the employees of Railway Ministry for home journeys and not to allow private journeys free to them;

(b) whether the employees of the above Ministry misuse this facility;

(c) the total amount of fare that will accrue in whole year if the private journeys of all Railway employees were charged; and

(d) whether Government will consider the above proposal in the context of present economic situation; and if not, the objection thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No. The grant of privilege passes to Rly. employees does not necessarily entail loss revenue as such.

(b) In the few cases misuse of this facility detected, suitable disciplinary action is taken.

(c) The cash value of the privilege passes as issued to Rly. employees during 1972-73 is about Rs. 43·5 crores. The cost of passes actually utilised will be much lower if due allowance is made for journeys not undertaken or journeys undertaken for lesser number of persons or for a shorter distance.

(d) As stated in the reply to part (a) it is not proposed to withdraw this facility in view of the fact that transport organisations all over the world grant travel facilities to their employees and this is a long standing concession enjoyed to Rly. employees.

Loss Incurred by Railways

150. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to states :

(a) the amount of loss incurred by the Railway Ministry as a result of strike by loco running staff and otner agitations, sabotage, non-running of goods and passenger trains and comlete dislocation of services during December, 1973;

(b) the number of officers and employees who have been suspended and the number gainst whom action has been taken; and

(c) whether any agreement has been reached between employees and Government in respect of such dislocations in future; and if so, the details thereof and whether any concrete steps have been taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) In a statement made by the Minister for Railways in Parliament on 13-8-73, it was announced that "with respect to matters discussed and agreed to, no direct action will be resorted to within the period of three years from such an agreement."

Per Capita length of Railway Lines in Madhya Pradesh

151. **Shri Madhavrao Scindia ;**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the length of Railway line per one lakh persons in Madhya Pradesh and how it compares with the all India average?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): A lakh of population is served by 13·82 route kilometres of railway in Madhya Pradesh a against the all India average of 11·01.

Display of Notices in Punjabi Language at Bhatinda Railway Station

152. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:
(a) whether all notices put up at Bhatinda Railway Station are in Punjabi and not a word of the national language Hindi is to be seen there;

(b) whether a majority of the passengers coming there hail from Hindi regions of North India; and

(c) the steps proposed to be taken by the Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Language-wise statistics of incoming and outgoing passengers are not maintaine

(c) Does not arise.

Derailment of Bombay-Poona Express on the 21st December, 1973

153. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have made any investigation into the causes of the derail-ment of Bombay-Poona Express on the 21st December, 1973;

(b) if so, the results thereof;

(c) the loss sustained by the Railways; and

(d) the number of persons injured?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : The Additional Commissioner of Railway Safety, Bombay, has held his statutory inquiry into this accident. According to his provisional finding the derailment was due to failure of equipment.

(c) The cost of damage to railway property involved in this accident is estimated at approximately Rs. 17,55,000.

(d) In this accident no one was killed. However 29 persons sustained injuries of whom 7 were hurt grievously.

सोवियत तेल मंत्री के साथ तेल संकट को समाप्त करने की सहायता के लिए बातचीत

154. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी' 1974 में सोवियत तेल मंत्री की भारत यात्रा के दौरान सरकार द्वारा उनके साथ वर्तमान तेल संकट को समाप्त करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घ कालीन सोवियत सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ द्वारा किस प्रकार की अल्पकालीन सहायता का आश्वासन दिया गया और उससे देश में पेट्रोलियम की सप्लाई ओर पेट्रोलियम उत्पादों में किस सीमा तक वृद्धि होगी ; और

(ग) दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन उपायों सम्बन्धी सोवियत सहायता के बारे में जो समझौता हुआ है, उसका ब्यौरा क्या है तथा यह सोवियत सहायता कहां-कहां उपलब्ध होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र में तेल के अन्वेषण, विकास तथा उत्पादन के क्षेत्र में भारत रूसी सहयोग के निरन्तर प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रूसी तेल मंत्री तथा उनका प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का जनवरी, 1974 में दौरा किया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक अपने उत्पादन को प्रतिवर्ष 4.11 मिलियन मीटरी टन से 8.42 मिलियन मीटरी टन तक वृद्धि करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभिन्न स्तरो पर विचार विमर्श हुआ। इस स्तर पर तेल उत्पादन में वृद्धि करने के मुख्य कार्य को निम्न प्रकार पाया गया :—

(i) जानकारी में आये क्षेत्रों का तेजी से विकास

(ii) वर्तमान उत्पादक कुओं का अधिकाधिक उपयोग

(iii) बचत पूर्ण तथा अत्यधिक प्रभावी द्वितीय श्रेणी के प्राप्ति उपायों का व्यापक उपयोग।

इस यात्रा के दौरान केवल लघुअवधि सहायता के सम्बन्ध में ही विचार विमर्श नहीं हुआ। बल्कि रूसी सहायता में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पंचवर्षीय योजना में जिसमे अन्य बातों के साथ मशीनरी एवं उपकरणों की सप्लाई, भारत को रूसी विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डल तथा रूस में भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण, आधुनिक औजारों की सप्लाई आदि सम्मिलित है, के सन्दर्भ में रूसी सहायता की परिकल्पना की गई है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार की समन्वय समिति द्वारा दिया गया ज्ञापन

155. **श्री भोगन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1973 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार की समन्वय समिति द्वारा रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में की गयी मांगें अनुबन्ध में दी गयी हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। संख्या एल० टी० 6153/74**]

ऐसे मामले समय समय पर मान्यताप्राप्त श्रम संगठनों द्वारा उठाये जाते हैं और इनका निबटारा विभिन्न स्तरों पर स्थायी वार्ता-तंत्र और संयुक्त परामर्श समिति की बैठकों में चर्चा के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, अमान्यताप्राप्त यूनियनों सहित किसी स्रोत से आने वाले अभ्यावेदनों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जो भी मांगें प्रशासन को भेजी जाती है उनपर पूर्ण सहानुभूति के साथ विचार किया जाता है। कर्मचारियों को यह बात पूर्ण रूप से समझनी चाहिए कि कुछ मांगें प्रस्तुत किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें तत्काल मान लिया जाये। सरकार को वित्तीय साधनों, नियमों एवं विनियमों के ढांचे, मांगों को स्वीकार करने के औचित्य और उनके स्वीकार किये जाने की प्रतिक्रियाओं जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर मांगों पर विचार करना होता है।

विदेशी तेल कम्पनीयों द्वारा पारस की खाड़ी के देशों से कच्चे तेल का आयात

156. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों को अपने संसाधनों से अनुकूल मूल्य पर पारस की खाडी के देशों से कच्चे माल का आयात करने के लिए कहा गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या खाड़ी के देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों को दुगुना करने सम्बन्धी तेहरान की घोषणा के पश्चात् 1 जनवरी, 1974 से लागू होने वाले नये मूल्यों के बारे में तेल कम्पनियों ने सूचित कर दिया था ; और

(ग) क्या सरकार को सरकारी संविदाओं के अन्तर्गत सऊदी अरब और ईराक से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल के 'नए मूल्यों' के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल कम्पनियों पहले ही ऐसा कर रही है ।

(ख) तथा (ग) जी, हां ।

थन्निर मुक्कोम पर 'साल्ट वाटर बैरियर' का निर्माण

157. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थन्निर मुक्कोम पर 'साल्ट बैरियर' के निर्माण के लिए केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केरल में 150 लाख रूपये को अनुमानिक लागत को थन्निर मुक्कोम नियामक स्कीम योजना आयोग द्वारा 1958 में स्वीकृत की गई थी और इसे केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। केरल सरकार ने इस कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन भेजा था जिसमें लागत का बढ़ाकर 458.50 लाख रूपये कर दिया है । प्राक्कलनों को जाँच करने के बाद राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में परिवर्तन करने का सुझाव

158. **श्री रानेन सेन : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी आयोगने उसे अधिक अधिकार दिए जाने के लिए सरकार से सम्बन्धित अधिनियम में पर्याप्त परिवर्तन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने किस प्रकार के परिवर्तनों का अनुरोध किया है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रयोग आयोग की, 31 दिसम्बर 1972 की वर्ष समाप्ति की वार्षिक प्रशासिक रिपोर्ट, जो 13 दिसम्बर 1973 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी, के अध्याय (5) (पृष्ट 18-23) में आयोगने उल्लेख किया है कि एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों में कुछ अपर्याप्ततायें हैं, व सरकार द्वारा इस अधिनियम में शीघ्र संशोधन करने के पग उठाने का सुझाव दिया है । इन सुझावों पर कुछ अन्य आवश्यक सशोधनों सहित विचार किया जा रहा है ।

दमदम जंक्शन से बोनगांव तक के रेल पथ को दोहरा करना

159. **श्री रानेन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों ने, जो पूर्व रेलवे की सियालदह-बोनागांव रेलवे लाइन द्वारा लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में रहते हैं, हाल ही में दमदम जंक्शन से बोनगांव तक के रेल पथ को दोहरा करने के लिये मंत्रालय को एक अपील भेजी है और क्या पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री द्वारा भी इस प्रकार की प्रार्थना रेल-मंत्री से की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अपील के प्रति मंत्री महोदय को प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के संबंध में किये गये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से पता लगा है कि यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी। अतः इस योजना के निवेश पर लाभांश देयता की त्याग देने के प्रश्न पर योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

हलदिया में उर्वरक तथा तेल शोधक कारखानों के निर्माण में विलम्ब

160. **श्री रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलदियां, पश्चिम बंगाल के लिये प्रस्तावित उर्वरक तथा तेलशोधक कारखानों के निर्माण में विलम्ब किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और उनके शीघ्र निर्माण के लिये क्या कारवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहा नवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान सूचना के अनुसार हल्दिया उर्वरक परियोजना के मार्च, 1976 तक पूर्ण हो जाने की आशा है अभी तक हुआ विलम्ब मामूली सा है। जहां तक हल्दिया परिष्करण शाला का सम्बन्ध है, ईंधन क्षेत्र के 1974 के मध्य में तथा लूब क्षेत्र के 1974 के अन्त में पूर्ण होने की संभावना है। परिष्करण शाला के निर्माण में विलम्ब का मुख्य कारण निम्न प्रकार है :- विविध एजेंसियों के कार्य पर लगे रहने, भारतीय तथा विदेशी विक्रेताओं द्वारा सामग्री के प्रेषण में विलम्ब, विनिर्माण माल की कमी, वैगनों की अनुपलब्धता तथा लगातार श्रमिक कठिनाइयां आदि ।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को सुनिश्चित करने के लिये कार्य की प्रगति में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

161. **श्री रानेन सेन :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल, पेट्रोलियम तथा तेल के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत को इस मूल्य वृद्धि का सामना करने के लिये अत्याधिक राशि व्यय करनी पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि का सामना करने के लिये भारत की क्या योजना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) पेट्रोलियम की खपत को कम करने तथा देश की अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र पर यथासम्भव अनुचित दबाव न पड़े, इस बात को देखने के लिये बहुत से साधन हाथ में हैं ?

रेलवे कमीशन-विक्रेताओं को पारिश्रमिक

162. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे खण्ड में कमीशन-विक्रेताओं (वेन्डरों) को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरें क्या हैं ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में विक्रेताओं को अन्य रेलवे खण्डों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है ;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के विक्रेताओं ने मांग-पत्र पेश किया है और आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6154/74)**

(ग) जी हां, 16-1-1974 से 20-1-1974 तक विक्रेताओं ने आन्दोलन कर दिया था।

(घ) मद्रास सेंट्रल पर कमीशन पर काम करने वाले विक्रेताओं को देय कमीशन की दर 1-2-1974 से तम्बाकू के उत्पादनों और दियासलाई को छोड़कर सभी मदों पर बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी गयी है।

दिसम्बर, 1973 के दौरान सेवा निवृत्त लोको कर्मचारियों को तैनात किया जाना

163. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1973 के दौरान अनिवार्य सेवाओं को चलाने के लिये कितने सेवा निवृत्त लोको कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या गाड़ियों को चलाने के लिये उन्हें डाक्टरी परीक्षा के अनुसार सेवा के योग्य समझा गया ; और

(ग) क्या सामान्य पुन:नियुक्ति नियमों के अधीन मिलने वाले वेतन से अधिक वेतन उन्हें दिया गया और यदि हां, तो ऐसी अदायगी का अधिकार किसने दिया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 130।

(ख) अधिकांश पुर्ननियुक्त कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा की गयी थी और वे उपयुक्त पाये गये कुछ की डाक्टरी परीक्षा इसलिये नहीं की गयी कि वे रेल-सेवा से हाल ही में निवृत हुए थे और डाक्टरी परीक्षा आवश्यक नहीं समझी गयी और इस कारण भी उनकी डाक्टरी परीक्षा नहीं की गयी कि वे आपात स्थिति में अत्यावश्यक कार्य पर नियुक्त थे।

(ग) जहां भी स्वीकार्य था उन्हें मील-भत्ता सहित दैनिक दर पर मजदूरी का भुगतान किया गया।

कर्मचारी परिषदों के लिए रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का चुनाव

164. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों पर कर्मचारी परिषदों के लिये अपने प्रतिनिधियों को चुनने अथवा चुने जाने के उनके अधिकारों के बारे में कोई रोक लगायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है तथा उसका किस प्रकार निपटान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कर्मचारी परिषदों में चुनाव लड़ने के लिये अधिक कर्मचारियों को अवसर देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि कर्मचारी परिषद् का कोई सदस्य दो अवधियों से अधिक समय के लिये पद पर नहीं रहेगा। तदनुसार इस संबंध में होने वाले विरोधों का निपटारा किया जा रहा है।

गाजियाबाद में मिट्टी के तेल की कमी

166. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गाजियाबाद में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी का पता है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण है ; और

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जनवरी तथा फरवरी, 1974 में देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धि मांग से कम रही है जिससे राज्यों के कोटा में कमी की गई। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1973 में रेल इंजन कर्मचारी वर्ग द्वारा हड़ताल किये जाने से तथा रेलवे कर्मचारियों आदि द्वारा नियमानुसार कार्य करने से पी० ओ० एल० के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा जिससे अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई।

जहां तक उत्तर प्रदेश के अन्य भागों का सम्बन्ध है, गाजियाबाद में मिट्टी के तेल की खपत करने वाली जनता में उसका वितरण जिला प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। भारतीय तेल निगम जिला प्राधिकारियों से निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सप्लाई करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी के सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है।

1969 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचनों पर व्यय

167. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचनों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : 1969 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा निर्वाचनों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 1,59,68,000 रु० था।

कलकत्ता में भूमिगत रेल (ट्यूब रेल) के पूरा होने में विलम्ब

168. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेल (ट्यूब रेल) के पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रलय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ट्यूब रेलवे परियोजना के निर्माण और उसे 1979 में चालू करने की मूल समय अनुसूचि में कोई संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन सम्पत्तियों का अधिग्रहण और सड़क यातायात के लिये मार्ग परिवर्तन से नयी अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनका समाधान उपयुक्त समय पर किया जायेगा।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हुई हानि

169. श्री एम० सुदर्शनम् :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को 1951 से लेकर अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजना की अभिकल्पना कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये की जाती है तथा ऐसी परियोजनाओं के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन लाभ-लागत अनुपात के आधार पर किया जाता है। बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा लगाई जा रही कम जल-दरों, परियाजनाओं के निर्माण तथा अनुरक्षण कि बढती हुई लागतों तथा निर्मित शक्यता के समुपयोजन में पिछड़ने के कारण सरकार को राजस्व व्यय से, उत्तरोत्तर कम प्राप्त हो रहा है तथा इस संदर्भ में सरकार को हानि हुई है। सिंचाई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के साथ यह हानि भी बढ़ती जा रही है तथा 1971–72 में यह हानि 130 करोड़ रुपये की हुई थी। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सिंचाई दरों को बढ़ाने की सलाह देती रही है तथा जल के अधिकतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिये पांचवी योजना में किमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शामिल कर लिये गये हैं।

दिसम्बर 1973 में डेक्कन एक्सप्रेस का पटरी से उत्तर जाना

170. श्री एम सुदर्शनम् :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 के अंतिम सप्ताह में डेक्कन एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 21–12–1973 को गाड़ी नं० 305 डाउन बंबई–पुणें दक्कन् एक्सप्रेस मध्य रेलवे के घोड़ावाडी स्टेशन और शेलारवाडी केबिन के बीच पटरीं से उतर गयी थी।

(ख) इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 29 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 7 को गंभीर चोटें आयीं।

(ग) अभी तक किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में कुल मिलाकर केवल 4,000 रुपये का भुगतान किया गया है।

कर्मी दल द्वारा 24 'बल्क' औषधियों को किमतो के बारे में सूझाव

171. श्री एम० सुदर्शनम् : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कर्मीं दल ने 24 "बल्क" औषधियों के मूल्यों पर रोक लगाने के बारे में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 24 प्रपुंज औषधों के मूल्यों पर पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में कोई कार्यकारी दल स्थापित नहीं किया । शायद 24 प्रपुंज औषधों की लागत संरचना पर बी आई सी पी के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन कार्यवाहक दल की रिपोर्ट की और वह हवाला है । कार्यवाहक दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

रूसी तेल विशेषज्ञों के साथ वार्ता

172. **श्री. एम० सुदर्शनम्** :
श्री. राम प्रकाश :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के तेल विशेषज्ञों ने हाल ही में हमारे देश का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ किन विषयों पर बातचीत की ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विचार विमर्श भारत में सरकारी क्षेत्र में तेल अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान भारत-रूस सहयोग को और विस्तार करने से सम्बन्धित है । ये विचार विमर्श वर्तमान तेल क्षेत्र के तेजी से विकास करने तथा वर्तमान उत्पादक कुओं के अधिक से अधिक उपयोग के बारे में किये गये तेल समन्वेषण व्यधान तथा तेल के उत्पादन में भारतीय प्रयत्नों को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञों तथा उपकरणों की सप्लाई के सम्बन्ध में शीघ्र रूसी सहायता देने पर रूसी सरकार सहमत हो गई है ।

तट-दूर तेल की खोज के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा सुझाये गए उपाय

174. **श्री वसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश को ईंधन तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिये देश के तटीय क्षेत्र के साथ-साथ महाद्वीपीय मग्न तट-भूमि का उचित सर्वेक्षण और खोज करने के लिये क्या उपाय सुझाये है ;

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(ग) समुद्री-भूविज्ञान विंग को सुदृढ़ करने और उप-हिमालयाई क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कोयला परिवहन योजना के बारे में रेल मंत्री के अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

175. **श्री वसंत साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिवहन योजना के बारे में अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) औद्योगिक केन्द्रों में कोयले की समय-समय पर होने वाली कमियों को दूर करने के लिये क्या अन्य उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कोयला परिवहन अध्ययन दलों द्वारा पेश की गयी रिपोर्टों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

'संजीवनी' नामक नए उर्वरक का विकास

176. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 'संजीवनी' नामक नए किस्म के एक उर्वरक का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके उपयोग संबंधी मुख्य बातें क्या है और उसका मूल्य क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) सरकार को इस समय इस प्रकार के किसी उर्वरक की जानकारी नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है और अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाने के लिये भारतीय उर्वरक निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन

177. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक कारखाने लगाने के लिये भारतीय उर्वरक निगम को व्यवहार्यता अध्ययन करने को कहा है ;

(ख) क्या कोयले पर आधारित कारखानों में उत्पादित यूरिया की लागत का 354 रुपये प्रति टन अनुमान लगाया गया था जबकि नेप्था से उसी स्थान पर उत्पादित यूरिया की लागत का अनुमान 395 और 434 रुपये प्रति टन के बीच लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या उक्त निगम असम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने की संभावना का पता लगा रही है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 1970 में किये गए अध्ययन की ओर आंकड़ों का संकेत है और उत्पादन-लागत की नियोजित पूंजी के प्रतिलाभ से पहले की है।

(ग) तालचर (उड़ीसा), रामगुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और कोरवा (मध्य प्रदेश) में भारतीय उर्वरक निगम तीन बृहत् आकार के कोयले पर आधारित उर्वरक प्रायोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) असम सहित विभिन्न स्थानों पर कोयले पर आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिये भारतीय उर्वरक निगम सम्भाव्यता और स्थान सम्बन्धी अध्ययन कर रहा है।

पंजाब में बिजली की कटौती को समाप्त करना

178. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पंजाब में हाल ही में बिजली की 40 प्रतिशत कटौती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कटौती को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिजली की मांग में वृद्धि और प्रणाली में अपर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण पंजाब के प्राधिकारीयोंने विद्युत के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये हैं ; अधिकतम कटौती 40 प्रतिशत है।

(ग) बिजली की कटौतियों को बंद करना ऊर्जा उपलब्धता में सुधार होने पर निर्भर करेगा उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने तथा नई परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू करने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

इस्पात संयंत्रों और अन्य प्रतिष्ठानों को तेल की सप्लाई

179. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि इस्पात संयंत्रों, बिजली पैदा करने वाले एककों, उर्वरक कारखानों, रेलवे रक्षा संस्थापनों तथा रक्षा उत्पादन कारखानों को तेल की सप्लाई में तत्काल कोई कटौती न की जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात संयंत्रों तथा बिजली पैदा करने वाले कारखानों को की जाने वाली सप्लाई में कमी करने के लिये तेल शोधनशालाओं को पहले जारी किये गये परिपत्र को वापिस लिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियमम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि तथा विश्व बाजार में मिट्टी का तेल का उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए देशमें मिट्टी के तेल की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है। अत: सरकार ने कम्पनियों को उद्योग की, गत कुल खरीद पर आधारित, 90 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने की सलाह दी है। जनवरी एवं फरवरी, 1974 के महीनों के संबंध में समस्त उपभोक्ताओं के लिये 10 प्रतिशत की समान कटौती लागू की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नीला मिट्टी का तेल बेचने का निर्णय

180. **श्री प्रबोध चन्द्र** :
श्री आर० आर० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नीला मिट्टी का तेल बेचने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इससे क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मिट्टी के तेल में नीला रंग मिलाने का प्रस्ताव क्रियात्मक रूप से विचाराधीन है।

(ख) यदि मिट्टी के तेल का मोटर स्पिरिट में मिश्रण कर दिया हो तो उसका पता लगाने में मिट्टी के तेल के ंगने से सुविधा हो जायेगी ।

बिजली बोर्डों का घाटे में चलना

181. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक घाटे में रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों का कुल कार्य निष्पादन 1972-73 के बराबर होगा । जबकि सभी राज्य बिजली बोर्ड अपने प्रचालन, अनुरक्षण, और मूल्य-ह्रास प्रभारों को पूरा करते रहेंगे, अधिकतर बोर्ड अपने पूरे ब्याज प्रभारों को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यों से मुख्य तौर पर राज्य सरकारें संबंधित है । बहरहाल, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे वेंकटरामन समिति की सिफारिशों के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाए.। केन्द्र द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को अपने संयंत्रों की प्रचालन क्षमता को सुधारने और पारेषण हानियों को कम करने में मदद के लिए किये जा रहे प्रयत्नों से भी वित्तीय स्थिति में सुधार आने की संभावना है ।

मतदान की आयु कम करने के लिये संविधान में संशोधन

182. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अठारह वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या इस अधिकार को 1976 के निर्वाचन से पूर्व देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अपेक्षित संविधानिक संशोधन कब किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) जी नहीं । चुंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में कोई और कार्यवाही आवश्यक रूप से उस अन्तिम निर्णय पर निर्भर करेगी, जो अभी किया जाने वाला है ।

कोचीन से एलेपी होते हुए कयामकुलम, तेल्लीचेरी से कुर्ग होते हुए मैसूर और कोट्टायम से साबारीमाली होते हुए मदुरे तक नई रेलवे लाइनें

183. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से केरल में कुछ नई रेलवे लाइनों के बारे में सवक्षण तथा निर्माण के लिये पुनः अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार कोचीन से एलेपी होते हुए कयाकुलम्, तेल्लीचेरी से कुर्ग होते हुए मैसूर और कोट्टायम से साबारीमाली होते हुए मदुरे तक रेलवे लाइनों के निर्माण के अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार कर रही है ; और

8—37 LSS (ND)/73

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अपोलो के रास्ते कोच्चिन से कायमकुलम् तक एक रेलवे लाइन के लिए केरल राज्य सरकार मांग करती रही है। 1970 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चला कि यह लाइन अलाभप्रद रहेगी ।

(ग) और (घ) कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस समय प्रस्तावित रेल सम्पर्क के निर्माण का काम आरम्भ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अत्यधिक अलाभप्रद है, आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है और इसके निर्माण पर भारी खर्च आयेगा ।

केरल के लिए पन-बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

184. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा भेजी गयी पन-बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं पर मंजूरी देना अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए सरकार ने कौन-कौनसी परियोजनाएं स्वीकृत की है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जल-विदयुत और सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है जो कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृति हेतु निलम्बित पड़ी हैं ।

(ख) निम्नलिखित नई स्कीमें केरल की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1973-74 के दौरान अनुमोदित की गई हैं :—

(1) इदिक्की जल विद्युत परियोजना-चरण-दो

(2) साइलेंट घाटी जल विद्युत स्कीम

(3) इदामालायार जल विद्युत स्कीम

अन्य परियोजनाओं की जांच की जा रही है और इनकी जांच पूर्ण होने पर उनके कार्यान्वियन संसाधनों के उपलब्ध होने की संभावना को दृष्टि में रखकर इन पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा ।

(ग) पहले से हाथ में ली गई स्कीमों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों से यथासंभव अधिकतम धन आवंटित करने के लिए आग्रह किया गया है । इदिक्की चरण-एक परियोजना पर कार्य की गति में तीव्रता लाने के लिए चालू वर्ष में 2.8 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता भी राज्य सरकार को दी गई थी ।

विवरण

केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं का विवरण जो कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए निलम्बित हैं।

क्र०सं० स्किम का नाम

जल विद्युत परियोजनाएँ :

1. केरल भवानी बहुद्देशीय परियोजना ।
2. मन्नथोडी बहुद्देशीय परियोजना ।
3. पण्डियार-पुन्नापुझा जल विद्युत परियोजना ।
4. कक्कड़ (साविरिगरि टेल रेस) जल-विद्युत परियोजना ।
5. इदिक्की जल-विद्युत परियोजना-चरन तीन ।

सिंचाई परियोजनाएं :

6. बाणासुरसागर (कन्नानोर) ।
7. तिरूनेलल्लि (कन्नानोर) ।
8. केरल भवानी (टेल रेस) (पाल घाट) ।
9. कारापुझा (कोझीकोड़) ।
10. अत्तापडी (पालघाट) ।
11. नूलापुझा (कोशीकोड़) ।
12. मन्जत (कोशीकोड) ।
13. थोंडर (कन्नानोर)
14. पेरियार घाटी (इदिक्की) ।
15. वामनपुरम् (त्रिवेन्द्रम) ।

पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में नई सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें स्थापित करना

185. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कोई नई सिंचाई और विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करने के लिए प्रस्तावित बृहत् सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया जाता है :—

परियोजना	अनुमानित लागत	अन्तिम लाभ	
	लाख रुपये	सिंचाई हजार है०	प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता मैगावाट
बार्गो . . .	6,623	330.87	
नर्मदा सागर बहुद्देशीय .	11,130	250.10	10×1000
बाणसागर बहुद्देशीय . .	लाभों में संशोधन किया जा रहा है	248.80	संशोधन किया जा रहा है
हरदेव बांगो . . .	5,892	261.43	3×50
अपर बैणगंगा . .	1,602	69.20	—
पार्वती . . .	1,820	90.56	—
अपर तापी-चरण दो . .	8,793	46.491 (मध्य प्रदेश)	—
(महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रुप में)		59.849 (महाराष्ट्र)	
राजघाट . . .	अनुसंधान किया जा रहा है		
केन . . .	अनुसंधान किया जा रहा है	—	—
सतपुड़ा ताप केन्द्र विस्तार .	7,519	—	2×200
कोर्बा ताप केन्द्र विस्तार .	4,400	—	2×110
कोर्बा पश्चिम ताप केन्द्र .	7,680	—	2×20
बोधघाट जल विद्युत-परियोजना .	3,773	—	3×80
महेश्वर जल-विद्युत परियोजना .	1,830	—	3×40
हर्णफल जल-विद्युत परियोजना .	3,831	—	4×50

अशोधित तेल के एक बेरल का मूल्य

186. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोधित तेल के एक बेरल का वर्तमान मूल्य क्या है और अशोधित तेल का आयात करने के लिये भारत कितना भाड़ा अदा करता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कुछ तेल उत्पादक देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के बीच विचार विमर्श को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने के कारण अनेक अशोधित तेल के औसतन मूल्य अस्थाई हैं जिसके कारण इस समय आयातित अशोधित तेल के मूल्यों का निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

एक निश्चित सीमा से अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों के निर्वाचन लड़ने और उन्हें सार्वजनिक पदों पर नियुक्त करने पर रोक लगाने के लिए कानून

187. **श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कानून बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि एक निश्चित सीमा से अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों को कोई भी निर्वाचन लड़ने के लिये और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Closure of Power Stations due to Shortage of Coal

188. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether several power stations in the country have recently closed down due to shortage of coal;

(b) if so, the names thereof and the loss suffered as a result thereof; and

(c) the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) ; (a) & (b) No major thermal power station in the country was closed down recently due to shortage of coal. However, it is reported that only one, the Mau thermal station (15MW) in Uttar Pradesh was closed down for a few days for want of coal. In addition, the following power stations and to resort to load shedding due to shortage of coal during December, 1973 and January, 1974 :—

Station	Capacity
1. Kanpur (UP)	87·5 MW
2. Sohwal (UP)	19·5 MW
3. Chandausi (UP)	15·6 MW
4. Shahpur (Gujarat)	16·0 MW
5. Gorakhpur (UP)	15·0 MW

The actual loss in production due to the closure/load shedding of the above mentioned power stations has not been assessed.

(c) Sustained efforts are being made jointly with the Department of Mines and the Ministry of Railways to maintain coal supplies to the power stations as indicated below :—

(i) A standing Linkage Committee has been set up in the Department of Mines to review the monthly allocation of coal to power stations.

(ii) A control Room has been set up in the Ministry of Railways to review the daily supply and stocks of coal at different power stations.

(iii) A ioint cell has been created at calcutta to review the loading and allotment of wagons for movement of coal to thermal power stations.

Closure of Industries in Haryana due to pwoer shortage

189. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether many industries have closed down as a result of power crisis in Haryana due to which one lakh labourers have been rendered jobless; and

(b) the steps taken by Government to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Haryana State Government has imposed restrictions on the cn consumption of electricity by industries due to the electrical energy avialability falling short of the creased demand. While certain essential industries have been exempted from power cuts other are subject to restriction on consumption extending upto 60%. There has been no retrenchment of workers due to power cuts.

(b) The Central Government has arranged for relief to the Haryana State by supply in power, to the extent possible, from Badarpur Thermal Power Station, Rajasthan Atomic Power Project, and Bhakra-Delhi System.

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के आधुनिकीकरण के लिये योजना

190. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना मंजूर कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बाते क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना में प्रति वर्ष 1,28,500 मीटरी टन अतिरिक्त नाइट्रोजन के उत्पादन की व्यवस्था है और 89 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत का अनुमान है । इस योजना में कोक/कोक ओवन गैस के स्थान पर फीड स्टाक के रूप में फ्यूल आयल/हेवी पेट्रोलियम फ्रैक्शन का उपयोग किया जायेगा जो इस समय सिंदरी में फीडस्टाक के रूप में उपयोग किया जाता है ।

विदेशी फर्मों का भारतीयकरण

191. **श्री एम० रामगोपाल रेडडी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विदेशी फर्में कितनी और कौन-कौनसी है जिसमें केवल विदेशियों के शेयर हैं, और

(ख) इन फर्मों का भारतीयकरण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी 93 भारतीय कम्पनीयां थीं, जो 31-3-1971 तक विदेशी धारिता कम्पनियों के पूर्ण रूपेण स्वामित्व में थीं । इनके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अन्तर्गत यथा परिभाषित विदेशी कम्पनियों की 541 शाखायें, भारत में 31-3-1972 तक कार्यरत थीं । इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र 1 व 2 में दिये गये है । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—6155/74]**

(ख) विदेशी कम्पनियों के भारतीयकरण की बाबत नीति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रेषित, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के लागू करण के लिये मार्गदर्शक नियमों में वर्णित की गई है ।

भाखड़ा प्रबंध बोर्ड द्वारा बिजली के उत्पादन में कमी

192. **श्री बूटा सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबंध बोर्ड ने बिजली के उत्पादन में कमी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था से बिजली प्राप्त करने वाले विभिन्न राज्यों में यह कमी किस सीमा तक की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Increased Oil Production with Russian Assistance

193. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the production of oil has increased or any attempt has been made to increase the same from the existing oil wells in the country with the help of tne Soviet Union.

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the progress made so far in locating new oil resources in the country; and

(d) the total expenditure incurred so far on locating these oil resources?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) : In the public sector from 1961-62 onwards production of crude oil in the country has progressively increased from 0·041 to 4·11 million tonnes per a num. In this regard the USSR has helped in terms of experts and supply of required equipiment.

Oil production from a well is normally obtained at the optimum rate. Any increase in the rate of production of oil beyond an optimum rate from an existing well is normally not technically feasible.

(c) The ONGC has located a total of 25 oil bearing areas so far. The total recoverable reserves in these areas prior to commencement of production as per latest estimates were 108·6 million tonnes.

(d) About Rs. 164 crores have so far been spent by ONGC in discovering petroleum reserves in the country.

पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों में विद्युतीकरण की प्रगति की जांच करने हेतु समिति गठित करना

194. **श्री नारायण चन्द पराशर : सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युतीकरण की प्रगति की जांच करने हेतु एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कोन-कौन हैं तथा यह अपना प्रतिवेदन किस संभावित तारीख तक प्रस्तुत करेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर पश्चिमी राज्यों, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को जांच करने हेतु ऐसी ही एक समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति किस संभावित तारीख तक गठित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए और स्थिति में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए जनवरी, 1974, एक समिति स्थापित की गई है। समिति का गठन इस प्रकार है :—

1. प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद, सिंचाई और विद्युत उपमंत्री	अध्यक्ष
2. श्री एल० डी० कोटको, संसद् सदस्य .	सदस्य
3. श्री भोला रावत, संसद् सदस्य . . .	सदस्य
4. श्री यशपाल कपूर, संसद् सदस्य	सदस्य
5. सलाहकार।निदेशक विद्युत (क्रमशः) योजना आयोग .	सदस्य-सहयोजित
6. तकनीकी निदेशक, ग्राम विद्युतीकरण निगम . .	सदस्य-सहयोजित
7. निदेशक (ग्राम विद्युतीकरण) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	सचिव

समिति द्वारा छः महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को संभावना है । (ग) और (घ) : जी नहीं ।

हसन-मंगलोर रेलवे लाइन का निर्माण

195. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मगलौर रेलवे लाइन का निर्माण कब शुरु हुआ था ;

(ख) निर्माण कार्य के कब तक समाप्त होने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हसन-मंगलौर रेलवे परि-योजना नवम्बर, 1964 में मंजूर की गयी थी ।

(ख) लगभग दिसम्बर, 1976 तक ।

(ग) अनुमानित लागत 35,87 लाख रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर स्थान पर रेलवे आउट एजेंसी खोलने का अनुरोध

196. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर स्थान (जिला मुख्यालय) पर एक रेलवे आऊट एजेंसी खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध की जांच की है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हमीरपुर में एक आऊट-एजेन्सी खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि यातायात की कम सम्भावनाओं के कारण वित्तीय दृष्टि से इसे खोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस के ठहरने के समय के बढ़ाने के सम्बन्ध में दिया गया अभ्यावेदन

197. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस के ठहरने के समय को बढ़ाने तथा वहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव का समय बढ़ाने का न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है और नही इन गाड़ियों की तेज रफ्तार अक्षुण रखने के हित में वांछनीय है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए केरल द्वारा मांगी गई सहायता

198. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री वयालर रवि :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम विद्युतीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित किया जाता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में की गई है, राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए योगात्मक धन देता है । निगम ने अपनी स्थापना से अब तक केरल राज्य बिजली बोर्ड की 16 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 712.57 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है । इन स्कीमों में 451 गांवों का विद्युतीकरण, 8436 पम्पसेटों का ऊर्जन तथा 1487 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई परिकल्पित है । केरल राज्य बिजली बोर्ड की 5 और स्कीमें इस समय निगम के विचाराधीन हैं जिनमें 235.30 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है । यदि ये स्कीमें तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य पाई गई, तो निगम द्वारा स्वीकृत कर ली जाएंगी ।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पृथक बेंच के लिए मांग

199. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पृथक् बैंच की स्थापना के लिये काफी समय से मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उक्त बैंच की स्थापना कब तक की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) प्रस्ताव के बारे में कतिपय विधिक मामलों पर भारत के महान्यायवादी के परामर्श से विचार किया जाना था । भारत के महान्यायवादी द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए यह मामला राज्य सरकार को और विचार किए जाने के लिए पुनः निर्देशित किया गया है । राज्य सरकार के विचार जानने के बाद ही प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा ।

एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना

200. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम दक्षिण रेलवे के बीच चलने वाली कुछ दैनिक यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है ।

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन गाड़ियों के रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप जनता, विशेषकर छात्रों को भारी असुविधा हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा तत्काल करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एर्णाकुलम-कोल्लम खण्ड पर सात जोड़ी गाड़ियों और कोल्लम-तरुवनन्तपुरम खण्ड पर नौ जोड़ी गाड़ियों में से एर्णाकुलम-कोल्लम खण्ड पर चार जोड़ी गाड़ियां और कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर तीन जोड़ी गाड़ियां कोयलों की कठिन स्थिति के कारण रद्द कर दी गई है । यात्रियों को कम से कम असुविधा हो इसके लिए नं० 191/192 एर्णाकुलम्-तिरुवनन्तपुरम् एक्सप्रेस और नं० 745/746 कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम् सवारी गाड़ी को डिजल रेल इंजन से चलाया जा रहा है और उनमें क्रमशः एक पहले दर्जे व तीन तीसरे दर्जे के और दो तीसरे दर्जे के डिब्बे लगा दिय गये हैं ।

8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9612 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement collecting Answer to U. S. Q. No. 9612 dated 8-5-1973

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : स्वर्गीय श्री डी० आर० चव्हाण द्वारा 8 मई 1973 को लोक-सभा में उत्तरित श्री आर० के० सिंहा के अतारांकित प्रश्न संख्या 9612 के भाग (क) के उत्तर को पंक्ति 2 में आए आंकड़े "478" के लिए "600" पढ़े ।

उत्तर में संशोधन करने के लिये कारण बताने वाला वक्तव्य

श्री वेदव्रत बरूआ : इस प्रश्न के भाग (ख) की बाबत दिये गये आश्वासन को परिपूर्ण करने के लिये सूचना संग्रह करते समय, विभाग में कम्पनियों से, प्रबंध तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की बाबत सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा करते हुये सैकड़ों आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, एवं प्रादेशिक निदेशकों से प्राप्त रिपोर्टों से यह प्रकाश में आया कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के लिए आवेदन-कर्ताओं की संख्या की संगणना करने में, बहुत से आवेदन-कर्ताओं के नाम दृष्टि से ओझल हो गये । यह इस कारण हुआ कि सभी सम्बन्धित ब्यौरे इस प्रकार से संधारण नहीं किये गये थे, जिस से अपेक्षित सूचना शीघ्रता पूर्वक भेजना संभव हो सके । इन अतिरिक्त नामों को सम्मिलित करते हुये उन प्रबन्ध

तथा पूर्ण-कालिक निदेशकों की संख्या, जिन्हें 1-1-70 से 31-12-72 तक की अवधि के मध्य 4,000 रु० या इससे ऊपर के मासिक पारिश्रमिक की स्वीकृति दी गई थी, "600" होता है।

2. इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये, पर्याप्त रुर्पण संख्यातियों के संधारण करने की व्यवस्थायें कर ली गई है।

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरु करने से पहले मैं सदन को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित व्यक्तियों को सभापित तालिका के सदस्यों के रूप में मनोनीति किया है :—

1. श्री वसंत साठे
2. डा० हेनरी आल्टिन
3. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
4. श्री नवल किशोर सिंह
5. श्री इसहाक सम्मली
6. श्री जगन्नाथराव जोशी

सूची में पूर्णत: परिवर्तन कर दिया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इस्पात कारखानों पर कोयले की कमी के कथित प्रतिकूल प्रभाव के समाचार

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Sir, I call the attention of the Minister of Steel and Mines to the following matters of Urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"reported coal shortage hitting Steel Plants both in the private and public sectors and steps taken by Government."

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : इस वित्त वर्ष में इस्पात के उत्पादन कार्यक्रम के लिए सभी इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की कुल दैनिक आवश्यकता 36,600 टन है। इस्पात कारखानों को इस मात्रा कोयला पहुँचान के लिए बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्रों से प्रतिदिन प्राकृत कोयले और शोधित कोयले के लगभग 2700 रेल के डिब्बों में कोयले का लदान करना होता है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष कोयले की दुलाई आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई और दो बार अगस्त, 1973 और नवम्बर, 1973 में रेलवे सेवाओं में अचानक रुकावट आ जाने के कारण इस्पात कारखानों में कोलये का स्टाक बहुत कम हो गया जिसके कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। दिसम्बर, 73 के दौरान इस्पात कारखानों को कोलले की सप्लाई में गंभीर कठिनाई आई और परिणामस्वरुप इस्पात कारखानों में कोयले की खपत कम करनी पड़ी। इस्पात कारखानों में सीमित मात्रा में कोयला आने से सब से बड़ी चिन्ता इस बात की थी कि स्थापित संयंत्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। तदनुसार कोक ओवन पुशिंग की दर घटा दी गई ताकि कोयले के वास्तविक स्टाक को बचाया जा सके यद्यपि इस से इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी आ गई।

[श्री के० डी० मालवीय]

पहले की तरह कोयला नियंत्रक ने खनन संस्थानों इस्पात कारखानों और रेलवे के प्रतिनिधियों से परामर्श करके जनवरी, 1974 के महीने के लिए कोयला शोधनशालाओं को प्राकृत कोयले तथा इस्पात कारखानों को शोधित तथा प्राकृत कोयले की आपूर्तिक लिए कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम के अनुसार इस्पात कारखानों को 11.71 लाख टन कोक्कर कोयला सप्लाई किया जाना था जिसके लिए प्रतिदिन औसतन 2700 रेल के डिब्बों का लदान होना आवश्यक था। परन्तु इस महीने में प्रतिदिन औसतन 1933 डिब्बों का लादान करना ही संभव हो सका। परिणामस्वरुप विभिन्न इस्पात कारखानों में कोयले का स्टाक जो 1-1-1974 को लगभग 1,47,000 टन था घट कर 1-2-1974 को 1,15,000 टन रह गया। ऐसा इस्पात कारखानों में इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन को कम कर के कोक ओवन पुशिंग की संख्या को घटाने पर हुआ।

जनवरी के अन्त में हटिया बोडामुण्डा लाइन पर हुए आन्दोलनों के परिणामस्वरुप भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों को जा रहे कोलले से लदी गाड़ी रुक गयी। इसके कारण खानों और शोधनशालाओं में लदान के लिए खाली डिब्बे उपलब्ध नहीं हो सके जिसके परिणामस्वरुप दूसरे इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई में और कमी हुई। फरवरी के आरम्भ में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के रेल निरीक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने वर्क टू रुल आन्दोलन आरंभ कर दिया जिससे असाधारण रूप से बडी संख्या में रेल डिब्बे रुक गये। आगरा डिवीजन में कुछ सहायक स्टेशन मास्टर भी काम पर हाजिर नहीं हुए। इसके परिणामस्वरुप इस्पात कारखानों को कोयला पहुँचाने की स्थिति तेजी से बिगड़ गई और स्थापित संयंत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्पात कारखानों में कोयले की खपत को निम्नतम स्तर पर लाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। उन दिनों सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की थी कि कोक भट्टियों और धमन भट्टियों में न्यूनतम उष्मा बनी रहे क्योंकि इस संयंत्रों के तेजी से ठण्डा होने से इनकी गंभीर क्षति होने और अन्त में भारी मरम्मत करने और उनको बदलने से बहुत अधिक हानि होती। इसके कारण इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी आई। तथापि परीक्षण के इन उपायों से इस्पात कारखानों में स्टाक की स्थिति में उपान्त सुधार हुआ है और 18 फरवरी का भिलाई कारखाने में वर्तमान परिचालन स्तर पर कोयले का स्टाल उसकी 6 दिन की आवश्यकता से कुछ अधिक था, राउरकेला में 3 दिन की आवश्यकता से कुछ अधिक 'टिस्को' में लगभग 6 दिन की आवश्यकता के लिए, 'इस्को' में लगभग 2 दिन की आवश्यकता के लिए, दुर्गापुर में लगभग 4 दिन की आवश्यकता और बोकारों में लगभग 10 दिन की आवश्यकता के लिए था।

4. रेलवे यातायात में रुकावट आ जाने से सभी इस्पात कारखानों में तैयार इस्पात का भी काफी स्टाक जमा हो गया है। 1-2-1974 को सभी इस्पात कारखानों में 3,61,000 टन तैयार इस्पात जमा हो गया था जो सामान्यत: लगभग 1,50,000 टन होना चाहिए।

5. देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पर सभी रओ से दबाव पड़ रहा है। कोयला खानों अथवा रेलवे व्यवस्था अथवा इस्पात कारखानों में संकट का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। संकट के इस समय में हमें किसी वर्ग विशेष में दोष नहीं निकालने चाहिए परन्तु राष्ट्रीय जीवन की सभी अवस्थितियों में चाहे वह कोयला खानों, अथवा रेलवे अथवा इस्पात कारखानों के बारे में हो लगातार अधिक उत्पादन और अधिक कार्यकुशलता के हित में सभी को मिल जुल कर काम करना चाहिए।

Shri Yamuna Prasad Mandal : The hon. Minister has stated the facts. He has used the words 'dangerously low level' and 'serious setbacks'. The situation had been deterioration even before the hon. minister took charge of this ministry. I want to know as to why the Steel Organisation, Mining Organisation and Railways have not faced the serious situation jointly. There is widespread dicounterment among the workers of these organisation grievances should be looked into the larger interest of the nation. 2500 Enginering units in Madhya Pradesh and Maharashtra are in miserable condition. These three organisation should sit together and find out some solution. I want to know whether you are going to set

up some co-ordination committee for these organisations? Condition of Rourkela Plant has been deteriorating with the passage of time which is all due to the shortage of coal. I want to know the measures being adopted by the Government to meet the situation. This Plant could only achieve about fifty percent production target till 15th December. Similar situation is prevailing in other plants also.

Shri K. D. Malviya : All possible efforts are being made to ensure the supply of coal to the Steel Plants and the concerned organisations are actively doing their job and there is no feeling of non-cooperation among them. We should make early efforts to remove the difficulties which we are facing. I may assure the House to that it will not take long time improve the situation.

I may also appeal to all the labour leaders to cooperate with us. It is the duty of the Government to look into the welfare of the workers.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) **:** We appreciate the difficulties pointed out by hon. minister. This is the only time when we should find faults and work in the larger interests of the nation. We have been reading in the newspapers that coal stock lying with the steel plants may only last for 2 or 4 days.

These plants were termed by late Pandit Nehru as 'Temples' but they are now in sick condition. We hope that the present Minister will bring out some improvements in the situation.

I want to know whether there is any coordination between Railways Coal Mining Authority and Steel Ministry? I also want to know the quantity of coal at the pitheads be fore nationalisation and the quantity lying there at present? Normally how much stock required. The hon. Minister should also tell the numbers of wagaons required for lifting the coal. We can not succeed in our efforts until there is no coordination between the concerned ministries.

Shri K. D. Malviya : I admit that the work had not been upto the expectations. What ever may be the cause we have to bring about improvements in the situation.

We are not having required quantity of buffer stock. All of us are cooperating for improving the situation. I hope that we may be able to overcome the difficulties. You should also realise the problems created after nationalisation.

I hope that with the cooperation of the opposition leaders we will be able to remove all the difficulties and improve the things. The information about the improvement will be given to the House in the end or middle of the Budget Session.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** माननीय मंत्री ने अपनी सफलताओं के बारे में अतिशयोक्ति पूर्ण उल्लेख किया है। वस्तुतः स्थिति गम्भीर है। कच्चे माल और कोयले के अभाव के कारण देश में इस्पात उद्योग बंद होने जा रहा है। टाटा इस्पात संयंत्र में क्षमता से उत्पादन 20 प्रतिशत कम हो रहा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तीन धमन भट्टियां और भिलाई इस्पात संयंत्र की एक धमन भट्टी बंद हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भिक तीन महीनों में विद्युत की कटौती और कोयले की कमी के कारण लगभग 2.80 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात का घाटा केवल बोकारों और भिलाई इस्पात संयंत्रों में हुआ। इस्पात संयंत्रों में कम उत्पादन की जिम्मेदारी मंत्री महोदय रेलवे मंत्रालय पर नहीं टाल सकते क्योंकि सभा के प्रति वे सब संयुत रूप में जिम्मेदार हैं। जहां तक रेलवे की कार्यकुशलता का संबंध है, कुल उपलब्ध 388200 वैगनो का 30 प्रतिशत भाग बेकार है। बड़ी लाइन पर मालगाड़ी की गति 1950–51 में 17.4 थी जो 1965–66 में घटकर 16.4 रह गई। रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वैगनों का उपयोग 37 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा। वैगनों के अलाटमेंट के बारे में भी घोटाला हो रहा हैं हालांकि रेलने राज्य सरकारों की सलाह से मालडिब्बे किराये पर देती है फिर भी व्यापारी बीच के स्टेशनो से मालडिब्बे जैसे–तैसे अपने नाम अलाट करा लेते हैं। ऐसा सुना गया है कि मालडिब्बो की एक रेक (60 डिब्बो) के लिए 60,000 रुपये रिश्वत के देने पडते हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हमारे रेल्ल मंत्री को रेल के डिब्बों के आबंटन के लिए प्रतिदिन 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं। कोयला क्षेत्र में कुछ समाज

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

विरोधी तत्व भी सक्रिय है और ये शासक दल से संबंद्ध है। जिन युवा शिक्षित लोगो को कोयले के परमिट दिये गये थे वे इन समाजविरोधी तत्वों को अपने परमिट बेच देते हैं। इस प्रकार समस्या हल होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी मंत्री या सदस्य पर कोई आरोप लगाना चाहते हैं, तो आपको उसकी सूचना पहले से देनी चाहिए ताकि वह उत्तर देने के लिए सभा में उपस्थित रह सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ।

श्री के० डी० मालवीय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो आरोप मंत्री महोदय पर सामान्य रूप से लगाया है मैं उसका खंडन करता हूं। जहां तक रेलवे, इस्पात मंत्रालय और खानों के कार्यकरण और कार्य कुशलता का संबंध है, वह बहुत अच्छी नहीं है। हमें यह भी पता लगा है कि कुछ समाज विरोधी तत्व भी सक्रिय हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें यथाशीघ्र दूर करे ताकि खानों की कार्यकुशलता बढ़ सके और कोयला और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस कार्य में मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का सहयोग भी चाहूंगा। समाज–विरोधी तत्वों के कारण इस्पात मिलों और कोयला खानों में माल का सुरक्षित भंडार नहीं बन पा रहा है। अन्त में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हम सबके हित में यही है कि राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई समस्याओं का समाधान किया जाये क्योंकि ऐसा किये बिना इस्पात और कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचरी) **:** कोयले की कमी से हमारे सामने एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। सरकार कहती है कि कोयले का उत्पादन 1972 में 748.1 लाख टन था जो 1973 में बढ़कर 771.7 लाख टन हो गया। रेलवे विभाग यह दावा करता है कि कोयले की ढुलाई ठीक हो रही है। दूसरी ओर खान अधिकारी कहते है कि खानों के मुहानों पर 60 लाख टन कोयला जमा हुआ पड़ा है जिसकी ढुलाई हो जानी चाहिए थी। साथ ही यह भी सच है कि कोयले के अभाव का रेलवे और इस्पात संयंत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति का अध्ययन गम्भीरतापूर्वक किया जाना चाहिए। कम उत्पादन के लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि उच्च अधिकारियों और एकाधिकारियों ने मिलकर एक षडयंत्र रचा है जिससे सरकारी क्षेत्र और श्रमिक वर्ग बदनाम हो और गैर सरकारी क्षेत्र प्रशंसा का पात्र बने। क्या कोयले की कमी के कारण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बंद नहीं हो गई है? क्या यह सच नहीं है कि गत कुछ महीने में सरकारी केप्टिव कोयला खानों से कोयला कम निकाला गया? क्या कोयले के अभाव के लिए कोयला खानें और रेलवे जिम्मेदार नहीं है। क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के हित में सरकारी क्षेत्र के बोकारो इस्पात कारखाने को बंद नहीं किया जा रहा है? रेलवे बोर्ड, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया, कोयला खान प्राधिकरण के उच्च अधिकारी कोयले का अभाव उत्पन्न करने के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं और उन्होंने सरकारी कारखानों की निन्दा और गैर सरकारी कारखानों की बढ़ाई किस हद तक की है?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने श्रमिक वर्ग या उन लोगो की, जो कोयले का उत्पादन बढ़ाने में व्यस्त है बुराई नहीं की। मैंने समाज विरोधी तत्वों का उल्लेख किया था। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का संबंध है कि उपर्युक्त विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, मैं इसका उत्तर नकारात्मक दूंगा। हां, कई स्थानों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। मै आपको आश्वासन देता हूँ कि विपक्षी सदस्यों के सहयोग से हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, श्रमिकों की दशा सुधारेंगे और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय लायेंगे। जहां तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की कैप्टिव खानो में उत्पादन जानबूझकर कम किये जाने का संबंध है, मैं इस बारे में जांच करने के बाद कुछ कह सकूंगा।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE : ADJOURNMENT MOTION

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों के बारे में अनेक सूचनायें मिली हैं। पहला प्रस्ताव श्री प्रसन्न भाई मेहता द्वारा दिया गया है। उसके बाद अन्य कई सदस्य हैं जैसे श्री मधु दण्डवते, श्री सी० के० चन्द्रप्पन आदि आदि। श्री प्रसन्न भाई मेहता का स्थगन प्रस्ताव आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में है। क्या वह उसे प्रस्तावित कर रहे हैं ?

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : हम सभी ने, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, यह फैसला किया है कि इस स्थिति में जबकि अनेक सदस्य चुनाव कार्य में लगे हुए है इस चर्चा से कोई लाभकारी परिणाम नहीं निकालेंगे। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं भी इसें प्रस्तुत किये जाने का आग्रह नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० के० चन्द्रपप्न नहीं, श्री रामावतार शास्त्री नहीं, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री योगेन्द्र झा, श्री समर मुखर्जी, श्री सरोज मुखर्जी नहीं कोई नहीं। कोई भी माननीय सदस्य यह मांग नहीं कर रहा कि इसें प्रस्तावित किया जाए। मेरे विचार से आज अविश्वास प्रस्तावों को भी वापस ले लिया गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैंने गुजरात में व्याप्त परिस्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, यह मामला इतना गम्भीर है कि इस पर यथाशीघ्र चर्चा होनी चाहिये अन्यथा वहाँ बहुत से बेगुनाह व्यक्ति मारे जाएंगे।

श्री के० एम० चावड़ा (पाटन) : महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, आपने अन्य सदस्यों के नाम नहीं पूकारे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल पहला प्रस्ताव लिया था तथा उसे वापस ले लिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तथा प्रधान मंत्री चुनाव अभियान चला रही हैं। सोशिलिष्ट पार्टी के हमारे एक उम्मीदवार को रोक लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत एक विषय की अनुमति दी गई है। मैं अब इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि चुनावों में कोई अनुचित तरीका अपनाया जा रहा है तो उसकों देखने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह न्यायोचित चुनाव कराये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अमरीका सरकार द्वारा भारत में जमा राशि के निपटान के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : महोदय, मैं अमरीका सरकार द्वारा भारत में जमा रुपया राशि के निपटारे के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6143/74।**]

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 6144/74]**

केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिणाम बताने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : मैं दिसम्बर, 1973 मे केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिणाम बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6145/74]**

गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा तथा आदेश तथा राज्यपाल का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 34(ङ) में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6146/74]**

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 9 फरवरी, 1974 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 35(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 6147/74]**

(3) गुजरात के राज्यपाल के राष्ट्रपति के नाम दिनांक 9 फरवरी, 1974 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6148/74]**

कम्पनी समापन लेखा (संशोधन) नियम, 1973

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : महोदय मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी समापन लेखा (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 523 (ड़) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय म रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 6149/74]**

श्री के० एम० चावड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मद संख्या 6 के बार में ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखते समय विलम्ब के अतिरिक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के ज्यूनियर डाक्टरों की हडताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : DELHI JUNIOR DOCTOR'S STRIKE

अध्यक्ष महोदय : डा० कर्ण सिंह एक वक्तव्य देगें।

श्री एम० ए० शमीम (श्रीनगर) : महोदय, गत दो महीनों से वह रेडियो और टेलीविजन प्रचार माध्यम का उपयोग करते रहे हैं और अब आप उन्हें यहां भी अवसर दे रहे हैं। हमे जूनियर डाक्टरों की विचारधारा का पता नहीं है। अत: हम प्रश्न किस आधार पर पूछ सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने उनमें से एक को भी स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य सुन लीजिये। आप अन्य प्रकार से चर्चा की मांग कर सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों को ज्युनियर डाक्टरों की बहुत दिनों से चली आ रही हड़ताल तथा देश में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा में विघटन पैदा कर सरकार पर दबाव डालने वाले कुछ गलत तत्वों के प्रयासों के कारण उत्पन्न हुई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की जानकारी है। महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर एक विस्तृत टिप्पणी रख रहा हूं जिसमें दिल्ली के जुनियर डाक्टरों की हड़ताल की पृष्ठभूमि के उल्लेख के साथ साथ उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा दिया गया है। सदन का अधिक समय न लेकर, मैं यह बतलाना चाहूंगा कि सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान जनियर डाक्टरों की परिलब्धियों में काफी अच्छी वृद्धि की है और जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है कुछ वर्ग के कर्मचारियों के मामले में तो यह बढ़ोत्तरी शत-प्रतिशत की गई है। साथ ही उनके हक में और भी अनेक स्पष्टीकरण दिये गये है। यह बड़े खेद की बात है कि जूनियर डाक्टरों ने हमारी इस चेष्टा को नजर-अन्दाज कर दिया है और वे अपनी बात पर निरंतर अड़े हुए हैं।

मुझे यकीन है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि यद्यपि जूनियर डाक्टरों की स्थिति में सुधार करने की जरूरत है, फिर भी, स्नातक बनते समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने तथा चिकित्सा व्यवसाय की महान परम्परा को बनाये रखने की जिम्मेदारी भी उनपर आ जाती है। वर्तमान हड़ताल से दिल्ली, चण्डीगढ़ और पाण्डिचेरी में तथा इनके आस-पास के इलाकों में बहुत से लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। इसका भार खासकर, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तथा ऐसे लोगों पर पड़ा है कि जिनमें रोगों का प्रभाव आसानी से हो जाता है और जो प्राइवेट चिकित्सकों से अपना इलाज कराने में असमर्थ होते हैं। यह स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी है और मैं एक बार पुन: यहां से भी जूनियर डाक्टरों से यह अपील करूंगा कि वे सरकार द्वारा की गई पेशकश को मान लें और शीघ्र ही अपने काम पर लौट आयें। उनकी शेष समस्याओं को हल करने के लिये हमसे बातचीत भी की जा सकती है।

सरकार ने कुछ नये डाक्टरों को भरती करने की दिशा में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है यदि हड़ताली डाक्टर अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा करते रहे तो हमारे पास इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाएगा कि हम इसके बदले कोई स्थायी प्रबन्ध कर लें ताकि अस्पतालों में फिर से सामान्य रूप से कम होने लगे।

श्री जोतिर्मय बसु : स्वास्थ्य सचिव श्री रामचन्द्रन ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। आप उस आश्वासन को पूरा क्यों नहीं करते?

9—37 LSS/73

डा० कर्ण सिंह : इस प्रश्न पर भी बातचीत हो सकती है। मैं किसी चर्चा से नहीं डरता। कार्य प्रशंसा समिति इसके लिये जो भी समय निर्धारित करे उसमें चर्चा हो सकती है।

केन्द्रीय संस्थानों की समस्याओं के अलावा देश के विभिन्न भागों में मेडिकल छात्रों तथा जूनियर डाक्टरों में व्याप्त असंतोष से मैं अत्यधिक चिन्तित हूं। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि चिकित्सा शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली को पुनः तैयार करने और उसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे लोगों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने का यह एक कारगर साधन बन जाय। अतः इस इरादे से सरकार एक उच्याधिकार प्राप्त चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है जो इस सम्पूर्ण समस्या की राष्ट्रीय स्तर पर जांच और प्रिमेडिकल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक चिकित्सा शिक्षा के पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलूओं पर गहराई से अध्ययन करेगा।

श्री जोतिर्मय बसु : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस मंत्रालय के सचिव ने जूनियर डाक्टरों को एक आश्वासन दिया था। मेरे पास उसकी एक प्रति है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इन बातों को चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री के० एम० चावड़ा : महोदय, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार कर ली गई है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। केवल एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है। मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री एच० एम० पटेल के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। आप सभी कृपया बैठ जाइये।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

उड़ीसा में अलग अलग चुनाव तिथियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग का कथित निर्णय

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे अनेक तार मिले हैं जिनमें एक तार दो संसद सदस्यों की ओर से प्राप्त हुए हैं। इनका आशय यह है कि निर्वाचन आयोग ने स्वेच्छा से मतदान की तिथि 22 तारीख की बजाय 24 और 26 तारीख करने का निर्णय लिया है उससे मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को आश्चर्य और भारी असुविधा हुई है। कांग्रेस और सी० पी० ई० सहित सभी दलों ने चीफ इलैक्टोरल आफीसर के समक्ष रोष व्यक्त किया है तथा यह निर्णय जन विरोधी है। संसद में मामला उठाये जाने की मांग की गई है।

मैं विधि मंत्री तथा उनके द्वारा चुनाव आयुक्त का ध्यान इस मामले की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूँ कि इस मामले की तुरन्त जांच की जाए। मंत्री महोदय कृपया इस संबंध में सदन में आश्वासन दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मुझे भी दूसरे सदन के सदस्य श्री लोक नाथ का इसी बारे में तार मिला है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा कांग्रेस की सहायता के लिये किया गया है किन्तु साथ ही कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० एम० पटेल। वह यहां नहीं है। अब सभा मध्यान्ह के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म०प०तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the clock.

———

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर छत्तीस मिनिट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-six minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963-में की गई थी। इस निगम का मुख्य कार्य कृषि उत्पाद के विपणन कटई-गलई आदि तथा भण्डार बनाने के बारे में योजना बद्ध विकास कार्य में प्रगति करना तथा सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का विवरण करना है। राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इस निगम का एक दायित्व है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में चौथी लोक सभा की लोक लेखा समिति (1969 70) द्वारा अपने 106 वे प्रतिवेदन में उल्लिखित सुझाव के अनुसरण में श्री बी० वेंकटरामैया की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति निगम के कार्यकरण की विस्तृत समीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को केवल निरंतर बने रहने ही न दिया जाए अपितु इसे पर्याप्त रूप से मजबूत भी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास निगम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि निगम होना चाहिए। इसका गठन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि एक ओर पद सहकारी तथा अन्य रैर–सरकारी नेतृत्व को तथा दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संबंधित सरकारी क्षेत्र के संगठनों को मंच प्रदान कर सके। सरकार ने समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को निरंतर बनाए रखा जाए। और उसे वित्तीय तथा संगठनात्मक दोनों ही तरह से मजबूत भी किया जाए।

समिति की अन्य सिफारिशें ये हैं

(क) निगम को देश के पिछड़े क्षेत्रों तथा ग्रामीण जनता में कमजोर वर्गों, आदिवासियों तथा छोटे किसानों की आर्थिक प्रगति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

(ख) निगम की गतिविधियों में डेरी, मत्स्य पालन आदि स्तर के कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(ग) निगम का गठन व्यापार स्तर पर किया जाए।

(घ) निगम के पास पर्याप्त धनराशि हो।

10—37 LSS/73

[श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे] . . .

इस विधेयक में समिति की सिफारिशों को निगमित करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अनुसार विधेयक की मुख्य विशेषतायें ये हैं।

(क) निगम की गतिविधियों को डेरी फार्म, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा छोटे वन उत्पादन (विधेयक का खण्ड 8) आदि पर लागू करना है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन अधिक व्यापक आधार पर करना है। निगम की महापरिषद में 51 सदस्य होंगे। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों और केन्द्रीय वित्त तथा अन्य संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा (विधेयक का खण्ड 4)

(ग) प्रबन्धक बोर्ड में 12 सदस्य होंगे, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों, राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक तथा कृषि सहकारी विकास के विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व उपलब्ध होगा (विधेयक का खण्ड 9)

(घ) इस समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केवल केन्द्रीय सरकार से ही ऋण ले सकता है, ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को खुले बाजार और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की छूट दी जाए (विधेयक का खण्ड 11)

जैसा कि मैंने बताया विधेयक का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों की सहायता पर जोर देते हुये, सहकारी समितिओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के लिये गांवों के आधार-भूत ढांचे को सुदृढ करना है। यह एक साधारण और निर्विवाद विधेयक है जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी सहकारीताओं के माध्यम से ग्रामीण विकास करना है।

मैंने इस विधेयक में कुछ तकनीकी किस्म के संशोधन भी अलग से प्रस्तुत किये हैं क्यों कि यह विधेयक 1973 में लाया गया था और अब 1974 है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक तथा संशोधनों का समर्थन करता हूँ। वास्तव में सहकारिता से गरीब जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा। इससे धनी व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचा है। धनी व्यक्ति सहकारी समितियों से ऋण लेकर उस धनराशि से ब्याज कमाते हैं। मेरा सुझाव है कि सहकारिता के लिये अधिक धनराशि प्रदान की जाए जिससे देश के गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पटसन की वसूली कर सकता है जिससे किसानों का शोषण न किया जा सके तथा उन्हें सस्ते दामों पर पटसन न बेचना पड़े। पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में पटसन उत्पादकों को ठगा जाता है किन्तु इस निगम ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को किसानों को "आईसोटोप्स" का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिये जिससे वे अपने खाद्यान्नों को सुरक्षित रख सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरीके को अपनाने की अभीतक अनुमति नहीं दी। यद्यपि भाभा अनुसंधान केन्द्र में इसकी सफलतापूर्वक परीक्षा की जा चुकी है।

मछली पकड़ने का काम भी सहकारिता के आधार पर किया जा सकता है और हमें पता लगा है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन हमारे मंत्रालयों ने इस पर विचार नहीं किया है। रूस और ताइवान के मछेरे गहरे समुद्र में मछली पकड़

सकते है लेकिन हमारे मछेरों के पास मछली-संरक्षण सुविधाएं प्राप्त नहीं है अतः वे गहरे समुद्र में मछली नहीं पकड़ सकते । यदि हमारे पास ये सुविधाएं हों तो हम अधिक मछली पकड़ सकते हैं ।

सहकारी संस्थाएं संरक्षण मशीनरी बना सकते हैं और मछेरे उसका उपयोग कर सकते हैं स्वयं विधेयक में मछली संरक्षण का सुझाव दिया गया है यदि इस पर विचार किया जाए तो हमारा खाद्य उत्पादन भी बढ़ सकता है । हम समुद्री उत्पाद भी कर सकते हैं और इन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है ।

मंत्री महोदय कृपया इन बातों पर विचार करें ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Mr. Deputy Speaker, Sir this Bill deserves support from all the benches of the House. In order to achieve the objectives of the Bill, it is necessary that Co-operatives are managed properly. Government should check the mal-practices otherwise the Constitution of National Co-operative Corporation Amemdment Bill will be of no use. It has been stated in the Bill itself, that it will enable weeker Sections of the Society to become self-dependent but my observation is that weaker sections are not benefited by Co-operative since vested interests have a hold on Societies. Government provides fund for small farmers to purchase fertilisers, seeds, etc. but office bearer of the Society misappropriate them. There should be a fair election so that right persons are elected. The object of this Bill is quite good, but cooperative societies should be set up with democratic structure.

Secondly, Chairman should be well acquainted with the Cooperative movement. The elected representatives of small farmers have no place in the existing pattern of co-operatives vested interests should be eliminated from the Cooperative Sector.

I believe the hon. Minister will help the Cooperative Societies to improve and see that their funds are not misappropriated.

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr Deputy Speaker, Sir, this Bill has been framed in such a way that only well educated persons of the Society can understand it. It should have been framed in the manner that every one could have followed it easily.

It has been provided in the Bill that there shall be a Chairman and a Vice-Chairman of the Corporation who shall be chosen from amongst the members in a prescribed manner. Earlier Chairman and Vice-Chairman were elected but now they are nominated. This is against the objective of the Bill.

Public Accounts Committee had suggested :

"The Organisation of societies seems to have proceeded on the basis of what the Reserve Bank has aptly characterised as a 'target approach to the whole movement. In consequence, a number of Societies set up in various Sectors are either moribund or are not functioning effectively.

Vested interests have secured a hold on a number of Societies, which they are turn ing their advantage. It is essential that all the maladies should be diagnosed and effective legistlaive and administrative Sanctions applied against them in the interests of sound and healthy growth of the movement.

The Committee also consider it important that steps should be taken to "de-officialise the Cooperative movement, which is essentially a voluntary activity".

About the Organisation of National Co-operative Development Cooperation the Committee had observed :—

"There is at present a full fledged Department of Cooperation under Government apart from another official organisation like N.C.D.C. The proliferation of Official agencies is not in the Committee's opinion conducive to the "de-Officialisation of the Cooperative movement,"

[Shri M. C. Daga]

Further Report of the Expert Committee says :

"The existing procedure leaves no discretion to the N.C.D.C. to alter the amounts o such assistance or vary the pattern of assistance or determine the individual programmes to which this assistance should flow. In this situation,the N.C.D.C's role is more in the nature of a pay office of the central Government for disbursement of Central assistance to State Governments than that of an agency for financin programmes sponsored and promoted by it."

Committee further says in its report.

"The Committee find that the progress of Co-operative movement in the Country has been very uneven. The movement has yet to strike firm roots in places like Rajasthan, Bihar and Orissa which are comparatively less developed in this regard than areas like Maharashtra, Gujarat and Punjab"

"During the year ended upto 1973, 1570 co-operative societies in 55 districts were extended short term finance to the tune of Rs. 9 Crores".

That is why I have suggested that only such persons should be nominated as President or Vice-president who are having special knowledge or pratcical experience in agricultural cooperative development. But no rules and regulations have been prescribed for their election. There should be some check on the disbursement of funds by the Corporation. Otherwise there is no use of National Cooperative Development Corporation.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : It has been provided in the Bill that the Board of Management would consist of 51 members. But according to my view the number should be reduced.

It has been stated that this corporation has been set up to help the weaker sections of the Society. But I have observed that poor and illiterate persons are being exp loited in the name of the Cooperative Societies. Vested interests become officeal bearers of the Cooperative societies and misappropriate the funds.Small farmers do not get any financial assistance from these Cooperative societies. The Corporation should go into the working of these Cooperative societies. The Cooperative Societies should be developed and help should be given weaker section of Society.

With these words, I support the Bill.

Shri Ramkanwar (Tonk) : I support the amendments being made in the National Cooperative Development Corporation Act. The Cooperative societies have been set up to help the weaker sections of the Society. But unless Government keeps full check on the working of cooperative Societies, success can never be achieved.

Such amendments should be made in the Bill, which may prove helpful to poor persons.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the amendments brought forward by the hon. Minister. The Cooperative movement has made steady progress in India and has proved helful to the weaker sections of society.The strength of cooperative societies is increasing day by day. We should cooperate in promoting the cooperative movement. If we want to bring Democratic Socialism in India it can only be brought through cooperative movement. I would appeal that nomination system should abolished.

With these words, I support the Bill.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्य-कलापों का विस्तार करना तथा समिति की सिफारिशों के अनुसार धनराशि को सही दिशा में लगाना है।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने निगम के कार्यकरण नीति और कार्यक्रम की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की गतिविधियों का विस्तार किया जाए। उन्होंने कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, डरी उद्योग को भी इन गतिविधियों में शामिल करने की सिफारिश की। हम इस सिफारिश का स्वागत करते हैं।

देखने में आया है कि सहकारी समितियां आदिवासी लोगों को वित्तीय सहायता नहीं देती। हम निनियों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देते। मेरा सुझाव है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को निगम का प्रतिनिधि बनाया जाए जिनको सहकारी आन्दोलन में अनुभव प्राप्त हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अण्णासाहेब शिंदे : चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को मैं धन्यावाद देता हूं। मुझे दु:ख है कि कई सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों को भली भांति नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक सहकारी संस्था नहीं है बल्कि सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता देने का एक साधन है। अत: सदस्यों को इसे एक सहकारी संस्था समझने का भ्रम नहीं करना चाहिए।

भूत विधेयक वर्ष 1962 में पास किया गया था। जम्मू-कश्मीर को भी विधेयक की परिधि में लाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकरण की जांच के लिए एक विशषज्ञ समिति गठित की जाए और वह यह भी देखे कि क्या ऐसी संस्था की कोई आवश्यकता है या नहीं और क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए अथवा इसे और शक्तिशाली बनाया जाना चाहिएं।

लोक लेखा समिती के इन निष्कर्षो के आधार पर सरकार ने तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य तथा अर्थव्यवस्था और सहकारिता के क्षेत्रों के विज्ञ श्री वैंकटापैया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की। इस समिति ने सभी समास्याओं पर गंभीरता से विचार किया। इस समिति ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता का मूल्यांकन किया। इस संदर्भ में इस समिति ने दान्तवाला समिति का भी जिक्र किया जिसने वर्ष 1966 में सहकारिता-विपणन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे। राष्ट्रीय सहकारी निकास निगम के कार्यकरण के बारे में इस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला की इस निगम ने अपने सीमित साधनों में ही अपनी ही निधियों में से तथा राज्य की योजना से बाहर की निधियों में से धन लेकर अनेक नई योजनाओं द्वारा सहकारी विपणन के विकास में राज्य सरकार की सहायता की है। इससे सिद्ध होता है यदि इस निगम को उपयुक्त सहायता मिले तो यह सहकारी विपणन आदि के विकास बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अनेक उदाहरण देकर इस निगम के कार्यकरण की सराहना की है।

फिर 1968 में इस आयोग के सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल ने तथा 1969 में अखिल भातरतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने भी इस निगम के कार्यकरण की प्रशंसा की और कहा कि इस निगम को न केवल रहने दिया जाय बल्कि इसे सुदृढ़ करने तथा व्यापक बनाने के लिये हर प्रकार की सहायता की जाय। लोकलेखा समिति की भी यह सिफारिश है कि इस निगम को मजबूत बनाया जाये।

[श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे]

लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों के लिये सामान्य योजना निधियां इस निगम की माध्यम से नहीं अपितु सिर्फ भारत सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश मान ली है।

अब मुख्य सिफारिश यह है कि इस निगम को सुदृढ़ और व्यापक आकार दिया जाये। विस्तृत रूप से विचार के बाद सरकार भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। समिति ने कहा है कि इस निगम के 45 सदस्य हों। सरकार ने जब विचार किया तो अन्य क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से इस में 51 सदस्य रखना उचित समझा है। एक सदस्य ने कहा है कि ये सदस्य मनोनीत किये गये हैं परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या राष्ट्रीय सहकारी संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया व्यक्ति है ? वह तो अपने संगठन का चुना हुआ व्यक्ति है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, सहकारी चीनी कारखानों के सहकारी महासंघ के अध्यक्ष, आखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ के अध्यक्ष ये सभी चुने हुए व्यक्ति हैं, मनोनीत किये हुए नहीं। राज्य स्तर के सहकारी महासंघों से केन्द्र सरकार ग्यारह व्यक्ति मनोनीत करती है। ये सभी चुने हुए व्यक्ति हैं। अतः माननीय सदस्य इस विधेयक में दिये गये नियमों व कानूनों को ध्यान से देखे तथा मन से यह भ्रम निकाल दें। 51 सदस्यों में से लगभग 23-24 चुने हुए व्यक्ति हैं। कृपया स्मरण रखें कि यह एक सहकारी संस्था नहीं है बल्कि भारत सरकार के एक माध्यम संस्था है।

दूसरी समस्या यह थी कि यदि यह एक संयुक्त निकाय है तो यह राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करे और इसमें गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि भी हों। भारत का रिजर्व बैंक तकनीकी दृष्टि सें सरकारी संस्थान नहीं है। साथ ही इसमें भारत के स्टेट बैंक तथा खाद्य निगम की भी भूमिका है क्योंकि इसमें खाद्यान्नों के विपणन संबंधी सरकारी आन्दोलन निहित है। अतः हमने इसमें खाद्य निगम का प्रतिनिधि भी रखना उचित समझा और इसी प्रकार केन्द्रीय भांडागार निगम को भी प्रतिनिधित्व देना ठीक समझा है। इसलिये यह कहना गलत होगा कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम केवल एक सरकारी निकाय है।

माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री ने सुझाव दिया कि जिन लोगों को सहकारी आन्दोलन का वास्तव में कुछ ज्ञान है उन्हें मनोनीत करने के लिये विधेयक में उचित उपबंध होना चाहिये। उन्होंने डा० जेड० ए० अहमद का नाम लिया। वस्तुतः ही वह बड़े योग्य व्यक्ति हैं। आप देखिये कि जो प्रत्यक्ष रूप से सहकारी आन्दोलन के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं तथा जो सरकारी आन्दोलन समिति के प्रतिनिधि चुने गये है उन्हें सम्मिलित करने का उपबंध यहां है और साथ ही उन लोगों को भी शामिल करने का भी उपबंध है जिन्हें सहकारी क्षेत्र में उच्च तथा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है। इस निकाय के गठन के संदर्भ में सरकार ने इन सभी बातों को पूरी तरह ध्यान में रखा है।

कहा गया है कि इस निगम के अध्यक्षपद पर कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक सरकारी निकाय है इसे कोई सहकारी संघ नहीं मान लेना चाहिये। इस संदर्भ में भारत सरकार की रवैया स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम सरकारी हस्तक्षप विहीन सहकारी संगठन चाहते हैं। और उनका अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति हो। परन्तु यह निकाय राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार का एक माध्यम निकाय है। इसका गठन इस प्रकार है। इसका अध्यक्ष कृषि मंत्री है और अन्न राज्य मंत्री कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है अब केवल पदनाम बदले हैं। मंत्री अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) तथा राज्य मंत्री उपाध्यक्ष (वाइस-प्रेसीडेंट) होंगे।

हम कोई प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं कर रहे हैं। इसमें पहले से ही सचिव का पद है, हमने केवल पद नाम बदल कर "सचिव" के स्थान पर "प्रबंध निदेशक" शब्द रखा है अतः किसी प्रकार के अतिरिक्त खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह कहा गया है कि इसमें काफी अनावश्यक व्यय होता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस निगम का व्यय गत तीन वर्षों में एक प्रतिशत से भी कम हुआ है। इतने बड़े निकाय की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो होनी ही चाहिये। मैं जानता हूँ कि भारतीय सहकारी आन्दोलन दुर्भाग्य से देश के बहुत से भागों में सफल नहीं हो पाया है; रुक गया है। इसलिये हम इसे वस्तुत: सक्रिय करना चाहते है तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिये अधिक प्रयास करने को आतुर हैं।

फिर भी सहकारी आन्दोलन एक गैर सरकारी आन्दोलन है। इस संदर्भ में सरकारी एजन्सियों की भी सीमायें हैं। यह तो आप और हम सब का फर्ज है कि हम इस आन्दोलन को हर संभव प्रोत्साहन दें और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में इसे बढ़ायें।

इस विधेयक की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मुख्यत: कृषि, कृषि के तरीकों, विपणन, ऋण आदि से संबद्ध सहकारी संस्थाओं की सहायता कर रहा है। अब हम मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन आदि में संलग्न समाज के कमजोर वर्ग को भी इसके अन्तर्गत लाना चाहते हैं तथा इसके साथ ही हमने आदिवासी तथा अन्य लोगों के व्यवसाय जैसे वनों में पैदा होने वाली मदों के लिये भी इस निगम के माध्यम से सहायता पहुंचाने का निर्णय किया है।

इस प्रकार इस विधेयक को सामान्यत: किसी भी रूप में विवादास्पद मानने की गुंजाईश नज़र नहीं आती है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Actually it so happens that when ten persons join and form a cooperative society thereafter they do not allow others to become its members. The Secretary of such a cooperative becomes the master of the organisation. How can then the weaker sections be helped through them ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं जानता हूं कि हमारे वरिष्ठ मित्र श्री विभूति मिश्र को यह अनुभव हुआ कि देश के विभिन्न भागों में सहकारिताओं में निहित स्वार्थों का बोलबाला है। यह सब मानेंगे। इसके विपरित सभी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार इससे पूरी तरह सहमत है। हम केवल मुठ्ठीभर लोगों द्वारा गठीत संस्थाओं को सहायता नहीं देते हैं परन्तु सहकारिता राज्यों का विषय है और तत्संबंधी शिकायतें उन्हींसे की जानी चाहिए। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है हम तो सहकारिता को व्यापक आधार और देश के सामान्य लोगों के लिये हितकारी बनाना चाहते हैं। अत: मेरा तो सुझाव यह है कि राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिये अपने कानूनों में उपयुक्त संशोधन कर लें, हम उन्हें आवश्यक सहायता देंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर : राज्यों को सहायता देने के साथ साथ भारत सरकार यह भी तो सुनिश्चित करे कि उक्त सहायता शुद्ध रूप से सहकारिता के उद्देश्यों पर ही खर्च की जाये।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इसमें दो मत नहीं हो सकते। हम अधिनियम का विस्तार बढ़ाकर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि केवल एक राज्य से भी अधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय महासंघों, कुछ राज्य महासंघों तथा बहुएकक सहकारिताओं को सहायता पहुंचा सके। ऐसी उच्च स्तरीय संस्थायें सरकार से सहायता पाने की पात्र हो सकेंगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्यों में कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों पर निगाह रख सकता है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पहली बात तो यह है कि हम सरकारी संस्थाओं को सीधे ही सहायता नहीं देते है बल्कि राज्य सरकारों के माध्यम से देते हैं; परन्तु हम उनकी गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते रह है . . . (**व्यवधान**) हम राज्य सरकारों को सलाह देते हैं।

[श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे]

इस विधेयक को समर्थन देने के लिये मैं माननीय सदस्यों का अभारी हूँ। कुछ सदस्यों ने संशोधन दिये है हम उनपर उचित समय पर विचार करेंगे। क्योंकि विधेयक को मूल बातों पर सभा का प्रत्येक वर्ग सहमत है अत: मैं इसे सर्वसम्मति से पारित होने की आशा रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे। खण्ड 2 पर श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन है। क्या वह उसे पेश कर रहे ह ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Ramavtar Shastri : It is a very simple amendment whereas you have included fishries, poultry etc. why have you left piggery?

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

You should also cover piggery which has ever been ignored in our country. Pork i.e. pig's flesh is used by quite large number of our countrymen but that too has not been brougtht in the purview of the Bill. I think, this has been deliberately left out. What are the reasons therefor? If it is only a slip, I would request you to accept my amendment and include it. The people dealing in piggery belong to a weaker section of our Society. Therefore the development of this field should be taken up on collective basis. But if you do not want to include I would like to know the reasons therefor.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक सिद्धांतों की बात है मैं श्री शास्त्री से असहमत नही हूँ। परन्तु जो बात उन्होंने कही है वह तो पहले ही इस विधान में शामिल हैं। मूल अधिनियम में ही व्यापक शब्दों में इस चीज को ले लिया गया है। जहां तक शब्द "सुवर का मांस" जोड़ने की बात है तो "मांस" के अन्तर्गत "सुवर का मांस" भी आता है जिसकी व्यवस्था पहले से ही है।

इस प्रकार उपरोक्त बातें तो पहले से ही प्रवाहित हैं। मेरा उनसे कोई विमत नही [हैं। अत: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

सभापति महोदय : क्या वह अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी हां।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

सभापति महोदय : खण्ड 3 पर श्री रामावतार शास्त्री का एक संशोधन है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं अपना संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि निगम के अध्यक्ष (प्रेज़ीडेंट) तथा उपाध्यक्ष (वाइस-प्रेज़ीडेंट) वे व्यक्ति हों जिनको कृषि सहकारिता के विकास में ठोस अनुभव प्राप्त हो। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है। फिर दोनों व्यक्तियों को आप मनोनीत करना चाहते हैं। 51 सदस्यों में से 8 तो आप सरकारी कार्यालयों से मनोनीत करते हैं। साथ रिजर्व बैंक का उप-गवर्नर, स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक ये सभी सरकारी अधिकारी हैं। इस प्रकार आप सभी मनोनीत कर रहे हैं। इन में से चुन कर कौन जायेगा। फिर लोक लेखा समिति 41 की सिफारिश करती है तो आप 51 सदस्य रख रहे हैं। आप कहते हैं कि सहकारिता राज्यों का विषय है। तो यह निगम क्या केवल धनराशि बांटने का ही कार्य करेगी? लोक लेखा समिति करती है कि वहां सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं होने चाहिये परन्तु आप सब कुछ उससे विपरीत कह रहे हैं जब सभी लोग मनोनीत किये जायेंगे तो फिर इस निगम को रखने की ही क्या ज़रुरत है? सहकारिता विभाग का क्या कार्य है? फिर जब यह राज्यों का विषय है तो आप इतनी बड़ी महा-परिषद वाला निगम क्यों बना रहे हैं? सचिव पद में क्या बुराई है प्रबंध निदेशक क्यों बनाना चाहते हैं? वह तो अधिक पैसे लेगा। अपि बतायेंगे कि उस पर प्रशासन के खर्च कितना आयेगा।

51 सदस्यीय इस निगम में गणपूर्ति कितनी रहेगी और कैसे वे अपनी बैठक करेंगे। आपने कुछ नहीं बताया है। अनेक बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं और न ही उनका खुलासा किया गया है।

74 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दिये गये। इसमें कितना राशि ऋण की है? उसका भुगतान किस प्रकार होगा। मेरा सुझाव है कि आप 25–30 आदमियों की एक छोटी सी समिती बना दें।

इस प्रकार मैंने सुझाव दिया है कि शब्द "प्रेज़ीडेंट" और "वाइस-प्रेज़ीडेंट" हटा दें।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इन में अधिकतम बातों का उत्तर तो मैं अपने मुख्य उत्तर में ही दे चुका हूं। परन्तु माननीय सदस्य के रोष को शांत करने के उद्देश्य से मैं पुन: बताना चाहता हूँ की विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि वर्तमान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के ढांचे को अधिक व्यापक बनाया जाये ताकि राज्य सरकारों को सहायता देते समय सरकार गैर-सरकारी सदस्यों, वित्तीय निकायों तथा सहकारिता से संबद्ध अन्य विभिन्न संस्थानों से सलाह प्राप्त कर सके इस लिये इस समिति ने 45 सदस्यों का सुझाव दिया था। सरकार ने केवल छ: सदस्य और जोड़े हैं ताकि भारत में सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र से संबद्ध प्राय: सभी क्षेत्रों का साथ लिया जा सके। यह हमने विशेषज्ञ समिति की मूल भावना को ध्यान में रख कर किया है।

[श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे]

प्रेज़ीडेंट और वाइस-प्रेज़ीडेंट के पदों पर मंत्री गण ही रहेंगे क्योंकि यह एक सहकारी संगठन है कोई सहकारी संस्था नहीं है। 8 मनोनीत सदस्य विभिन्न आम मंत्रालयों से होंगे ताकि सहकारिता आन्दोलन से संबद्ध मंत्रालय अपना प्रतिनिधित्व कर सके।

रिजर्व के डिप्टी-गवर्नर भी कई दशाब्दियों से सहकारिता आन्दोलन से संबद्ध रहे हैं और यही बात स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के बारे में भी है। फिर विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, बैंकिंग संस्थानों का प्रतिनिधित्व भी उनके सदस्यों द्वारा होना आवश्यक है। इससे पूर्व मैं उन गैर-सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के बारे में बता चुका हूँ जिनका प्रतिनिधित्व इस निगम में होगा। यह भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया है।

मुझे आशा है कि श्री मूलचन्द डागा इन लक्ष्यों को समझेंगे तथा अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राष्ट्रीय, सहकारिता विकास निगम को 74 करोड़ रुपये सरकार की ओर से दिये गये क्या यह निगम वह खर्च लौटा सकेगा? यह खर्च तो 1971 में थी। अब तो और भी अधिक होगी।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : लगता है माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने जितना ऋण राज्य सरकारों को दिया था उस में से केवल तीन या चार लाख की छोटी सी राशि छोड़ कर शेष सभी की वापस अदायगी हो चुकी है। वह राशि भी हिमाचल प्रदेश की ओर है जोकि उसके तथा पंजाब के मध्य कुछ क्षेत्रीय विवाद के कारण रुकी हुई है। सब राशि वापस मिलेगी। अतः किस प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर न दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने संशोधन वापस ले रहा हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये

The amendments were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

सभापति महोदय : अब मैं खंड 6 को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 8 को मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

सभापति महोदय : अब मैं खंड 9 को मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 को विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 10 was added to the Bill

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : Will Natioonal Federation of Labour Co-operative Societies also be given representation along with Chairman of National Federation of Co-operative Societies?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम इस फेडरेशन का समर्थन करते हैं परन्तु अभी तो इसकी स्थापना ही नहीं हुई है। इस कानून के अन्तर्गत हम इसे वित्तीय सहायता दे सकेंगे। मेरा संशोधन बहुत ही स्पष्ट है। यह केवल तकनीकी है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"पृष्ठ 6, पंक्ति 33—

'Debentures' (ऋण-पत्र) शब्द के स्थान पर 'Bonds or debentures or both' (बंधक व ऋण पत्र, अथवा दोनों) शब्द रख दिये जायें" (संख्या 5)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 6, पंक्ति 33—

'Debentures' (ऋण-पत्र) शब्द के स्थान पर 'Bonds or debentures or both' (बंधक व ऋण-पत्र अथवा दोनों) शब्द रख दिये जायें" (संख्या 5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 as amended was added to the Bill

खण्ड 12 से 16

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 12 to 16 were added to the Bill

खण्ड 1

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस विधेयक का प्रारूप 1973 में तैयार हुआ था परंतु अब वर्ष 1974 चल रहा है अतः यह एक साधारण संशोधन आवश्यक है। पृष्ठ 1 की 8 से 9 पंक्तियों का विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार लोप किया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1,—पंक्ति 4के स्थान पर "Corporation (Amendment) Act. 1974" [निगम (संशोधन) विधेयक 1974] शब्द रख दिये जायें"।

(संशोधन संख्या 2)

"पृष्ठ 1, पंक्ति 7,—

"and any reference" (और कोई निर्देश) शब्दों का लोप कर दिया जाये"।

(संशोधन संख्या 3)

"पृष्ठ 1,—

पंक्तियों 8 और 9 का लोप कर दिया जाय"।

(संशोधन संख्या 4)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधन संख्या 2 से 4 सभा द्वारा स्वीकार की जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1, as amended was added to the Bill

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

'Twenty fourth years' (24 वां वर्ष) के स्थान पर 'Twenty fifth years' (25 वां वर्ष) प्रति-स्थापित कर दिय जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

'Twenty four year' (24 वां वर्ष) के स्थानपर 'Twenty fifth years' (25 वां वर्ष) शद्व प्रतिस्थापित कर दिये जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

शीर्षक को विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

Shri Pannalal Barupal : May I know whether National Federation of Labour and Multipurpose Co-operative Societies would also be provided representation? Personally feel that they may be provided because they would be able to bring forward their problems and difficulties.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : दुर्भाग्य से यह संस्था इस समय अस्तित्व में नहीं है, श्रमिक सहकारिताओं के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जब भी उक्त संस्था अस्तीत्व में आयेगी हम उसे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये अधिनियम का संशोधन करेंगे। इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि क्या संशोधन के बिना उसे किसी रूप में प्रतीनीधित्व दिया जा सकता है अथवा नहीं ?

Shri Pannalal Barupal: National Federation of Labour Co-operative Societies have since been registered. I am therefore insisting in this regard.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस बारे में विचार करेंगे। प्रश्न यह है :
"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): म प्रस्ताव करता हूं :
"कि राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये"।

राष्ट्रपति चुनावों के संबंध में विगत अनुभव सन्तोषजनक नहीं रहा है। इस चुनाव के लिये अनेक लोग बिना सोचे समझे अपने नाम दाखला कर देते थे और इसी प्रकार चुनाव याचिकाओं की स्थिति रहती थी। अतः यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में इस प्रकार के उपबन्ध रखें जायें जिससे मूखर्तपूर्ण नामजदगियां रूक सके। इससे राष्ट्र के प्रस्ताव के पद को व्यर्थ के विवादों का विषय बनने से भी रोका जा सकेगा। इसी उद्देश्य संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था।

[श्री एच० आर० गोखले]

उक्त विधेयक की विशेषताएं यह है कि किसी भी संभावी प्रत्याशी को कम से कम चालीस निर्वाचिकों का समर्थन प्राप्त हो जिनमें से कम से कम 12 संसद सदस्य हों और कम से कम 24 राज्य विधान सभाओं के सदस्य हों। उप-राष्ट्रपति पद के लिए संभावी प्रत्याशी को कम से कम 10 निर्वाचिकों का समर्थन प्राप्त हो। संभावी प्रत्याशी के लिए 2500 रु० जमानत के रूप में जमा करना जरूरी होगा। यदि वह मतदान के 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर सके तो उक्त राशी जप्त कर ली जायेगी। राष्ट्र पति चुनाव को चुनौती देने के लिये कम से कम 40 निर्वाचिक एकत्र हो कर ही याचिका प्रस्ताव कर सकते हैं। इन 40 निर्वाचिकों में से कम से कम 12 का संसद सदस्य होना और कमसे कम 24 का राज्य विधान सभाओं का सदस्य होना आवश्यक है। उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव को चुनौती देने के लिए कम से कम 10 निर्वाचिकों का एकत्र होना आवश्यक है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव की चुनौती देने के लिए रिश्वत अथवा अनुचित दबाव से आधार नहीं बनाया जा सकता। सफल होने वाले प्रत्याशी से भिन्न यदि किसी अन्य का नामजदगी पत्र गलती से स्वीकार किये जाने को भी चुनाव को अवैध घोषित करने के लिये आधार नहीं बनाया जा सकता जबतक कि उस को स्वीकार करने से चुनाव पर बहुत अधिक प्रभाव न पड़ा हो।

उक्त विधेयक संयुक्त समीति को निर्देशित किया गया था। संयुक्त समिति ने उस पर विस्तार से विचार किया। उस विचार के परिणामस्वरूप उस में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन सुझाये गये। जिनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रपति पद के लिये नामजदगी पत्र दायर करने और चुनाव याचिका दायर करने के लिये कम से कम सम्र्थकों की संख्या को 40 से घटाकर 20 करना ;
2. समर्थकों में न्यूनतम संसद सदस्यों एवं न्यूनतम विधान सभा सदस्यों के समर्थन की बात को समाप्त करना ;
3. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव करे व समर्थन करे तो उन सब नामों को एकदम से रद्द नहीं करके उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षरों से केवल सब से पहले प्राप्त होने वाले नामजदगी पत्र पर ही वास्तविक माना जाये और उस से भिन्न पर अर्थहीन माना जाये।
4. रिश्वत तथा अनुचित दबाव की बात को एकदम समाप्त करने की बजाय यह कहा गया है कि यदि चुनाव में उक्त प्रकार के कार्य जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से (और सहयोग से नहीं) किया गया हो तो चुनाव को प्रभावीत करने वाला माना जाये।

इस विधेयक के प्रति सदस्यों के मन में किसी प्रकार की आशंकाएं नहीं होनी चाहिये। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुकूल नहीं कि सब से बड़े पद पर इस प्रकार कलंक लगाया जाय कि विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। यह भी आवश्यक समझा गया है कि इस प्रकार के कानूनी उपबन्ध होने चाहिये कि स्वस्थ लोकतन्त्र के विकास में बाधाओं को नियंत्रित रखा जा सके। इन्हीं विचारों के अनुसार कानून में संशोधन करने का विचार है। इसके साथ ही सरकार ने संयुक्त समीति में प्रकट किये गये विभिन्न प्रकार के विचारों पर भी ध्यान दिया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समीति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये"।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : माननीय मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का प्रमुख कारण अर्थहीन नामजदगियों और चुनाव याचिकाओं को रोकना और इस उच्चतम पद की गरिमा पर कलंक लगाने वाली बातों को रोकना है।

जब यह विधेयक संसद में पहली बार प्रस्तुत किया गया था तो इसमें एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण उपबन्ध था। बहुत प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त समीति ने सरकार को बात नहीं मानी कि रिश्वत और अनुचित प्रभाव को चुनौती का आधार नहीं बनाया जा सकता।

उक्त विधेयक श्री गिरी के चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की घोषणा के पश्चात पुरः-स्थापित किया गया। यह चुनाव मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जानबूझकर के गलत गवाही दी गई है। उच्चतम न्यायालय के बहुमत निर्णय के अनुसार उस चुनाव में अनुचित दबाव का प्रयोग तो हुआ परंतु जो भी गवाहियां और सबूत उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये उनके आधार पर यह कहना उचित नहीं था कि उक्त है अनुचित दबाव का प्रयोग जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा किया गया। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव याचिका अनिश्चित व लापरवाही से प्रस्तुत की गई थी। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विधेयक में से तत्संबंधी उपबन्ध को हटाने का सरकारी प्रयास बहुत ही अनुचित था। बहुत प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त समिति ने सरकारी मत को नहीं माना है।

विधान में प्रस्थावित संशोधनों के चार मुख्य पहलू हैं। पहला नामजदगी के संबंध में है। राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति पद के लिये कोई नामजद कर सकता है? पहले संसद तथा राज्य विधान सभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य ऐसा कर सकता था परंतु अब यह प्रबन्ध रखा जा रहा है कि कम से कम 10 सदस्य नाम का प्रस्ताव करने वाले और कम से कम 10 सदस्य उसका समर्थन करने वाले होने चाहिये। यह भी हो सकता है, और हुआ है कि नाम का प्रस्ताव करने वाले और समर्थन करने वाले यह 20 व्यक्ति उसे मत ही न दें तो क्या यह नामजदगी पत्र अर्थहीन नहीं होगा? अतः इस उपबन्ध के पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। इस के द्वारा चुनाव में गंभीरता नहीं आ सकती।

हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वे देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। हम यह मांग करते रहे हैं कि संविधान सभाओं के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होने चाहिये जिससे कि जनता की भावनाएं समुचित रूप से प्रतिबिम्बित हो सकें। ऐसा न होने के कारण 50% से कम मत प्राप्त करके भी सत्तारूढ दल सत्ताधारी बना हुआ है। अतः यदि राष्ट्रपति के चुनाव के लिये नहीं तो कम से कम संसद के चुनाव व राज्य विधान सभाओं के चुनाव के लिये तो उपरोक्त पद्धति अपनाई ही जानी चाहिये। राष्ट्रपति पद का चुनाव लडने के लिये इस प्रकार किसी का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। क्या आप राज्यविधान सभा और संसद के लिय प्रत्याशियों की संख्या पर कोई रोक लगा सकते हैं? हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति चुनाव लडते ह। परंतु उससे चुनाव का महत्व कम नहीं होता। इस प्रकार की बनावटी सीमाये राष्ट्रपति पद के सम्मान में वृद्धि नहीं कर पायेंगी। राष्ट्रपति पद का सम्मान तो उस पद में निहित शक्तियों और उन शक्तियों के प्रयोग के ढंग पर निर्भर करता है। यदि इन शक्तियों का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिय किया जायगा तो पद की प्रतिष्ठा बढ़गी परंतु यदि उनका उपयोग संविधान के अनुच्छेदों के दुरूपयोगों के लिये किया जायेगा तो पद की गरिमा कम होगी।

यह कहा गया है कि कई बार ऐसे प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो जाते हैं जिनके जीतने की कोई भी आशा नहीं होती। इसका निर्णय कैसे हो? इस बारे में मैं अप्रतिष्ठा करने के विचार से नहीं कह रहा परंतु वास्त-विकता की दृष्टि से कह रहा हूं कि क्या चुनाव से पूर्व निश्चित था कि श्री वी० वी० गिरी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे? किसी राजनैतिक दल ने उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। देश के सत्तारूढ दलने भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। उस समय केवल इतना ही निश्चित था कि चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा। अतः इस बारे में नामजदगी पत्र दायर करने के समय कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता।

जहां तक जमानत की बात है क्या हम देश में हर बात का फैसला धन के हिसाब से ही मापेंगे। क्या कोई उम्मीदवार तभी चुनाव लड सकता है जब उसके पास नकद 25,000 रु० हो। इसके पीछे क्या सिद्धांत है यह स्पष्ट नहीं है। यदि कोई चुनाव लडना चाहता है तो क्या उसके लिय इतने रुपये का प्रबंध करना असंभव होगा? इससे चुनाव में गंभीरता नहीं लाई जा सकेगी। इस लिय सिद्धांत बनाना व्यर्थ है।

जहां तक चुनाव याचिका की बात है कोई भी व्यर्थ की मुकदमे बाजी में नहीं पड़ना चाहता। व्यर्थ की चुनाव याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय में कोई नहीं जायेगा। हां यदि आप को उच्चतम न्यायालय

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

में विश्वास नहीं तो दूसरी बात है। यदि कोई व्यर्थ की याचिका प्रस्तुत की जायेगी तो उच्चतम न्यायालय उसका समुचित निपटान करेगा। क्या 20 सदस्यों के समर्थन से चुनाव याचिका की व्यर्थहीनता समाप्त हो जायगी।

व्यक्ति पर निर्णय नहीं ले पाते कि निर्वाचन के विरुद्ध याचिका देने का उनके पास उचित आधार है कि नहीं। इस बारे में हमें समस्या के मूल पर ध्यान देना चाहिए।

निर्वाचन के रद्द किये जाने के लिए एक कारण तो यह है कि निर्वाचनों पर अनुचित प्रभाव बढता गया हो। अब वतमान अधिनियम की धारा से निर्वाचित व्यक्ति की "सांठ गांठ" शद्ब निकाले जा रहे है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से सांठ गांठ करे किन्तु इस बारे में उस उम्मीदवार की सहमति नहीं है तो इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़गा। सीधी सहमति सिद्ध करना बहुत कठिन है। लोग सन्देह कर सकते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया है उसने अनुचित प्रभाव के लिए सांठ-गांठ की होगी क्या इस व्यवस्था द्वारा हम राष्ट्रपति के पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं? राष्ट्रपति चुने गये व्यक्ति द्वारा अनुचित प्रभाव बरते जाने के प्रति उपेक्षा दृष्टि रखने से इस पद का गौरव क्या बढता है? मंत्री महोदय इस प्रकार उपेक्षा बरतने तथा सांठ-गांठ के लिए सहमति में अंतर बताएं।

जहां तक उप-राष्ट्रपति का संबन्ध है, वह राज्य सभा का सभापति भी है। हम समझते है कि उप-राष्ट्रपति को देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विकास में भूमिका निभानी है। ऐसा करने से वह राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व करता है। उसके निर्वाचित में आप लोक सभा के सदस्यों को क्यों स्थान देते है।

जबतक जनता का विश्वास निर्वाचनों की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं हो जाता, आप कोई भी निर्वाचन पद्धति अपनायें, इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

आवश्यकता इस बात की है कि जनता की वास्तविक इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाये। ऐसी बाधाएं नही पदा की जानी चाहिएं कि सत्तारूढ दल येन केन प्रकारेण अपने ही व्यक्तियों को निर्वाचित होने दे।

अतएव इस प्रकार के कानून बनाने से पूर्व इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए इस लिये मैं इस निरर्थक विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे इस विधेयक में कोई उपयोगिता नहीं प्रतीत होती है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जब यह मामला संविधान सभा के समक्ष आया था तब उन्होंने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पद्धति विचारपूर्वक ही तैयार की थी।

परन्तु पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब कुछ कानूनी कार्यवाहियां हुई जिसमें राष्ट्रपति को भी उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा।

समिति ने नामांकन करने वाले सदस्यों की संख्या को 40 से घटा कर 20 कर दिया है। इस नियम से कुछ अल्पसंख्यक लोग तो इस पद के लिये नामांकित ही नहीं किये जा सकते। नामांकन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से कुछ लाभ नहीं होगा।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिये पिछले 4--5 निर्वाचन कोई निराशाजनक नहो रहे। एक दो एसे उम्मीदवार अवैध्य खड़े हो गये थे जिन्हे कोई नहीं जानता था। इसलिये इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

'चश्मपोशी' के स्थान पर 'सहमति' शब्द रखा गया है। इससे क्या अंतर पड़ता है। क्या सरकार के पास और उपयोगी कार्य नहीं है? ऐसे महत्वहीन कानूनों को क्यों हाथ में लिया जाता है?

हमारे देश में राष्ट्रपति को ऐसे हालात में रखा जाता है जो देश की सामान्य जनता से भिन्न हैं। इस प्रकार की सामान्य व्यवस्था को समाप्त करना चाहिये। राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में रखना चाहिये कि उसका पूरे देश की जनता से संबंध रहे। महात्मा गांधी ने कल्पना कि थी कि इस देश का राष्ट्रपति कोई अछूत महिला हो। वह सामान्य व्यवस्था में मूलभूत परिवतन चाहते थे।

इस विधेयक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे जनता के हितों की रक्षा हो।

जहां तक उपराष्ट्रपति के पद तथा उनके कर्त्तव्यों का प्रश्न है, उसे राज्यसभा का सभापतित्व करने के अतिरिक्त और कुछ नही करना होता और यदि राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो सहसा उसे कार्य सम्भालना पड़ता है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद को काफी सम्माननीय माना जाता है। परन्तु इस प्रकार के कानून की क्या आवश्यकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस विधेयक की क्या आवश्यकता है।

राष्ट्रपति अभिभाषण के समय सुझाव दिया गया था कि संविधान में संशोधन द्वारा समारोहपूर्ण वातावरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रथा को समाप्त किया जाये ताकि व्यवहारिक संसदीय कार्य को अधिक समय मिले। परन्तु प्रस्तुत विधेयक से न तो धन को और न समय की ही बचत होने की संभावना है।

हमारे संविधान में निहित प्रक्रिया द्वारा चुने गये राष्ट्रपति अति श्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं। सुझाये गये परिवर्तनों का बुरा प्रभाव ही संभव है।

यदि चुने जाने वाले राष्ट्रपति के अनुचित प्रभाव बरतने अथवा ऐसा किया जाने के लिये उपेक्षा बरतने अथवा सहमति दिये जाने का भय है तो मैं ऐसी संसदीय पद्धति अथवा प्रशासन की निन्दा ही करूंगा।

इसलिये मैं गम्भीरता-पूर्वक सुझाव देता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी): मैं उन उद्देश्यों की सराहना करता हूं जिनको ध्यान में रख कर यह विधेयक लाया गया है। निस्संदेह राष्ट्रपति का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। किन्तु जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया गया है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि संयुक्त समिति ने इस विधेयक में बहुत फेर बदल कर दिया है।

यह विधेयक इस उद्दश्य से प्रस्तुत किया गया है कि उस व्यक्ति को चुनाव न लड़ने दिया जाये, जिस के चुनाव जीतने की कोई आशा न हो। ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। मूल विधेयक में उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में कम से कम 20 निर्वाचक प्रस्ताव करे तथा 20 निर्वाचक ही समर्थन करें। इनमें से 12 तो संसद् सदस्य हों तथा 24 राज्य विधान सभाओं के सदस्य हों। संयुक्त समिति ने प्रस्ताव को एवं समर्थकों की संख्या 10-10 कर दी है। अतएव इससे विधेयक लाने का उद्देश्य कुछ क्षीण हो गया है क्योंकि इतने बड़े देश में 10 संसद् सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिये भी उतने ही निर्वाचक सदस्य होने चाहिये जितने राष्ट्रपति के लिये। उनके कम रखने में कोई औचित्य नहीं है।

खण्ड 5 ख (2) के अन्तर्गत प्रत्याशी को अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में जहां प्रत्याशी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है अपने प्रविष्टि के सम्बन्ध में वहां की निर्वाचन सूचि एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ भजनी होती है। राज्य सभा या संसदीय चुनाव क्षेत्र के मामले में यह छूट है कि यदि प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को मूल निर्वाचन सूचि स्वीकार करनी पड़ेगी।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

मूल विधेयक में "रिश्वत तथा अनुचित प्रभाव" शब्द नहीं थ क्योंकि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के उत्तरदायी होने की आशा की जाती है। संयुक्त समिति ने 'रिश्वत तथा अनुचित प्रभाव' शब्दों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। इसलिये मूल खण्ड का ही रखा जाना बेहतर है।

खण्ड 7 में व्यवस्था है कि यदि उच्चतम न्यायालय समझता है कि चुने गये प्रत्याशी द्वारा अनुचित प्रभाव बरता गया है तो न्यायालय निर्वाचन को रद्द कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के मामलों को जांच की अनुमति दी जानी चाहिये।

उपराष्ट्रपति न केवल राज्य सभा का सभापति होता है अतएव संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ता है। अतएव उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोक सभा का हाथ भी बना रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि मूल विधेयक को पारित किया जाना चाहिये। यदि सभा विधेयक को मूल रूप में स्वीकार नहीं करती तो हमें अनुभव प्राप्त करने के लिये इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। फिर, सरकार भविष्य में जैसा आवश्यक हो संशोधन कर सकती है।

Shri R. V. Bade (Khargone) : The objects and the purpose of the Bill are not known. The hon. Minister said that one of the purpose is to eliminate nomination being filed in a light-hearted manner. This sort of wisdom has dawned upon the Government after so many years. Now they want ten proposors and ten seconders. What is the justification about this number of ten, why should it not be fifteen or twenty?

In addition, there is a provision about the deposit of two and a half thousand rupees. Why this provision is being made? Will it not deny the right of a poor man, a Harijan to contest that election? If the idea is to avoid the petitions, then this sum is not so big as to prevent monied people to come in the field. Under Section 18, distinction is sought to be made between 'consent' and 'connivance' but the effect in both the cases is the same. The whole section should be modified.

The proposed amendments cannot be supported and should be withdrawn.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इन उपबंधों को इसमें निहित सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिये। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिये सरकार को भिन्न प्रकार का विधान पेश करना चाहिये। यदि कोई ऐसा विधेयक पेश किया जाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के पद को ब्रिटिश शासनकाल के अच्छे और बुरे पुराने दरबारी शान शौकत से अलग रखा जाता तो फिर इस प्रकार के विधान की सराहना करना सम्भव हो सकता था। वास्तविकता यह है कि इस विधेयक में कुछ भी नहीं है। किंतु यह शानरहित नहीं है। कुछ उपबंधों को जोड़कर इस विधेयक का उद्देश्य कुछ स्थितियों को और भी जटिल बनाना है। यदि किसी व्यक्ति को अथवा देश के स्वतंत्र नागरिक को राज्य विधान सभाओं के सदस्यों या संसद् सदस्यों से आवश्यक समर्थन नहीं मिलता तो इस विधेयक से उस के लिये राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के पद के लिये चुनाव लड़ना कठिन हो गया है। भारत के संविधान में यह निहित नहीं है कि संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इस देश के स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रता को समाप्त करने के साधन हों। किंतु इससे आगे बढ़ना और निर्वाचित संसद्-सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को साधन बना कर देश के उच्चतम पद के लिये चुनाव लड़ने के लिये किसी नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता को समाप्त करना बहुत ही आपत्तिजनक तथा अलोक-तांत्रिक है। जो भी व्यक्ति प्रत्याशी होता है, वह भलीभांति जानता है कि निर्वाचित हो जाने पर या काफी संख्या में मत प्राप्त होने पर उसे अवश्य ही संसद् के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभा के सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिये क्योंकि उसे उनके मतों पर निर्भर रहना पड़ता है। संख्या चाहे 10 हो अथवा 20, इसकी कोई बात नहीं। प्रश्न तो यह है कि प्रत्याशी बनने के लिये क्या उसे निर्वाचित संसद् सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों पर निर्भर होना चाहिये? क्या यह नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं है? चुनाव के लिये खड़ा होना इस देश के प्रत्यक नागरिक का मौलिक अधिकार है, चाहे उसे

पंचायत बोर्ड या संसद् की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ना हो। यहां तक कि वह देश के उच्चतम पद अथवा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिये भी चुनाव लड़ने के लिये खड़ा हो सकता है। किंतु इस विधेयक से निर्दलीय लोगों के लिये देश की सेवा करना और इस उच्चतम पद के लिये चुनाव लड़ना असम्भव हो जायेगा।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में "निर्वाचित होने के बहुत कम अवसर के बिना भी" शब्दों का उल्लेख किया गया है। कोई भी पहले से ही यह कैसे सोच सकता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी पद के लिये निर्वाचित होने का कोई अवसर नहीं है? यह लोकतंत्र के मूल विचार के सर्वथा विपरित है। यह कहना कि उसके निर्वाचित होने की बहुत कम संभावना है, बहुत ही अलोकतंत्रीय है। वह एक बार लड़ सकता है, दो बार लड़ सकता है, तीन बार लड़ सकता है और चार बार लड़ सकता है **(व्यवधान)** यह ठीक है कि वह निर्वाचित नहीं हो सकता लेकिन क्या आप उसकी उम्मीदवारी पर कोई पूर्व-शर्त लगाना चाहते हैं . . .

सभापति महोदय : क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि प्रस्तावक और समर्थक ही नहीं होने चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं ऐसा सुझाव नहीं दे रहा।

किसी विशेष उम्मीदवार के संयुक्त समर्थकों या इकट्ठे समर्थकों के रूप में संसद् सदस्यों या विधायकों की संख्या बढ़ाने से इसे गंभीरता नहीं दी जा सकती। अरुचिपूर्ण रवैये का भी उल्लेख किया गया है। इसका ठीक अर्थ क्या है। "अरुचिपूर्ण रवैये" की परिभाषा की जानी चाहिये। भावी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवारों पर लगाये जाने वाली शर्तें कृत्रिम तथा अवास्तविक हैं। यह एक ईमानदार व्यक्ति और स्वतंत्र नागरिक पर नकारात्मक तथा अलोकतंत्रीय पाबंदी है।

इस विधेयक के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिये "रिश्वत और अनुचित प्रभाव डालने" का भी उल्लेख है यह सचमुच असाधारण बात है। मैं इस प्रश्न के बारे तर्कों में नहीं पड़ना चाहता।

सभापति महोदय : क्या आप आधे मिनट में समाप्त करेंगे या कुछ और समय लेंगे?

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे और समय चाहिये।

कार्य मंत्रणा समिती
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

36 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 21 फरवरी, 1974/2 फाल्गुन, 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, the 21st February, 1974/2nd Phalguna, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०–वि० 7–37 लोकसभा/73–15-4-74–490.